

(1100/MY/KKD)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-1, श्री संजय धोत्रे जी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3क की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1119 (अ) जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**MOTION RE: SEVENTH REPORT
OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I beg to move the following:-

“That this House do agree with the Seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 1st August,2019.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि यह सभा 1 अगस्त, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विशेष उल्लेख

1103 बजे

***SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. The Government is committed to act against terrorism. Several laws and amendment laws have been legislated in this august House to stop terrorism. Incidents of mob lynching and honour killing are on the rise in this country. These two should be considered as crimes relating to terrorism. I request the Government through you that incidents of mob lynching and honour killing should be included in the list of terrorist activities. National Crime Records Bureau NCRB, released its last Report in the year 2016, 71 incidents of honour killings have taken place throughout the country. From 2015 to 2019, 99 incidents of mob lynching have taken place in the country, We have the definition for terrorism. Terrorism is either for political reasons against the people or for religious ambitions or an ideology or executing killing in a planned way by use of violence or instilling fear or inducing separatism or affecting peace. This explanation fully suits the mob lynching and honour killing incidents also. I therefore urge that these two should be considered as crimes of terrorism. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन के गरौठा भोगनीपुर के अंतर्गत हमारी एक विधान सभा माधौगढ़ है। हमारे यहां जितने भी ब्लॉक्स हैं, वे सब नदियों के किनारे हैं। वहां ऊबड़-खाबड़ जगह है। इसकी वजह से हमारे यहां के जितने भी नौजवान बच्चे हैं, वे पैरामिलिट्री तथा सेना में भर्ती होने के लिए अन्य जगह जाते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी ट्रेनिंग सेन्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को ढेर सारी परेशानियां होती हैं। विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के अंतर्गत गरौठा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।

(1105/CP/RP)

वहां हर चीज है। मिलिट्री से संबंधित सारी चीजों का वहां निर्माण किया जाएगा। वहां से ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिलिट्री में भर्ती होंगे, पैरा-मिलिट्री फोर्स में भर्ती होंगे।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पैरा-मिलिट्री फोर्स या सेना में बच्चों की भर्ती के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल - उपस्थित नहीं।

श्री गुहाराम अजगल्ले।

श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ राशि के लिए बुनकर सहकारी समिति द्वारा एनएचडीसी, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन से कोसा धागा यार्न खरीदने की अनिवार्यता का नियम 1 जनवरी, 2014 से है। हथकरघा बुनकर समिति द्वारा एनएचडीसी से कोसा धागा खरीदना गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोसा धागा की मोटाई और क्वालिटी सही नहीं है। एनएचडीसी से कोसा धागा यार्न की कीमत खुले बाजार मूल्य से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, विपणन प्रोत्साहन योजना की पात्रता के लिए एनएचडीसी से कोसा धागा खरीदने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या एनएचडीसी बुनकर सहकारी समिति को वस्त्र निर्माण के लिए कोसा धागा यार्न उपलब्ध कराने के बजाय, कोसा फल उपलब्ध करा दें। इससे हस्तकरघा से जुड़े कामगारों को लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कपड़ा मंत्रालय में मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बुनकर सहकारी समिति को विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ राशि का वितरण सन् 2011 से 1 जनवरी, 2014 तक का नहीं हुआ है। उनकी बकाया राशि का वितरण कराने हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, उत्तर बंगाल के तराई-द्वारस क्षेत्र में तीस्ता नदी के ऊपर बने डैम के समीप एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, जिसका नाम कोरोनेशन ब्रिज है, जिसे बाघ पुल, सेवॉक ब्रिज भी कहा जाता है। यह ब्रिज दार्जिलिंग जिले को अलीपुर और जलपाईगुड़ी जिले से जोड़ता है। नेशनल हाईवे रोड एन.एच. 31(c) इस ब्रिज से होकर गुजरती है। इसका निर्माण कार्य सन् 1936 में शुरू हुआ। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और वर्ष 1941 में इसका काम पूर्ण किया था। यह ब्रिज मात्र पर्यटक आकर्षण का केन्द्र नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में आवाजाही का माध्यम भी है। यह पुल हरे परिवेश का नजारा भी प्रदान करता है। इससे यात्रियों को उस क्षेत्र को देखने और आने-जाने में सुविधा होती है। मेरे क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो, तो अस्पताल जाने के लिए या किसी कारणवश शहर जाना हो या अपने क्षेत्र से बाहर सफर करना हो तो सेवॉक की पहाड़ियों में स्थित कोरोनेशन ब्रिज से होते हुए सिलीगुड़ी शहर जाना पड़ता है।

महोदय, इस ब्रिज की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। आज ब्रिज जर्जर अवस्था में है और कभी भी टूट सकता है। अगर यह ब्रिज टूटता है तो लाखों की संख्या में लोगों पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। हाल ही में राजस्थान के पर्यटक गए थे, तो चार लोग इस ब्रिज के सामने नदी में गिर कर मर गए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद में निवेदन करता हूं कि इस ब्रिज का विकल्प जितनी जल्दी हो सके, ढूँढा जाए। रेलवे ब्रिज के समीप अगर नए ब्रिज की कल्पना करें, तो सिलीगुड़ी सफर को 30 से 40 मिनट तक कम किया जा सकता है। यह समय की बचत मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में जीवन रक्षक साबित हो सकती है। धन्यवाद।

(11110/NK/RCP)

श्रीमती संध्या राय (भिंड): अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड के गोहद विधान सभा में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें बाहर के युवा वर्ग उसमें काम करते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि मेरे क्षेत्र के काफी नौजवान शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, उनको लाभ मिले तो बहुत अच्छा रहेगा।

वहां पचासों फैक्ट्रियां हैं। वहां से दूषित पानी निकलता है, गोहद क्षेत्र में एक वेसली डैम है, उस डैम में प्रदूषित पानी मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि फैक्ट्रियों की जो समय सीमा रहती है, उस समय सीमा में उनकी जांच हो, दूषित पानी तालाब में जाता है और वही पानी गोहद क्षेत्र की जनता पीती है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये दोनों विषय थे। वहां के नौजवानों को लाभ मिले, उन्हें अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। वे लोग हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम की तलाश में भटकते रहते हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को वहीं काम करने का अवसर मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी का ध्यान किसानों की एक समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन देती है। सस्ते ब्याज पर यह पैसा दिया जाता है। छह माह के अंदर किसानों को पैसा वापस जमा कराना पड़ता है। परंतु कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे अकाल या फसल खराब होने के कारण किसान समय पर पैसा जमा नहीं करा पाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि किसान को नोटिस आना प्रारंभ हो जाता है। किसान को तीन प्रतिशत ब्याज की सुविधा समाप्त हो जाती है और भारी ब्याज देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसान किसी साहूकार से पैसा उठाता है।

अध्यक्ष जी, कई बार पांच-पांच सैकड़ पर एक सप्ताह के लिए पैसा उठाना पड़ता है जबकि ये पैसा जमा कराने के सात दिन बाद बैंक उसको वापस पैसा दे देते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि किसान से मात्र ब्याज जमा करा लिया जाए तो किसान इस मार से बच जाएगा। साहूकारों के शोषण से बच जाएगा। दोबारा उसके पास साधन होगा तो वह पैसा जमा करा सकता है। मेरा निवेदन है कि यह सुविधा किसानों को दी जानी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र अग्रवावल और श्री नारणभाई काछड़िया को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा। छोटा उदयपुर एक आदिवासी इलाका है, जहां से गीताबेन जी चुन कर आई हैं।

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर, गुजरात में विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ जैसे फ्लोराइड, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लेथेनाइट इत्यादि भंडार है। पूर्व गुजरात सरकार द्वारा कवांट ताल्लुका के कड़ीपानी और अमबाडुनगर में फ्लोराइड खनन का कार्य किया

जाता था, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसके साथ ही क्षेत्र के हजारों स्थानीय निवासियों को भी रोजगार की प्राप्ति होती थी।

वर्तमान में कुछ अप्रत्याशित कारणों की वजह से यह कार्य बंद है। मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर गुजरात में अभी भी अनेक प्रकार के खनिज सम्पदा के भंडार होने की संभावना है। वर्तमान में पुनः उसी स्थान पर कवांट तालुका में लेथेनाइट और रेअर अर्थ एलिमेंट के भंडार होने का पता चला है। वह सोना से भी अधिक कीमत वाला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि खनिज मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल को यथाशीघ्र छोटा उदयपुर में गहन जांच के लिए भेजा जाए, जिससे क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा की सही वस्तुस्थिति का पता चल सके और इन संसाधनों की विस्तृत कार्य योजना बना कर हजारों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री नारणभाई काछड़िया को श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1115/NK/SMN)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सारी भाषाओं का उल्लेख है और आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यताओं का दर्जा मिला हुआ है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में सदन में बहुत से नए इतिहास बने हैं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में मान्यता मिली, वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को मान्यता मिली, वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को मान्यता मिली। भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाएं ऐसी हैं जो राज्य विधान सभाओं से अनुमोदित हो चुकी हैं और इनकी पहचान अब केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको मान्यता मिल चुकी है। मारीशस ने भी वर्ष 2011 में भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया। नेपाल में कैबिनेट मंत्री हेमराज टाटेर ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। नेपाल की संविधान सभा में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल चुकी है। मारीशस, गुयाना, फिजी, सूरीनाम में मान्यता मिल चुकी है। अब माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, पिछली तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने हम और मेघवाल जी थे। यह मामला लगातार चौथी लोक सभा से चल रहा है। इस संबंध में कम से कम अभी तक 18 बार निजी विधेयक आ चुके हैं, स्पेशल मेशन, कॉलिंग अटेंशन लगातार आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। कम से कम 16 देशों में 20 करोड़ लोग बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय कहता है कि आखिर हम किस तरह से मान्यता दें क्योंकि और भी बहुत भाषाओं के लिए मान्यता की मांग हो रही है। सदन इस बात को तय कर ले कि जिन भाषाओं को राज्य की विधान सभाओं ने आठवीं अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति की हो, उन राज्य विधान सभाओं की संस्तुति को मान जाए और उन भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिला है। ऐसी तमाम भाषाएं जो लंबित हैं, उनमें केवल तीन भाषाएं भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने मान्यता दे दी है, तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का निर्देश हो

जाए। यहां माननीय रक्षा मंत्री प्रकाश जी बैठे हैं, इन तीनों भाषाओं को मान्यता दी जाए। इसमें पैसे का कोई खर्च नहीं होना है। इससे पहले एक करोड़ से कम आबादी में बोले जाने वाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं, ऐसी भाषाएं जो भारत की नहीं हैं, नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री हरीश द्विवेदी, डॉ. संजय जायसवाल और श्री चुन्नी लाल साहू को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, जगदम्बिका जी ने अभी भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में बताया। यह भी ठीक है कि कुछ साल पहले नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। ईस्टर्न जोन में भोजपुरी भाषा की अलग तरह की मेजोरिटी है। इस विषय पर सरकार को जल्दी से जल्दी बिल लाकर भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में मान्यता देनी चाहिए। हम इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं।

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Hon. Speaker Sir, I rise here to raise a very important issue. Most of us come here from the students' movement. Today, it is very unfortunate that in most of the Central Universities, students' union elections have not taken place. Most of those institutions were established during non-cooperation movement. गांधी जी के असहयोग आंदोलन की पैदावार के कई विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन देश में हैं। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हुआ। मैं खास तौर से असहयोग आंदोलन से उपजे हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के संबंध में कहना चाहता हूं। यहां वर्ष 2005 से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर छात्र संघ के चुनाव देश में, कुछ न कुछ बहाना लेकर बैन कर दिए जाएंगे तो जो अच्छे छात्र नेता संघर्ष करके हाउस में आते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, मैं देख रहा हूं पिछली सरकार में दो एचआरडी मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं, दोनों के संज्ञान में होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में वर्ष 2005 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव इस बात को लेकर बैन करना कि कभी किसी छात्र संघ के चुनाव में छोटी-मोटी वाएलेंस हो गई थी, इसलिए 15 साल तक चुनाव न कराएं, यह छात्रों के साथ अन्याय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہ): محترم اسپیکر صاحب، گاندھی جی کے اسپیوگ آندولن کی پیداوار کے کئی یونیورسٹیز اور ادارے ملک میں ہیں۔ الا آباد یونیورسٹی میں چناؤ نہیں ہوا۔ میں خاص طور اسپیوگ آندولن سے اُچی ہوئی مرکزی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں سال 2005 سے طلبا یونین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔

یہ بہت ہی بد قسمتی کی بات ہے، کہ اگر طلبا یونین کے انتخابات ملک میں کچھ نہ کچھ بہانا لیکر بین کر دیا جائیں گے تو جو اچھے چھاتر نیتا جدوجہد کر کے اس ایوان میں آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ میری آپ کے ذریعہ سرکار سے گزارش ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلی سرکار کے دو ایچ۔آر۔ڈی۔ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں۔ دونوں کی جانکاری میں ہوگا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سال 2005 سے طلبا یونین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ دہلی میں طلبا یونین کے انتخابات اس بات کو لیکر بین کرنا کہ کبھی کسی طلبا یونین کے انتخابات میں چھوٹی موٹی وائلینس ہو گئی تھی، اس لئے 15 سال تک انتخابات نہ کرائیں، یہ طالب علموں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1120/SK/MMN)

HON. SPEAKER: Shri Rahul Kaswan – Not present.

Shri Subrat Pathak – Not present.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Speaker, Sir, in the history of the modern world, India is the country which witnessed the most heinous refugee crisis just after the Partition in 1947. Later, we introduced the world view and followed the diplomatic stand, the idea of *Vasudhaiva Kutumbakam*. We are all proud of our tradition of welcoming all to this land. We had a history of protecting the suppressed people. But now we are deviating from this tradition.

Our stand towards the Rohingya refugees is not a part of our beautiful tradition of pluralism. A new India should not be against the humanity. According to the United Nations, the Rohingyas are the most persecuted people in the world. They approach India with a hope. They think that India will protect them because we have the ideas of *Loka Samastha Sukhino Bhavanthu* and *Atithi Devo Bhava*. But our Government is discriminating the refugees on the basis of religion. I wonder how it is possible for us because we teach the world *Manava Seva Madhava Seva*, which means, being in the service of humans is equal to being in the service of God.

The Rohingyas in the entire world are living in a very pathetic condition. The 40,000 Rohingyas in our country are living in a very miserable situation. They do not have proper shelter, sanitation, nutritious food and education. ...*(Interruptions)* I request the Central Government to consider their situation and provide them with basic needs and security to live here. ...*(Interruptions)* I request the Central Government to start diplomatic interference in the Rohingyas crisis. ...*(Interruptions)* We need to help them to go back to their country with full safety. ...*(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Shri Sushil Kumar Singh – Not present

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: सिर्फ नन्द कुमार जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एनडीए की मोदी सरकार ने देश भर में करोड़ों किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना शुरू की है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। प्रति किसान 6,000 रुपये की राशि तीन समान किशतों में दी जाती है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बंटना विधिवत प्रारंभ हो गया है और किसानों के खातों में किशतें जा चुकी हैं। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार की उदासीनता के कारण करोड़ों किसान इस निधि से वंचित हैं। भारत सरकार की किसान हितैषी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ करोड़ों किसानों को दिलाने में मध्य प्रदेश सरकार उदासीनता बरत रही है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मध्य प्रदेश के किसानों को दिलाने के लिए राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को श्री नन्द सिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): माननीय अध्यक्ष जी, जलियां वाला बाग मेसाकर को इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। उस हत्याकांड में हजारों लोग शहीद हुए, जख्मी हुए। शहीद ऊधम सिंह जी की शहीदी को 80 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऊधम सिंह जी ने 21 साल इंकलाब की ज्वाला को अपने अंदर जलाए रखा था। उन्होंने वर्ष 1919 में लैफ्टिनेंट गवर्नर डायर को लंदन में मारकर जलियां वाले बाग हत्याकांड का बदला लिया था और अंग्रेज सरकार ने उनको लंदन में फांसी दी थी।

(1125/VR/SK)

वर्ष 1974 में माननीय इंदिरा जी की सरकार थी, तब सरदार ऊधम सिंह जी की अस्थियों को भारत लाया गया था। ऊधम सिंह जी का गांव सनाम में अंतिम संस्कार किया गया था और कुछ अस्थियां जलियां वाला बाग में रखी गई थीं। आज भी सरदार ऊधम सिंह जी के बिलोंगिंग्स जैसे नाइफ, रिवाल्वर, डायरी और अन्य चीजें लंदन में पुलिस के कब्जे में हैं। अभी पंजाब सरकार ने सनाम में मेमोरियल बनाना शुरू किया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि सरदार ऊधम सिंह जी के जो बिलोंगिंग्स लंदन में हैं, उनको भारत लाया जाए और उस मेमोरियल में रखा जाए। उनकी शहीदी के 80 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर भारत में कोने-कोने में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी उस वक्त के नौजवानों की शहादत और देशप्रेम के बारे में जान सके।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

डॉ. संजय जायसवाल और श्री मलूक नागर को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, a new trend has come to our notice that urbanisation is often seen as synonymous with India's economic growth. But it is now reeling under shortage of water. Many big cities are already mired in deep water crisis or heading towards it. Mindless exploitation of groundwater has almost exhausted what could have been used as an option in times of crisis.

In 2018, a Report of NITI Aayog has stated that 21 major cities in India with a population of 100 million people would reach zero groundwater level by 2020. Further, continuous movement of people towards urban cities in search of employment opportunities have been aggravating the problem of water scarcity in urban areas.

In rural India, most villages do not have any civic supply of water and depend exclusively on groundwater. Rampant use of tube wells for irrigation has led to serious depletion of groundwater. Discriminate use of fertilizers and pesticides in farming is polluting both ground and surface water sources. It is true that as of now the poor bear the brunt of water shortages in our country. But the time is not far when people from well-to-do families will also face this problem. Unless steps are taken, India water management is bound to lead us towards a catastrophe of unimaginable and probably irreversible proportions.

I, therefore, urge upon the Government to take radical steps to address the issue of water scarcity in our country. The Government at all levels must come together to promote water conservation and prevent contamination of both ground water and surface water.

At this juncture, I would also like to request you one more thing. A decision is being taken by the Business Advisory Committee to club both water management and crisis with flood. This should be discussed separately so that relevant Ministries should answer it when the debates take place. But this is a very acute problem which India is going to face in 2020. NITI Aayog has brought it to the notice of the country.

I urge upon this House to deliberate upon this and also the Government to take adequate steps to restore our water bodies and ground water to the extent so that we can tide over the situation. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1130/MK/SAN)

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया मैं भावनगर से आती हूँ। भावनगर के प्रजावत्सल महाराज ने आजादी से पहले भावनगर और ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को रेलवे की सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने खुद रेलवे लाइन बिछवाई थी तथा सबसे पहले हमारे सौराष्ट्र जोन में रेल चालू की थी। लेकिन, समय के साथ ये सारी रेलवे लाइन्स बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन्स अभी भी भावनगर सिटी एवं डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। अभी रेलवे की बहुत सारी लैन्ड्स नॉन यूज्ड पड़ी हुई हैं और बहुत सारी जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है। पूरे भावनगर

डिस्ट्रिक्ट में 280 हेक्टेयर, बोटोद में 50 हेक्टेयर और भावनगर शहर के बीचोंबीच रेलवे की 100 हेक्टेयर लैंड ऐसे ही पड़ी हुई है। हमारे भावनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लैंड की जरूरत है। एक एनजीओ ने रेलवे की लैंड पर बहुत अच्छा काम करके सिटी के बीच ब्यूटीफिकेशन का कार्य किया है। अभी वहां हजारों की संख्या में लोग उसका यूज वॉक और जॉर्गर्स पार्क के लिए कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं और मांग करती हूं कि सिटी के बीचोंबीच जो नॉन यूज्ड लैंड्स पड़ी हुई हैं, उनको भावनगर कार्पोरेशन को दिया जाए, जिससे हमारा कार्पोरेशन ब्यूटीफिकेशन का कार्य कर सके और भावनगर तथा बोटोद जिले की सुन्दरता में बढ़ोतरी हो सके, लोग उनका यूज कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री नारणभाई काछड़िया को डॉ. भारतीबेन डी. श्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं त्रिपुरा स्टेट से आती हूं। हमारे स्टेट के किसान पाइनएप्पल फ्रूट का उत्पादन करते हैं। इस फ्रूट पर आधारित एक फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट नेरामैक है। असम के सिल्चर, करीमगंज तथा मिजोरम के किसानों का फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर नेरामैक, कुमारघाट में है। लेकिन, पिछले कुछ सालों से यह सेंटर बंद है। हमारे राज्य का पाइनएप्पल दुनिया का सबसे मीठा पाइनएप्पल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि नेरामैक प्रोजेक्ट, जो पिछले 10-12 सालों से बंद है, उसको पुनः चालू करें तथा मिजोरम, करीमगंज, सिल्चर और त्रिपुरा के किसान जो पाइनएप्पल की पैदावार करते हैं, उनको लाभ मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, क्योंकि त्रिपुरा एक स्टेट फ्रूट राज्य है। सरकार आने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी ने त्रिपुरा को स्टेट फ्रूट घोषित किया था। हमारे स्टेट में क्वीन पाइनएप्पल है, जो बहुत अच्छा है और अभी इसकी पैदावार भी अच्छी हो रही है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों के उत्पाद को दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि नेरामैक प्रोजेक्ट को पुनः चालू करे, जिससे किसानों का अच्छा लाभ मिले तथा बेरोजगारों को रोजगार मिले। धन्यवाद।

SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Jal Shakti towards the acute shortage of drinking water in Karnataka, especially in my Devanagere parliamentary constituency.

The Devanagere parliamentary constituency of Karnataka is in the middle of the State. According to the Nanjundappa Report, my constituency has more backward taluks which are facing water scarcity and many other problems. The groundwater level has depleted as there is no water in lakes and ponds. There is no water in the borewells even at a depth of 1,000 feet. At some places, the water is harmful with high fluoride and not safe for drinking.

Even though the River Tungabhadra passes through my constituency for 70 kilometres, there is acute shortage of water. All the lakes should be filled with water by lifting it from River Tungabhadra. It will solve the problem of water shortage and also recharge the groundwater.

Since the Karnataka Government is unable to release its share of grant to the drinking water projects, I urge upon the Union Government to take special care of Karnataka, particularly backward constituencies like Devanagere, to solve the drinking water problem at the earliest, for the benefit of the people. Thank you.

(1135/YSH/RBN)

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य लद्दाख से आते हैं, लद्दाख का क्षेत्र शायद इस देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। माननीय सदस्य वहां की कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लद्दाख से आता हूँ और मैं इस सदन में एक युवा सदस्य होने के नाते आपके माध्यम से यूथ और स्पोर्ट्स के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

लद्दाख में विन्टर में आइस हॉकी का बहुत महत्व है। इस खेल का महत्व केवल लद्दाख में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश में और विदेशों में भी है। लद्दाख में विशेष रूप से युवक-युवतियां इस खेल में जोर-शोर से रुचि ले रहे हैं। सन् 1970 से यह खेल लद्दाख में खेला जा रहा है। लद्दाख में इन्टरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा एशियन चैलेंज कप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें वर्ष 2009 से लद्दाख के युवक युवतियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने ज्यादातर मैडल इंडिया को रिप्रजेंट करके भारत को गौरवान्वित किया है, लेकिन हमारे इंडिया में इस खेल का रिकॉग्नाइज स्पोर्ट न होने के कारण हमारे बच्चों की लाइफ व्यर्थ हो जाती है। इसके सर्टिफिकेट से जॉब में या कहीं और भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आइस हॉकी को रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बनाइए। साथ ही साथ लद्दाख में विन्टर स्पोर्ट क्लब जैसे और अन्य संगठन भी जो इसका आयोजन करते हैं, उन्हें भारत सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंट दे। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके महत्व के लिए लद्दाख में आइस हॉकी एकेडमी खोली जाए।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। लद्दाख बहुत बड़ा क्षेत्र है, परन्तु चुरू भी कम बड़ा क्षेत्र नहीं है। इस लोक सभा क्षेत्र की साढ़े तीन सौ किलोमीटर की लंबाई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका गर्मियों में तापमान 50.3 और सर्दियों में -1 तक चला जाता है। इतने बड़े क्षेत्र में तो पूरा हरियाणा कवर हो जाता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र एक केन्द्रीय विद्यालय है। मैंने पहले भी इस बारे में मंत्रालय से बात की है। मैं आपके मार्फत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहां सुजानगढ़ शहर है, जिसकी आबादी एक लाख से ऊपर है और उसको अमृत योजना में भी शामिल किया गया है, वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कृपा की जाए और साथ ही साथ इतने बड़े जिले में कम से

कम दो केन्द्रीय विद्यालय तो होने ही चाहिए। पिछली सरकार में सांसदों को आठ एडमिशन का कोटा मिलता था जो बाद में दस कर दिया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संख्या को कम से कम 25 कर दिया जाए तो हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): अध्यक्ष जी, धन्यवाद आज आपके माध्यम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतीय चंदन का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तमाम शायरों और साहित्यकारों ने भारतीय मलयागिर चन्दन की अपनी-अपनी तरह से व्याख्या भी अपने साहित्य ग्रंथों में की है। प्रत्येक वर्ष लगभग तीन हजार मिट्रिक टन चंदन की लकड़ी से तेल निकालने का काम किया जाता है, जिसमें एक मिट्रिक टन लकड़ी से 47 से लेकर 50 किलोग्राम तक चंदन का तेल प्राप्त होता है। बाजार में एक कि.ग्रा. तेल का मूल्य एक लाख रुपये के आसपास है। हमारी सनातन संस्कृति में चन्दन का उपयोग ईश्वर की अराधना में होता है साथ ही आयुर्वेद, कास्मेटिक, इत्र आदि के उपयोग में आने के कारण चन्दन की लकड़ी और तेल की भी दुनिया भर में भारी डिमांड है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज डिमाण्ड के सापेक्ष हम बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जिस चंदन को दुनिया में हमारे ऋषियों, मुनियों ने जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त अंतिम संस्कार में सर्वोच्च स्थान दिया, वहीं आज हमारी नीतियों के कारण हमारे अपने ही बाजार में बाहर से आयात करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 के पूर्व तो चंदन का पेड़ काटना भी अपराध की श्रेणी में था। कुछ नियमों में शिथिलीकरण जरूर हुआ परन्तु आज भी बहुत जटिलता है। वर्ष 2000 से पहले बड़ी मात्रा में तमिलनाडू सरकार के द्वारा चंदन की लकड़ी का आक्शन किया जाता था, इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से वन विभाग से अपने काम के लिए चन्दन की लकड़ी की खरीददारी कर लिया करते थे, किन्तु वन विभाग के द्वारा चन्दन के पेड़ पर रुचि न लेने के कारण से यह विलुप्ति के कगार पर आता जा रहा है। जबकि आस्ट्रेलिया ने दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व बाजार में चंदन का निर्यात करने में अपना स्थान मजबूती से बना लिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि आज जिस प्रकार से आस्ट्रेलिया ने 13 हजार हेक्टेयर से भी अधिक भारत के चन्दन के पेड़ लगाकर भारत में ही निर्यात कर रहा है, तो हमारे देश में भी इसे बढ़ावा मिलना चाहिए और चन्दन के पेड़ लगाने का काम हमारी भारत सरकार करे, धन्यवाद।

(1140/RPS/SM)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री सुब्रत पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, अब पहली बार चुनकर आने वाले माननीय सदस्य पहली बार सदन में बोलेंगे। मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ।

श्रीमती कविता सिंह ।

श्रीमती कविता सिंह (सिवान): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान शहर में जाने वाली मुख्य सड़क – एनएच-531, जो छोटपुर से चारढाला तक जाती है, की लम्बाई लगभग साढ़े आठ किलोमीटर है। इस सड़क की हालत अत्यंत ही जर्जर है। पथ में जगह-जगह पर गड्ढे हो गए हैं, वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण हमेशा यातायात में जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं से दूसरी सड़क बबुनिया मोड़ से स्टेशन रोड तक जाती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि बरसात के मौसम में पथ की स्थिति काफी खराब हो जाती है और वहां के लोगों को आने-जाने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत-सी दुर्घटनाएं होती हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि छोटपुर से चारढाला तक जाने वाली सड़क और बबुनिया मोड़ से स्टेशन रोड तक जाने वाली सड़क को बनवाने की कृपा करें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ।

SHRI A. NARAYANA SWAMY (CHITRADURGA): Thank you, Speaker, Sir that you have permitted me to speak about my constituency. The people in my constituency are facing so many problems. The major problem is water problem due to low rainfall. It is a drought area. There is no rainfall at all. Ground water has reached below the 1000 feet level.

The Government of Karnataka is taking clearance from the Central Water Commission for Upper Bhadra project in Karnataka under Jaldhara Yojana for irrigation and drinking water to prevent and control fluorosis in Chitradurga and Tumkur districts.

I would like to bring to your kind notice that the above-stated prestigious project benefits four districts of the central part of Karnataka, that is, Chitradurga, Tumkur, Davanagere and Chikkmagaluru. The project proposes to irrigate 2,25,000 hectares of land of these drought-prone districts by drip irrigation and meet the need of water.

The size of this project is more than two lakh hectares and is qualified for consideration to be declared as a national project. It is also eligible for Central assistance. It is in the final state of getting clearance. The total cost of this project is Rs.12,340 crore out of which Rs.2,835 crore has already been spent. This project is specially meant for 'Per Drop More Crop'.

Sir, the public health of this area is heavily affected by excess intake of fluoride through drinking water, food products etc. for a long period. It results in major health disorders like dental fluorosis, skeletal fluorosis, non-skeletal fluorosis etc. Children are with discoloured and disfigured teeth. It may be chalky white and it may have yellow, black spots or streaks on the enamel

surface. Discoloration is there in the gums. It also affects bones and joints of the human body.

The successive Governments of the past have given very less importance to develop my constituency due to which people have lost the hope. But now, Sir, people firmly believe that you are their only hope. They are looking at you to end the miseries of their lives.

Therefore, Sir, I kindly request the Central Government, through you, to look into the problems which I have outlined before you and issue all necessary directions to the concerned Ministry to carry out the necessary work in the interests of the people of my constituency. I have promised them that our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi Ji will bring the smiles back on their face.

Thank you for giving me the permission.

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल-महीसागर जिले की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, वहाँ कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन किया गया है, परन्तु अभी तक विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। इसलिए आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि महीसागर जिले में आवंटित भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय बनवाने की कृपा करें।

(1145/RAJ/AK)

दूसरा, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, पंचमहल जिला के रेल लाइन की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो वर्तमान समय में बंद पड़ी है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनहित में गोधरा-लोनावाला रेल लाइन का पुनः निर्माण करके रेल सेवा शुरू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI M.V.V. SATYANARAYANA (VISAKHAPATNAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me an opportunity. This is my maiden speech.

Firstly, I would like to express my wholehearted thanks to Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* for giving me the opportunity to be a Member of this august House. I also express my sincere thanks to the people of my Visakhapatnam Constituency for having reposed faith in me. The matter, which I wish to raise here is an important issue pertaining to the Visakhapatnam Steel Plant.

Sir, the Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) popularly known as Vizag Steel Plant, was established in the year 1971. The RINL is the only largest steel plant in my State of Andhra Pradesh, which was set up on the coastline in

an area of 22,266 acres. The country's first coastal steel Plant Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL), which had a huge production capacity of about 7.2 million tonnes per annum in the last fiscal year is facing a challenge of raw material insecurity as it does not own any iron ore mine.

It is learnt that the management of Vizag Steel Plant had recently initiated talks with the Odisha Government for earmarking a specific mine for it. Besides, it is taking efforts to restart some of the mines of its subsidiary Orissa Minerals Development Company (OMDC) where leases lapsed long back and have not yet been renewed. The

RINL management and the Government of Andhra Pradesh have requested the Union Government / Ministry of Mines to allocate permanent captive iron ore mines to this steel plant. However, no positive action has been taken so far.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Prime Minister to personally intervene in this matter and direct the Ministry of Mines to immediately allocate captive iron ore mines to RINL, so that the production of this *Navratna* steel industry is not affected. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : कोई भी पुराने माननीय सदस्य हाथ नहीं उठाएं, आज उनका नम्बर नहीं आने वाला है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

*SHRI JAGANNATH SARKAR (RANAGHAT): Hon. Speaker, Sir, my constituency is an area bordering Bangladesh. After the year 1971, the religiously persecuted persons crossed over the border and joined either congress or CPIM and now they are ... (*Not recorded*) to get illegal citizenship. But unfortunately, there is no proper way of granting citizenship to these people. As per the Indira-Mujib Treaty of 1971, why the refugees crossing over to India due to religious reasons will not be granted citizenship. It was the Bengali community which spearheaded the Indian freedom struggle, youths of Bengal sacrificed their lives for the independence of the country, they were executed in the process.

So why that Bengali community will not be granted legal citizenship right? The Rohingyas are being granted citizenship illegally though. Their issues are being raised in this Parliament but the people who ushered in Independence, after Partition based on Two-Nation theory, the Hindus of that country, the Buddhists, the Jains – why won't they be granted Indian citizenship, why after staying here for 40 years, they won't be able to get passports and why will they have to run from one place to another? Some permanent solution is required for this. NRC must be implemented here and the refugees will have to be granted citizenship. NRC cannot be devoid of citizenship rights. The religiously persecuted persons must be granted Indian citizenship rights. This is our demand.

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, he cannot say this. ...*(Interruptions)* Sir, this should be expunged from the records. ...*(Interruptions)*
(1150/IND/SPR)

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री भरत सिंहजी डाभी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ भरत सिंहजी की बात अंकित होगी।

श्री भरत सिंहजी शंकरजी डाभी (पाटण): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गुजरात राज्य के मेहसाणा-तारंगा रेलवे लाइन की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ...*(व्यवधान)* इसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने का कार्य दो साल से बहुत धीमी गति से चल रहा है, इस वजह से यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसी प्रकार तारंगा से आबू रोड वाया अम्बाजी रेल लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है और इसका डीपीआर भी बन चुका है, लेकिन अभी तक इस लाइन का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

महोदय, मैं रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेहसाणा-तारंगा रेलवे लाइन के कार्य में तीव्रता लाई जाए एवं तारंगा से आबू रोड वाया अम्बाजी रेल लाइन के निर्माण का कार्य जल्दी से शुरू किया जाए।

SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY (NELLORE): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a very important issue of setting up of a Concrete Sleeper Manufacturing Unit at Bitragunta, Nellore District, Andhra Pradesh. The then Railway Minister, Shri Lalu Prasad laid the foundation stone for the Concrete Sleeper Manufacturing Unit at Bitragunta, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh but the project remained a non-starter despite efforts by peoples' representatives from time to time. In order to use 1,100 acres of land

belonging to the Railways which is lying idle at Bitragunta, we have prevailed upon the then Railway Minister to sanction the Unit in 2005. The project never took off due to indifferent attitude of the railway authorities and despite allocations being made in the Budget. In fact, Bitragunta was an important landmark for Railways, and it was one of the biggest locomotives sheds in Indian Railways till steam engines were replaced by diesel and electrical locomotives. The loco shed was constructed in 1885 and the roundhouse with turntable facilities was added in 1934. The shed had the capacity to handle 50 steam locomotives with major yard and interchanging depot for drivers and guards. It is still an interchanging depot for guards and drivers of goods and passenger trains.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Railway Minister to start this project as early as possible.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Respected Speaker, Sir, if there is any moment on the globe every Indian feels proud of, it is definitely a glimpse of our Indian National Flag. Tricolour flag was designed by late Pingali Venkayya *Garu* in 1921, and was presented to Mahatma Gandhi at the Congress Working Committee meeting held at Vijayawada.

We are deeply pained to mention that such a freedom fighter, social worker and war veteran was not adequately recognised by both the State Government and the Central Government till date. Today, the 2nd August is the birth anniversary of late Pingali Venkayya *Garu*. On this occasion, we request the Government to extend recognition to the designer of the National Flag by implementing the following.

We propose, on behalf of the YSRCP, that the largest Indian National Flag be installed in Bhatlapenumarru Village of Movva Mandal, Krishna District, Andhra Pradesh, which is the birthplace of late Pingali Venkayya *ji*. We hope that this hon. House with full vigour and strength extends its applaud to this proposal to honour the designer of the Indian National Flag.

Further, we propose an amendment to the National Flag Code to the effect that no larger or equivalent dimensions of this Indian National Flag be installed in the native place of late Pingali Venkayya *ji* will ever be erected elsewhere.

We hope that the entire august House will pay this honour to the designer of the Indian National Flag. We request full support of this hon. House for this proposal.

(1155/PC/UB)

पोषण अभियान में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में उल्लेख

1155 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सितंबर माह में देश में पोषण अभियान की शुरुआत होगी। हम सब माननीय सदस्यगण, हमारी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस देश से कुपोषण को समाप्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, पोषण मतलब न्यूट्रिशन।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, आप इतने कठिन-कठिन हिंदी शब्द बोलते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह हिन्दुस्तान की संसद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सब सक्रिय जन-भागीदारी के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से, आने वाले समय में इस देश से कुपोषण को समाप्त कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने लोक सभा क्षेत्र में कुपोषित मां को जन-भागीदारी के माध्यम से, ताकि कुपोषित मां को अच्छा पौष्टिक आहार मिले। इससे मां भी कुपोषित होने से बचेगी और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ होगी।

मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब इस अभियान में जन-भागीदारी निभाकर एक जनांदोलन खड़ा करें। आजादी के 70 सालों के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे सदन के नेता ने भी यह फैसला किया है कि इस देश से कुपोषण समाप्त होगा। हम कुपोषण को समाप्त करने में अपनी जन-भागीदारी दिखाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना वक्तव्य दें।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): * (Sir, here, Kalyan da has stated that he is unable to understand Hindi. But I have to try to speak in Hindi or English because other hon. Members cannot speak Bengali.)

But, today, I rise to appreciate your concern with regard to the nutritional challenge faced by women and children across the country. This House has

* Original in Bengali

witnessed that for two days, under your leadership, we discussed issues pertaining to safety and security of children and today, Sir, you have initiated a concern, a talk amongst our Members of Parliament with regard to nutritional security for children.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभार इसलिए प्रकट करती हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। आज इसी सप्ताह में आपने न्यूट्रिशन के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर के हमें कृतज्ञ किया है। बच्चे के जीवन के पहले हजार दिन उसे कुपोषण से बचा सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के मेंबर्स से आग्रह करना चाहती हूँ कि प्रत्येक राज्य में फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड, ज़िलावार, ब्लॉकवार और गांववार, ब्रेस्ट फीडिंग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चा जन्म के पहले एक घंटे में ही मां से पौष्टिक गाढ़ा दूध प्राप्त करे, इसमें अगर सारे के सारे सदन के मेंबरान अपनी कांस्टिट्यूएन्सी में कहां-कहां ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है अथवा अगर आपको लगता है कि आपके यहां इसे प्रॉपर्टी नहीं मनाया जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क करें, ताकि हम उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपने पोषण अभियान का उल्लेख किया, जिसकी शुरुआत प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुई, लेकिन क्या प्रधान मंत्री जी पोषण के संदर्भ में मात्र तब ही चिंतित हुए, जब वे प्रधान मंत्री बने? ऐसा नहीं है। जब वे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए, जिनमें से एक का मैं यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ, जिसे सांसद बिना किसी कॉस्ट के अगर आज चाहें तो अडेप्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम है – 'तिथि भोजन'। जब मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं प्रकाश जी और निशंक जी की तरह शिक्षा मंत्रालय में थी, तब वर्ष 2015 में मैंने सभी राज्यों से, सभी सांसदों से यह अपील की थी कि आप 'तिथि भोजन' के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें। 'तिथि भोजन' क्या है? हम सब अपने परिवारों में अपने प्रियजनों का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं।

(1200/SPS/KMR)

हम जितना पैसा केक काटने या मिठाई बांटने में खर्च करते हैं, उतने ही पैसे में एक स्पेशल मिड डे मील, 'तिथि भोजन' हम मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी में अपने और अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं? इसके लिए हम बाकी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में प्रोत्साहित कर सकते हैं। सभी सांसद लायंस क्लब, रोटरी क्लब और अन्य ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्र में किसी न किसी फैक्ट्री ऑनर को जानते हैं, किसी न किसी वेलफेयर एसोसिएशन को जानते हैं या ट्रेड एसोसिएशन को जानते हैं। हम उनसे भी और अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गजों से भी इसके लिए अपील कर सकते हैं। यह तिथि भोजन का कांसेप्ट वालंटरी कांसेप्ट है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। हम सब इतने संवेदनशील हैं कि हमने इस प्रकार का कोई न कोई आयोजन किया है। अगर हम अपने से शुरुआत करते हैं तो मुझे निश्चित

ही इस बात का आभास है कि आपके क्षेत्र में बाकी लोग भी आपके चलन को देखते हुए इस विषय को अपनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने कही थी कि जन भागीदारी बने। वर्तमान में 14 लाख फील्ड फंक्शनरीज न्यूट्रीशन के संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में देश भर में काम कर रही हैं। इसके 7 हजार 75 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों से अपील करती हूँ। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। पोषण अभियान मात्र डब्ल्यू.सी.डी. का कार्यक्रम नहीं है, मात्र प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का समन्वय से योगदान होता है, नीति आयोग के साथ-साथ मेरा आग्रह है और हैल्थ मिनिस्ट्री भी एनिमिया मुक्त भारत के लिए कोशिश कर रही है। हैल्थ मिनिस्ट्री का टी-3 नाम का एक प्रोजेक्ट है, ताकि महिलाएं और बच्चे एनिमिया से मुक्त हों। यह एडोलिसेंट गर्ल्स के साथ-साथ एडोलिसेंट बॉयज में भी पाया जाता है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दिशा की मीटिंग करते हैं तो आप विशेष टी-3 कार्यक्रम के बारे में अपने हैल्थ ऑफिसर से जानकारी ले सकते हैं। हर गांव में विलेज हैल्थ सैनिटेशन एण्ड न्यूट्रीशन कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। आप अपने क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि क्या मेरे क्षेत्र के सभी गांव में विलेज हैल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रीशन कमेटी का गठन हुआ है?

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात है कि मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि हर गांव में हर मां विलेज हैल्थ न्यूट्रीशन डे मनाना हमारी ओर से प्रस्तावित है, हैल्थ मिनिस्ट्री की ओर से प्रस्तावित है। अगली बार जब आप अपने क्षेत्र में जाएं, आपको अपने क्षेत्र में महीने में एक ही दिन मनाना है। ... (व्यवधान) आप उसमें भागीदारी दे सकते हैं। कल्याण बनर्जी जी कह रहे हैं कि मैं 17 जून से यहीं पर हूँ, मैं फील्ड में कैसे जाऊँ। मुझे लगता है कि उनकी राजनीति जब तक सीमित नहीं हो जाती है, तब वह सदन में हैं। उनके कई ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, जो महिला और बच्चे के उत्थान के लिए अपनी अग्रिम भूमिका निभाना चाहते हों। MPs are influencers also socially. So, whatever might divide us politically, at least socially we can all, under your leadership and that of the Prime Minister, come together to resolve for a malnutrition-free India. My grateful thanks to you, hon. Speaker, for at least allowing me. Sir, normally you do not allow any MP. लेकिन आज आपने कहा था कि जो सदन में पहली बार एम.पी. बना है, तो मैं भी पहली बार बनी हूँ। उस दृष्टि से आपके सम्मुख मैं यह प्रस्तुत करना चाहती हूँ। We have, through the Ministry, for only the Nutrition Abhiyan, created a whole protocol that *Jan Pratinidhis* can undertake. With your permission, Sir, I would like to share it with all the Members of the House so that they know what is the protocol that they can be a part of.

I reiterate, Sir, that the first thousand days are extremely important. We in the country are celebrating in conjunction with all States, the World Breastfeeding Week. Let us begin by protecting our children against malnutrition from the day, the minute they are born. Thank you, Sir.

(1205/SPS/SNT)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, आपको जो चिंता है और आपकी चिंता के साथ-साथ मंत्री जी ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो हमारे देश के आम लोगों की औसत आयु 28 से 30 साल थी। धीरे-धीरे यह आयु बढ़ते-बढ़ते आज 70 साल पहुंच गई है। हिन्दुस्तान में यह कार्यक्रम और कुपोषण के खिलाफ जंग आज से नहीं है, आजादी के बाद से चलाई जा रही है। इसके लिए आई.सी.डी.एस. और मिड डे मील इत्यादि तरह-तरह की स्कीम्स हैं।

सर, मैं दूसरे पहलू पर आपका और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह सरकार हर बात में खुद की वाह-वाही करती रही है, लेकिन हिन्दुस्तान के आर्थिक हालात चरमराते जा रहे हैं, जर्जर होते जा रहे हैं। यह मैं नहीं कहता हूँ, यह सी.ए.जी. कहता है। The Comptroller and Auditor General of India has pointed out lacuna in the Goods and Services Tax regime. ...(*Interruptions*). The CAG is saying that even after two years of rollout of GST, system validated Input Tax Credit through invoice matching is not in place and non-intrusive e-tax system still remains elusive. ...(*Interruptions*) सर मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: आप डिबेट में बोल लेना।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): जो राहुल गांधी जी का ट्वीट था, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। In its report on GST for 2017-18, tabled in Parliament on Tuesday, the CAG said tax collection under GST slowed down in the first year of its rollout. ...(*Interruptions*)

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक

1206 बजे

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि मैं अपने जीवन में पहली बार संसद के सामने ऐसे अधिनियम में संशोधन लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019। मैंने सदन से आग्रह किया है कि वह इस पर चर्चा करे। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इस देश में जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। आज जब मैं यह प्रस्ताव संशोधन के लिए यहां रख रहा हूँ तो मुझे एक बात लगती है कि सरदार उधम सिंह जो उस समय पांच वर्ष के थे, उस नरसंहार के कारण उनके भीतर जो ज्वाला पैदा हुई, उसे उन्होंने 21 साल तक अपने भीतर दबाकर रखा। ... (व्यवधान) उसके बाद उन्होंने जनरल डायर पर गोली चलाई। आज से दो दिन पहले यानी परसों शहीद सरदार उधम सिंह जी की पुण्यतिथि थी, मैं उन्हें नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदन इसमें मेरा साथ दे। एक पांच साल का बच्चा जलियांवाला काण्ड के नरसंहार को देखता है और 21 साल तक उस बात को अपनी छाती में एक आंदोलन के रूप में रखता है, फिर देश से बाहर जाकर जनरल डायर पर गोली चलाता है।

मैं समझता हूँ कि आज के विधेयक का जो समय है, वह समय इस बात के लिए है कि वास्तव में यह उनको श्रद्धांजलि है। इसमें जो संशोधन है, वह संशोधन जलियांवाला बाग का शताब्दी वर्ष है। इस देश को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि उस नरसंहार को सौ वर्ष हो गए हैं, जहां पर महिलाएं, बच्चे और जलसा मनाने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। ब्रिटिश हुकूमत की सेना ने उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थीं। मैं दूसरी तरफ भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस शताब्दी वर्ष में मैं देश के प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस नरसंहार में जो शहीद हुए लोग हैं, उनकी स्मृति में लगातार वर्ष भर से कार्यक्रम चल रहे हैं।

1209 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members left the House.)

(1210/KDS/GM)

यह दुख का विषय है, और सिर्फ दुख का नहीं, कई बार चिंता होती है कि कांग्रेस के लोग इस बात के ठेकेदार बनते हैं। जिस महत्वपूर्ण बहस में वे यहां से बाहर जा रहे हैं, इससे ज्यादा दूसरी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अभी तक ऐसी सरकारें आती रही हैं जो संस्था पर कब्जा करना चाहती

हैं। मुझे लगता है कि जो बिल आया है, उसमें हमें यह भी तय करना पड़ेगा। मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग, जिसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें यह संशोधन लाकर इस सरकार ने राजनीतिकरण को अलग करने की कोशिश की है और राष्ट्रीयकरण और संस्थागत करने का काम किया है। यह हमारी नीति है, यह हमारा विचार है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि जो संशोधन हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ और उसके बाद यह चर्चा प्रारम्भ हो। इसमें बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। पहला यह है कि इस अधिनियम का नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम, 2019 होगा। दूसरा जो संशोधन जलियांवाला बाग अधिनियम में है, वह धारा 4 है और उसमें जो उसका 'ख' हिस्सा है, उसका लोप किया जाएगा, क्योंकि उसमें किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का नाम था और चूंकि शताब्दी हो गई है और राष्ट्रीय स्मारक सिर्फ देश के लोगों के लिए ही नहीं, देश के बाहर भी हजारों-लाखों लोग हैं, जो जलियांवाला बाग के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, इसलिए इसका लोप किया गया है। इसी का खण्ड-ख, उसमें पहले था कि लोक सभा का विपक्षी दल का नेता, तो उसमें यह संशोधन है कि लोक सभा में विपक्षी दल के नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष या जहां ऐसा नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है, तब उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उसके स्थान पर सदस्य होगा।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो संशोधन है, वास्तव में यह धारा 4 के छः का हिस्सा था। पहले जो भी लोग सरकार की तरफ से न्यासी के तौर पर वहां नॉमिनेट होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं होती थी, इसलिए मूल अधिनियम की धारा-5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जा रही है, बशर्ते कि धारा-4 की उपधारा-1 के खण्ड-छः के अधीन नाम निर्देशित न्यासी का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ये तीन छोटे संशोधन हैं और मेरा यह आग्रह है कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं, जो पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना स्थान रखती हैं, उनका राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इस प्रस्ताव की जो मूल मंशा है, वह मैं समझता हूँ कि सरदार ऊधम सिंह जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होगी, जिनकी दो दिन पूर्व पुण्यतिथि थी। मैं चाहता हूँ कि सदन इस पर विचार करे और इसको सर्वसम्मति से पारित करे। यह देश के लिए गर्व का विषय होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

1214 बजे

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): स्पीकर सर, जो बिल आज जलियांवाला बाग के ऊपर लाया गया है, सेक्शन 4 का जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल एक्ट-1951 में जहां प्रावधान मिला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रधान होगा, वह उसका ट्रस्टी होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। 13 अप्रैल, 1919 को जो काण्ड हुआ था, वह कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। उस समय रोलैट एक्ट आया था, जिसके विरोध में सारे देश में हड़ताल चल रही थी और सारा देश उस बात का विरोध कर रहा था। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था।

(1215/KDS/RK)

जब 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में आंदोलन हुआ तो वहां के सत्यपाल और डा. सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तारी हुई तो विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि जितने भी लोकल लोग देश की आजादी में भाग ले रहे थे, उनको इस बात का कष्ट हुआ। 12 अप्रैल, 1919 को हिंदू सभा कॉलेज में एक मीटिंग हुई, जो अमृतसर में है। उस मीटिंग की प्रधानगी कांग्रेस लीडर ने की। यह फैसला हुआ कि 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में डा. सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में एक मीटिंग होगी, जिसका प्रबंध मोहम्मद बशीर और कांग्रेस पार्टी के लीडर करेंगे।

सर, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जब से देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई है और सन् 1885 में कांग्रेस पार्टी स्थापित हुई है। डब्लू सी बनर्जी से लेकर देश की आजादी तक दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्र भाई बनर्जी, सी शंकर नायर जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, आर बी घोष जी, मदन मोहन मालवीय जी, एनी बेसेंट जी, मोती लाल नेहरू जी, देशबंधु चैतन्य दास जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, एम के गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नीलसेल गुप्ता जी, सुभाष चन्द्र बोस जी, जे बी कृपलानी जी।

श्री फिरोज वरुण गांधी (पीलीभीत): आप नामों की जगह मुख्य बात पर आइए।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): मैं बता रहा हूं। आप जरा ध्यान से सुनिए। ये वे लोग हैं, जिन्होंने पार्टी में रहकर देश की आजादी में हिस्सा लिया था। आपको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आपके पास 1947 के समय का कोई नाम लेने के लिए नहीं है। यह हमें पता है। अगर कोई होता तो शायद आप उसका नाम बहुत जोर से लेते। इन लोगों ने अपना खून दिया है। 13 अप्रैल, 1919 को जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के पांचों रास्तों को बंद करके फायर किए, जिसमें करीब 1000 लोग शहीद हो गए और 1500 के करीब घायल हो गए और इतिहास कहता है कि वहां करीब 10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद फिर मूवमेंट शुरू की। मोती लाल नेहरू जी की प्रधानगी में अमृतसर में कांग्रेस के एनुअल सेशन में फैसला हुआ कि अब इस जगह पर एक नैशनल मेमोरियल बनाया जाएगा और नैशनल मेमोरियल के लिए जगह चाहिए थी। उस जगह का प्रबंध उस समय 10 लाख रुपये में कांग्रेस पार्टी ने खरीदकर किया और वहां ट्रस्ट बना। उस समय देश की आजादी से पहले दो ही ट्रस्टी थे, सरदार पटेल और जवाहर लाल नेहरू। मैं जलियांवाला बाग की बात ही कर रहा हूं। आप इतिहास जाकर पढ़िएगा। मैं दूसरी बात नहीं कर

रहा हूँ जब 1951 में बिल लेकर आए, क्योंकि अकेली कांग्रेस पार्टी के एक तबके के लोग शहीद नहीं हुए थे, वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सभी जाति के लोग थे। जब बिल लेकर आए तो वहाँ इसी पार्लियामेंट में हमारे गुरुमुख सिंह मुसाफिर एक्स ऑफिशियो बिल लेकर आए कि इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट, पंजाब को भी ट्रस्टी होना चाहिए, लेकिन उस समय मना कर दिया गया कि यह सबका साझा है, किसी पार्टी का नहीं है। यह देश की आजादी से पहले हुआ है, उसके बाद जब देश का संविधान लागू हुआ तो इस तरह का बिल लेकर आए कि सभी ट्रस्टीज में से जो भी होगा, यह सबका साझा है। लेकिन अब जो पार्टी है वह इतिहास को खत्म करना चाहती है, क्योंकि जब ये पिछले पन्ने खोलते हैं और अपना इतिहास देखते हैं तो पाते हैं कि ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) का कहीं कोई भी नाम नहीं है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान)। मैं यह बात करूँगा तो आप बोलेंगे ही। ...(व्यवधान)। वीर सावरकर जी ने जो किया, मैं वही बताने जा रहा हूँ। जरा सुनकर जाइएगा। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट पर जब ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) की तरफ से दबाव आया तो ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) को देश की आजादी में हिस्सा लेने के लिए भारत रत्न दिया जाए, लेकिन उस समय मार्च, 2003 को ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) के सीनियर आइडियोलॉजिस्ट थे, पद्म भूषण के लिए उनका भी नाम लिस्ट में नाम डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था कि हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है।

(1220/SJN/PS)

उनका पार्टीशिपेशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था...(व्यवधान) आप इसीलिए तो दूसरा इतिहास भी मिटाना चाहते हैं कि जिनका है, उनका भी न रहे। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वही कौम तरक्की करती है, जो इतिहास को याद रखती है। जो इतिहास को खत्म कर देंगे, वह खुद भी खत्म हो जाएंगे, आप इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा...(व्यवधान) मैं अभी बता रहा हूँ, आप सुनिएगा...(व्यवधान) कांग्रेस का नाम किसलिए आना चाहिए था। मैं यह भी बता रहा हूँ, आप इंतजार कीजिए। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हुए हैं, मैं उस बात को याद कराता हूँ कि नेहरू जी नौ बार जेल गए थे और नौ सालों तक सलाखों के पीछे रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान जेल गई थीं। सरदार पटेल जी छः सालों तक जेल में रहे थे। गांधी जी दस बार जेल गए थे और उन्होंने लगभग सात साल तक जेल में काटे थे। कांग्रेस का नाम ऐसे ही नहीं आया है। आप सोचेंगे कि यह ऐसे ही ट्रस्टी बन गए हैं। इसके लिए बलिदान देना पड़ा है...(व्यवधान) यह हो सकता है कि आपके पुरखों में कोई हो, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते हैं। ट्रस्टी इसीलिए बने हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था...(व्यवधान) जनरल डायर ने वह कांड किया था, तो उसको दरबार साहब में किसने सम्मानित किया था और किसने खाना खिलाया किया था, मैं यह भी इन सबको बताना चाहता हूँ। रूड़ सिंह और सुंदर सिंह मजीठिया जी जनरल डायर के साथ चल रहे थे। ये लोग आज कांग्रेस का नाम मिटाने की एक साजिश लेकर इस बिल को

लेकर आए हैं। इसके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है... (व्यवधान) राहुल गांधी जी के पुरखों को देखिए, उन्होंने आज़ादी से पहले भी बलिदान दिए हैं और आज़ादी के बाद भी बलिदान दिए हैं। अगर उसमें आपका कोई एक आदमी है, तो आप उठकर बताइए... (व्यवधान) आज़ादी के बाद का बताइए... (व्यवधान) जिसने दिया है, हमें पता है... (व्यवधान) आप 1984 के बारे में बताइए... (व्यवधान) आप इसके ऊपर क्यों बोलते हैं... (व्यवधान) मेरे कहने का मतलब यह है कि इतिहास कांग्रेस का था, मूवमेंट कांग्रेस ने चलाई, 1947 से पहले शहीदी उन्होंने दी, जेल में वे लोग गए, मेमोरियल में जो मीटिंग होने वाली थी, वह कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। मेमोरियल के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सेशन किया, जगह कांग्रेस पार्टी ने खरीद कर दी थी, नेशनल म्यूजियम कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। देश की आज़ादी के बाद वर्ष 1951 में जब एक्ट लेकर आए थे, तो उसमें सबको ट्रस्टी में डाला था। अब यह क्या मजबूरी हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की ट्रस्टी चेयर है, आप उसको खत्म करने जा रहे हैं। इस नए एक्ट को लाने की क्या जरूरत पड़ी है?... (व्यवधान) नेशनल है, ट्रस्टी है, इंडिया के सिटीजन हैं, उसमें सबका अधिकार है। किसी को भी बना सकते हैं... (व्यवधान) यह नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे, जो आपकी विचारधारा का होगा, उसको ही बनाएंगे... (व्यवधान) आप ऐसे इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए... (व्यवधान) हेडगेवार जी की हिन्दी बायोग्राफी जो सी. पी. भिशीकर जी ने पब्लिश की है, उसमें लिखा है कि '... (Not recorded) had ordered that ... (Not recorded) will not participate in the Satyagraha.' आपकी जो बुक पब्लिश हुई है, उसमें यह लिखा है... (व्यवधान) आप सी. पी. भिशीकर जी की हिन्दी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा... (व्यवधान)

(1225/GG/RC)

सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सन् 1929 में जब कांग्रेस ने सबको साथ लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात की थी... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई अनपार्लियामेन्ट्री शब्द हो, तो उसे वक्तव्य से हटा दिया जाए।

... (व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): महोदय, तब कांग्रेस के सभी लोगों ने एक तिरंगा... (व्यवधान) , उसी टाइम ... (Not recorded) को भी उस मीटिंग में बुलाया गया कि सारी पब्लिक अपने घर पर तिरंगा लगाएंगी। लेकिन सन् 1930 को ... (Not recorded) में यह बोला गया था कि राष्ट्रीय दिवस... (व्यवधान) अथवा ... (Not recorded)

माननीय अध्यक्ष : इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए।

... (व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): महोदय, इसका मतलब क्या है? जब आप तिरंगे को नहीं मानते हैं, आपका देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं है, आपका कोई शहीद नहीं हुआ है, तो आप

किस मुंह से कह रहे हैं...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी जिसने शहीदी दी थी, जिसके खून से इतिहास के पन्ने लिखे गए हैं, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ट्रस्टी का नाम हटाया जाए। ... (व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ऊंची सुर में, बहुत आवाज करके, बहुत सारी बेबुनियाद बातें ही नहीं रखी हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात को कन्क्लूड कर दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह बिल लेकर आए हैं, इसको विदड़ा किया जाए...(व्यवधान) इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार है, वह इसके लिए माफी मांगे।...(व्यवधान) मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि वहां का चेयर लोकल एमपी होना चाहिए, यह अमेंडमेंट होना चाहिए, वह भी ट्रस्टी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल मेमोरियल है, वह अमृतसर में स्थापित है।...(व्यवधान)

(इति)

1227 बजे

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): अध्यक्ष जी, जो अपना इतिहास याद रखते हैं, वे ही तरक्की करते हैं। इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जब वर्ष ... (Not recorded) यह इतिहास पूरी संसद के सामने है, लेकिन आज जब जलियांवाला बाग की बात हो रही है, मैं इस विषय पर आती हूँ और आपके माध्यम से सांसद को बताना चाहती हूँ कि माननीय कांग्रेस पार्टी की यादाश्त पता नहीं, इतनी कमजोर कैसे है कि जो कोई याद रखना चाहते हैं, वे तो ... (Not recorded) भी बोल देते हैं, लेकिन जो हकीकत है, वह जरूर दर्ज की जाए कि जो आज पंजाब के इनकी पार्टी के ... (Not recorded) हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कार्यवाही देख लूंगा।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अध्यक्ष जी, उनके परदादा जी ने, उनके दादा जी ने जब जलियांवाला बाग की घटना हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह रिकार्डेड फैक्ट है, शायद सांसद को हिस्ट्री उतनी ही याद रहती है, जितना ये याद रखना चाहते हैं। जलियांवाला बाग की घटना के सौ साल बाद सारा देश उस पर थूकता है और अंग्रेज भी शर्मनाक हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज के पंजाब के ... (Not recorded) जनरल डायर को टेलीग्राम भेजी और उसमें लिखा-

“Your action at Jallianwala Bagh ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

आप मेरी बात सुन लीजिए। आज के पंजाब के ... (Not recorded) इनकी पार्टी के ... (Not recorded) ने टेलीग्राम भेजी, यह रिकार्डेड हिस्ट्री है। ... (व्यवधान) इनके ... (Not recorded) ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर को टेलीग्राम में यह लिख कर भेजा। यह जनरल डायर की आटो बायोग्राफी में भी दर्ज है। इनके ... (Not recorded) जो इन्हीं की पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी आटो बायोग्राफी में यह लिखा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जरा बैठ जाएं, माननीय सदस्य का प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

Sir, Rule 352 says:

“A member while speaking shall not –

1. Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending.
2. Make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto.”

(1230/GG/SNB)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पढ़ लिया है, अनुच्छेद 352 पर एक दिन पूरी बहस करने लग जाओ। कोई सदस्य यहां कुछ बोल ही नहीं सकता है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हमारे पंजाब के ... (*Not recorded*) की छवि को धूमिल करने के लिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं को देख लूंगा और कोई भी ऐसा शब्द जो इस नियम प्रक्रिया से नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था दूंगा।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): She has not taken anybody's names ...(*Interruptions*) She has not taken any name ...(*Interruptions*) She has said ... (*Not recorded*) and she is quoting from history ...(*Interruptions*) Shri Baalu, you were not here, he has taken the name of ... (*Not recorded*) ...(*Interruptions*) She has not taken anybody's name ...(*Interruptions*) पद का नाम लेने से क्या प्रॉब्लम है? He had taken the name of ... (*Not recorded*) and at that time you had nothing to say ...(*Interruptions*) ... (*Not recorded*) का नाम ले लिया। You have to listen now and there is no other option for you...(*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मुझे अपनी बात कम्प्लीट करने दीजिए।...(व्यवधान) इन्हें तब रूल क्यों याद नहीं आया, जब वे नाम ले रहे थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इनको पूरा रूल पढ़ने दें।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like read rule 352 (v). I quote:

“Reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms.”

हमारे जो पंजाब के ... (*Not recorded*) हैं, वे हाई ऑथोरिटी के माने जाते हैं। हाई ऑथोरिटी परसन्स के बारे में हम डिबेट में बिना सब्सटेंटिव मोशन जिक्र नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, जैसे इन्हीं के सांसद ने कहा कि इतिहास को मैं बदल नहीं सकता, इसी तरह मैं भी इतिहास को मैनुफैक्चर नहीं कर रही हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात सुनें। आप अपने वक्तव्य को जारी रखें। माननीय सदस्य ने नियम का जो विषय उठाया है, मैं उसे देख लूंगा और नियम प्रक्रिया के विपरीत यदि एक भी शब्द होगा, तो चाहे माननीय सदस्य ने बोला होगा या आपने बोला होगा, उसे निश्चित रूप से कार्यवाही से हटाने की व्यवस्था करेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, जो नाम ये ले रहे थे कि किसी ने किसी को रात को रोटी खिलाई, तब तो यह रूल याद नहीं आया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने वह बात हटा दी है। मैंने जो व्यवस्था दे दी है, उस पर सवाल मत उठाओ।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, बिलकुल सरासर ... (Not recorded) था और उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो विद प्रूफ बता रही हूँ, आपको फोटो दिखा रही हूँ और पूरा रिकार्डेड हिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ।...(व्यवधान) महोदय, इन्हें शायद मेरी बात पसंद न आए। मैं एक बार फिर आपकी तरफ से कहना चाहूंगी कि जलियांवाला बाग का बिलकुल सही बिल आया है। ये वे पार्टियां हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग में बेकसूरों को कत्ल किया गया था, इन्हीं की पार्टी के जो आज वहां सत्ता में बैठे हैं, उनके परिवार ने जनरल डायर को टेलीग्राम भेज कर लिखा, मैं बुक्स में से रिपीट कर रही हूँ - ... (Not recorded) congratulated ... (Not recorded) General Dyer through a telegram saying, 'your action at Jaliwalabagh is correct and the Governor-General approves it.

(1235/KN/KKD)

सर, इस बात को जनरल डायर की जो ऑटोग्राफी है, उसने भी माना है और इससे बड़ी बात ... (Not recorded) जो इन्हीं की पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और ... (Not recorded)।...(व्यवधान) उनकी ऑटोग्राफी में भी उन्होंने खुद लिखा कि ... (Not recorded) ने जनरल डायर को बधाई दी।...(व्यवधान) सर, इन फोटो में यह ... (Not recorded) और यह जनरल डायर हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं और विदेश में जिस चीज को ब्रिटिश राज ने कहा कि जलियांवाला बाग कांड बुरा था, ... (Not recorded) ने कहा कि बहुत बढ़िया है।...(व्यवधान) यह वह कांग्रेस पार्टी है। आज जिसकी बात कर रहे हैं, वह तो बोला नहीं कि उस टाइम क्या सोच थी।...(व्यवधान) एक वीडियो फुटेज भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं संसद में वह भी रखूंगी, जहाँ ... (Not recorded) डिगनिटरीज को वर्ष 1920 में मिल रहे हैं और माइकल ओ' डायर, जिसने इसका ऑर्डर दिया था।...(व्यवधान) माइकल ओ' डायर के साथ हाथ भी मिला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और चल भी रहे हैं।...(व्यवधान) यह उस फुटेज का हिस्सा है ... (Not recorded) और जनरल ओ' डायर, जिसने जलियांवाला बाग का आर्डर दिया था।...(व्यवधान) सर, यह इतिहास मैंने नहीं लिखा, यह इतिहास रिकॉर्डेड है।...(व्यवधान) मैं अपने एक-एक शब्द का प्रूफ दे सकती हूँ, लेकिन

जिसका प्रूफ किसी को नहीं चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी ने, जहाँ जलियांवाला बाग के कत्ल के ऊपर मोहर लगाई... (व्यवधान) बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन ... (Not recorded)... (व्यवधान) हमारे ... (Not recorded) की हत्या करके 34 साल इंसफ नहीं लेने दिया, उन लोगों को किसने बचा कर रखा, जिन्होंने कत्लेआम किए थे... (व्यवधान) आज भी उन्हें ... (Not recorded) बना रहे हैं, यही ... (Not recorded) बना रही है... (व्यवधान) ... (Not recorded) जो एक्यूज्ड है, आई विटनैस है, आज भी ... (Not recorded) उनको बचा रही है... (व्यवधान) सर, 1984 में अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला ... (Not recorded) के ऑर्डर से हुआ, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है... (व्यवधान) इस इतिहास को भी आप याद रखिए। यह इतिहास भी जिन्दा रहेगा। चाहे माइकल ओ डायर हो, चाहे ... (Not recorded) वे जेल में क्यों हैं? आज ... (Not recorded) जेल में क्यों हैं, किस पार्टी से हैं?... (व्यवधान) हजारों सिखों के कत्लेआम किसने कराए? किसने बोला कि जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है... (व्यवधान) किस ... (Not recorded) ने बोला, यह इतिहास कौन भूल सकता है? खून का बदला खून किसने बोला? अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमले कराओ, सिखों को खत्म करो, किसने बोला? यह भी इतिहास है... (व्यवधान) ऐसी पार्टी जिसने जलियांवाला बाग का स्वागत किया हो, जिन्होंने अकाल तख्त साहिब पर हमले किए हों, उनको जलियांवाला बाग के बोर्ड में क्या, इनको तो देश से मुक्त करना चाहिए, ऐसी पार्टी और ऐसे लीडरों को और वह देश की जनता कर रही है... (व्यवधान) मैं स्वागत करती हूँ और माननीय सांसद को जरूर बोलूँगी, मैं भी कहती हूँ कि जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है, रोटी किदों खिलवाई जरा प्रूफ दिखाए, जैसे मैं दिखा रही हूँ... (व्यवधान) लोगों को बदनाम करना इनसे सीखिए। कत्ल खुद करते हैं, बधाई भी खुद देते हैं और नाम उनका लगाते हैं, जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके सिख कौम को आगे ले जाने के काम किए... (व्यवधान) यह इतिहास है और यह इतिहास मैंने नहीं लिखा, यह आपके ... (Not recorded) ने लिखा है... (व्यवधान) जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि शर्मनाक हादसा हुआ, जलियांवाला बाग में ... (Not recorded) ने बोला, बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ और ऐसे लोगों का बोर्ड में रहने का मतलब नहीं है... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री दयानिधि मारना।

... (व्यवधान)

(1240/RP/CS)

1240 hours

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Respected Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Sir, this is my third term as a Member of Parliament in this House. I am thoroughly ashamed to see the scenes which are taking place here. I was born post-Independence. I studied history and I was proud of the history. I am sure, the present generation have never been part of the freedom struggle. We respect the freedom struggle. We respect each and every freedom fighter. We respect Mahatma Gandhi. We feel proud calling him the Father of our Nation. Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, I have never seen him but I am proud of him because he fought for the freedom of our country. We are proud of Pandit Jawaharlal Nehru ji because he was part and parcel of our freedom struggle. At that time, the history, which I learnt and which was taught to every Indian, was that the Congress Party was the only party which fought for the freedom struggle. Today, everyone is the by-product of the Congress Party. ...*(Interruptions)* Today, every party is the by-product of the main party. We are a grown-up nation. As our Prime Minister said, this year is the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi and we are proud to celebrate it. As I learnt from the history which was taught to me, the Jallianwala Bagh massacre, where hundreds of Hindus were shot by General Dyer, was a shameful incident. As a young student, it pained me to even imagine that. The history, which I learnt, is that the General Dyer said: "I shot, I shot, I shot till the last bullet in the magazine was emptied. I shot, I shot..." Sir, tears were rolling in my eyes. The British Parliament said: "General, stop it. You cannot talk like this. What you did was wrong."

Sir, today, the people of India have given the majority to the BJP and the NDA, which we have to accept. It is a part of democracy. You should be magnanimous. You are in such a situation where magnanimity comes. The magnanimity comes with great powers and responsibilities. I am sorry to say but, today, there is no responsibility shown in this behaviour. It is a shameful day.

Why do you want to change the history? This Congress Party is different. It is the by-product of the earlier Congress Party. Why are you doing this? It is

because you are not looking at the Congress Party which was headed by Pandit Jawaharlal Nehru ji or Gandhi ji. Today, you do not want to see Sonia Gandhi ji here and Rahul Gandhi ji here because you have political motives. After hundred years, you want to re-write history. What is this? Is it fair? You cannot change the history. The Mughals had come and concurred India. It is a fact. You cannot change the history. The Britishers had come and ruled us for more than 250 years. That is a history. What are we going to do with this? Let us build India.

Our Prime Minister is saying that we are looking for \$5 trillion economy. Is this how we are going to make \$5 trillion economy? Is it not shameful? Today, the youth of India are watching us. We should send a strong message that this Parliament is not to re-write history but to make history. We should make history in this Parliament.

Sir, we, from DMK, have also been affected by the Congress Party. My father was arrested during the Emergency. Mr. T.R. Baalu was arrested during the Emergency. We are learned to grow for the growth of our country. Let bygones be bygones and take steps forward rather trying to correct what has happened in the past. Everyone has got a history. We can say that the history was also written by Vajpayee ji. Many changes were brought by him. We are proud of them. No one is trying to correct anything. After Vajpayee ji's Government, the Congress Party got two terms. They never tried to rewrite history. Why are we wasting useful time of the Parliament in re-writing history?

Sir, I beg upon the Government, let us proceed forward. You have promised a lot to the youth of India. The youth are looking towards you. Please withdraw the Bill. Let there be peace. This is not the way the Parliament should run.

Thank you, once again, for giving this opportunity.

(ends)

(1245/RCP/CS)

1245 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I oppose the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019. There are two points in the Bill. One is to delete the name of the President of the Indian National Congress. I thoroughly oppose the clause. I am not a member of Congress now for 20 years. But earlier, I had been a member of Congress for 35 years. But that is not the important point; Congress is the most important organisation in the history of the country. As Shri Dayanidhi Maran very rightly said, please do not try to rewrite history.

What happened in the Jallianwala Bagh? In Amritsar, there was curfew. Reginald Dyer went there and 10,000 people had gathered for Baisakhi celebration on 13th April. They had heard that Mahatma Gandhi might come to Amritsar. Mahatma Gandhi was not allowed to enter Punjab, but the crowd was still there. General Dyer was actually a Colonel; Mistakenly we call him General. General Reginald Dyer went there with his tommy guns. They fired and it is described that they fired till the last bullet was finished. Men, women and children tried to climb out of the Jallianwala Bagh. They were shot while they were climbing the walls; 20 of them died in a well inside the Jallianwala Bagh. It was the most horrific massacre in the history of India's Independence movement.

This was entirely due to a movement of the Congress. Congress was headed by Satyapal, Saifuddin Kitchlew and Rambhuj Dutt Chaudhary. Gandhi *ji* later visited Punjab. He was the man who set up the Jallianwala Bagh Memorial Trust and tried to raise donations during his visit to Punjab. There was no Akali Dal at that time; Akali Dal was formed in 1920. There was no Sangh Parivar at that time; RSS was formed in 1926. So, it was wholly a Congress show. ...(*Interruptions*) As a result of it, when the country became Independent, in 1951 the Jallianwala Bagh National Memorial Act was formed with the following persons: Shri Jawaharlal Nehru, Dr. Saifuddin Kitchlew, Maulana Abul Kalam Azad, the President of the Indian National Congress, the Governor of the State of Punjab, and the Chief Minister of the State of Punjab. It was because Shri Jawaharlal Nehru, Dr. Saifuddin Kitchlew, and Maulana Abul Kalam Azad were tall leaders of the Freedom movement, their names were included. Later

in 2006 – Shri Jawaharlal Nehru had long died – the Prime Minister, the President of the Indian National Congress, the Minister in-charge of Culture, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, all that was included. Now you are seeking to replace the Leader of Opposition with the Leader of the single largest Opposition Party. I have no objection to that part of the amendment.

My question is simply this. Why should the Government, 68 years after the original Act, try and change and remove ‘the Indian National congress’? I am saying that the Indian National Congress today is the same as the Indian National Congress from 1919. But this is the successor organisation. It carries a load of history and you cannot rub out history. This is the effort which I strongly resent.

The Minister may well say that “I am RSS *kattar*; I will not keep any Indian National Congress. We shall pass it; we have got 303 Members.” Yes, you can, but history cannot be changed. History says that none of the RSS participated in the Freedom movement in 1930 and 1942. ...(*Interruptions*)
(1250/SMN/RV)

Sir, I want to remind you that ... (*Not recorded*) was banned after Gandhi’s martyr.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी शब्द जो ऐसा हो, उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The ... (*Not recorded*) and others are disturbing the history because they are not part of the freedom struggle. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सभी ऐसे शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाए।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Even Dr. Shyama Prasad Mukherjee never went to jail. Let alone Golwalkar and Bhaurao Deoras - none of them went to jail. Jawaharlal Nehru spent nine years in British jail; Gandhi Ji spent seven years in British jail; Vallabhai Patel spent six years in British jail and Khudiram gave his life in the gallows but with the ... (*Not recorded*) was not associated with the freedom movement at all. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): क्या ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कोई खराब शब्द है, अनपार्लियामेंटरी है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रोफेसर साहब, फिर आप नियम और प्रक्रिया की किताब निकाल कर ज्ञान बाँट देंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैंने इस किताब को एक सौ बार पढ़ा है। मेरी कौन-सी बात अनपार्लियामेंटरी है?...(व्यवधान) क्या हम ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) नहीं बोल सकते?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये नियम मैंने भी पढ़ लिया है। आप सबने पढ़ रखा है। मैं भी बहुत बार पढ़ चुका हूँ। माननीय अधीर रंजन जी ने यह किताब निकाल ली है। फिर कोई बात होगी, आप किताब निकाल लेंगे। आप प्रोफेसर हैं। आप बोलते समय इस किताब की नियम-प्रक्रिया का ध्यान रख लें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) अनपार्लियामेंटरी नहीं है।...(व्यवधान) ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) अनपार्लियामेंटरी नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अनपार्लियामेंटरी नहीं है, लेकिन इसमें यह भी है कि आप किसी संस्था का नाम नहीं ले सकते हैं। यह भी इसमें है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, क्या हम नाम नहीं ले सकते?...(व्यवधान) बी.जे.पी. के जो पूर्वज हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ।...(व्यवधान)

कटारिया जी, बैठिए।...(व्यवधान) आप तो प्रचारक थे।...(व्यवधान) आप बैठिए।...(व्यवधान) राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप भी प्रचारक थे, आप बैठिए।...(व्यवधान)

बी.जे.पी. के जो पूर्वज थे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) Sir, you had to remember that Bengal had a relation because *Kavi Guru Rabindranath Tagore* returned his knighthood to protest against this horrific killing.

Sir, the other thing is that Michael O Dyer was killed by Udham Singh in London. Unfortunately, Reginald Dyer who was actually fired died peacefully in his bed. Though freedom fighters might have attempted to kill him but he was not killed but Michael O Dyer, who was Governor of Punjab at that time and who had given support to Reginald Dyer, was assassinated. The important thing is that General Dyer was later dismissed from service though he thought that he had worked for the British empire, he was dismissed from service.

Sir, Gandhi's Jallianwala Bagh National Memorial has come in by the Act in 1951. Today, the Culture Minister after having achieved this post recently is trying to re-write the history. Indian National Congress carries the name of the freedom struggle. We may not be there but if you try to obliterate the name of Congress, you are obliterating history and you are trying to promote a ... (*Not recorded*) style of history that the country will never accept. I totally oppose this Bill which is against the national interests, which is against the national history, ethos and goes against the history of the freedom struggle and against all those people whose *purvaj* were not part of the freedom struggle.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज़ादी की लड़ाई, जलियाँवाला बाग पर बहस हो रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस विषय पर जो संशोधन हो रहे हैं, उन पर तो बहस कर लें, लेकिन इस संसद में कम से कम आज़ादी के आंदोलन और जलियाँवाला बाग के विषय पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाएं। चाहे इधर बैठे हुए दल के सदस्य हों, चाहे उधर बैठे हुए दल के सदस्य हों, हमें पूरा देश देख रहा है कि इस विषय पर भी हम दल के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। सामान्य रूप से चर्चा करते समय, जो संशोधन हैं, उन पर चर्चा कर लें, लेकिन इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।

(1255/MMN/MY)

1255 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Sir, I had listened to the various views on this. But, at the outset, let me say I am not opposing the Bill. I have a few suggestions which I wanted to make at the end. But before that, I would like to make a few other points. This is a very important subject for me because, though I start my speech with Jallianwala Bagh but at the end there is some link between Jallianwala Bagh and my constituency. So, Mr. Speaker, Sir, I need 5-6 minutes time. Do not press the bell. I will take a little more time.

Originally, the problem of Jallianwala Bagh arose with an Act, known as Rowlatt Act. When the Rowlatt Act was introduced in the Imperial Council, there were protests against the that Act. As Prof. Saugata Ray said, the protest was led by Satyapal Ji and Saifuddin Ji. The District Collector had called them and then they were sent to Dharamshala and because of that, there was a protest. Subsequent to that protest, with the call given by Mahatma Gandhi, they all assembled at Jallianwala Bagh.

1256 hours

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

It is very well known that the massacre was done by Brigadier Dyer who had come from Jalandhar for doing all this. He had got the audacity to say that the trucks with ammunition and machineguns were not allowed inside; otherwise, he would have finished all the people who had assembled there. The Jallianwala Bagh incident had shaken the whole country. Mahatma Gandhi Ji started the Non-Cooperation Movement after the Jallianwala Bagh incident, which was the major responsible factor for us to get the Independence. After that incident of Jallianwala Bagh, many leaders at the regional level gathered many people.

Coming to our Andhra Pradesh, Alluri Sitarama Raju is a very great freedom fighter who had led the Rampa rebellion against the British for the cause of the Tribals. He had fought for the cause of the Tribals. The inspiration for him is the Jallianwala Bagh incident. He got moved by that. He was also killed by Major Gudal with the order of Rutherford who was the then Collector of Visakhapatnam area. Here, why I am bringing in Alluri Sitarama Raju is, he is

from my place. He is from my constituency. He fought for this cause with the inspiration of Jallianwala Bagh.

Hon. Chairperson, I want you to listen to this point because there was a proposal 10 years back, which was approved in this august House, to unveil the statue of Alluri Sitarama Raju. It was approved by the Committee. Now, the statue is also ready. I had made a representation. So, I request the hon. House that on this 100th Anniversary of Jallianwala Bagh, to consider and support the cause of unveiling the statue of Alluri Sitarama Raju, which is ready. I am appealing to all the parties -- Congress, BJP, DMK and Trinamool – to kindly support this.

Now, coming to the dispute, there is a proposal to remove the name of the President of the Indian National Congress. They said it is apolitical. I believe that it is genuinely apolitical. But it has been mentioned somewhere in the text. They have given a gap between 'a' and 'political'. I do not think it is 'a political'. It is apolitical. In some other texts it has been written as apolitical. I believe in it. But my suggestion here is to settle the differences between this side and that side. There are three members who are supposed to be nominated by the Government. Of the three members, I would request the hon. Minister to consider giving the Indian National Congress President a place among the three members. It is not automatic. Or, you can consider any other leader of the Indian National Congress Party. Here, it is not out of place to say that this particular Trust, originally, when they wanted to start, was moved by Bharat Ratna Madan Mohan Malviya Ji. He was instrumental for this. He subsequently started the Hindu Mahasabha.

(1300/VR/CP)

Last year, we all have honoured him. Modi ji has honoured him with the prestigious award 'Bharat Ratna'.

Finally, before I conclude my speech, I would like to tell the House that today is the Birthday Anniversary of Pingali Venkayya *ji*, who designed our National Flag. He was a member of the Indian National Congress. But, unfortunately, he died in utter poverty. ...(*Interruptions*) There was nobody to look after him. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please sit down.

Secretary-General.

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA – LAID**

1300 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the National Medical Commission Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29th July, 2019, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st August, 2019, with the following amendments:-

CLAUSE 4

1. That at page 3, line 27, for the word "fourteen", the word "twenty-two" be substituted.
2. That at page 4, line 16, for the word "six", the word "ten" be substituted.
3. That at page 4, line 20, for the word "five", the word "nine" be substituted.

CLAUSE 37

4. That at page 18, line 24, after the words "qualification to be equivalent", the words "for the purposes of teaching also." be inserted.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House'.

2. Sir, I lay on the Table the National Medical Commission Bill, 2019, as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments.

1301 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill. I have very little to say on this. We all have to remember that this is a discussion regarding Indian freedom struggle. It needs to be respected. It is not just one party that has fought for the freedom. We should remember that all the Indians together have fought for the freedom. We should not associate the freedom struggle with any political party. Every Indian has fought for his right to freedom and together it has been done.

Since it is about the freedom struggle, I would like to take this opportunity to remind the House some of the most important freedom fighters from the State of Andhra Pradesh. Usually, this kind of discussion is always political. But we also have to remember that there is South India and there have been many freedom fighters from South India also. They have sacrificed their lives for the freedom of our country.

Sir, Alluri Sitarama Raju, as is mentioned by the previous speaker, was one of the greatest freedom fighters from the land of Andhra Pradesh. He used to say:

*“Kalchu, Veyi Sarlu Nannu Kalchu, Ayna Nee\neu Malli Pudathanu,
Ee Janala Kosam, Mee Antham Chudadam Kosam Pudathanu
Ani.”*

It means, ‘Shoot me thousand times, but I will take birth again to see the end of you and to liberate the people of India.’ That was the kind of spirit which the local leaders, the regional people had in their heart for the freedom struggle. HON. CHAIRPERSON: They were not regional leaders. They were national leaders.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Yes, Sir. Thank you for correcting me. I accept that they were all national leaders.

Pingali Venkayya *ji*, who has also been just mentioned, was the great architect of the National Flag. To name a few, Potti Sriramulu Garu, Acharya N.G. Ranga Garu, Sardar Gouthu Latchanna, Tanguturi Prakasam Pantulu, Kaneganti Hanumanthu and the Rajagopala Naidu Garu, the grandfather of Shri Jayadev Galla, the hon. Member of Parliament; I think everyone here can relate

with them. It is not from one side. Everyone can relate to the freedom struggle. That is how it should be remembered and respected.

Hon. Chairperson, Sir, through you, I want to share one incident of 1919 with the House regarding B.T. College, Madanapalle in Anantapur district. It is exactly 100 years till date when Dr. Rabindranath Tagore visited this college. At that time, Ms. Annie Besant was running this college. He gave his poem, *Jan Gana Man* – it was a poem till then – to the students, who gave a tune to it and composed it into a song. It is only after that it has come into wide acceptance as the National Anthem. So, long before it was declared as the National Anthem, the song version of the *Jan Gana Mana* originated at B.T. College in Madanapalle in 1919. Dr. Rabindra Nath Tagore was so impressed with the tune that he wanted that tune composed by the students of B.T. College to be accepted as the song version of it.

A lot of people do not know about this. Even though I come from Andhra Pradesh, I did not know about it. One person, Shri Prajapati from that college itself was fighting for this to get it declared as a memorial. I would like to request the Central Government to highlight such places, which have great importance in the history of our country. These places are everywhere across the country. They should highlight all these places so that the regional boundaries, which restrict us from talking about problems at national level, are dissolved. We should take the freedom struggle as an opportunity for all Indians to unite together and come up in a much better way to take India forward.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

(ends)

(1305/NK/SAN)

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, मैं जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए लिए शिव सेना की तरफ से खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक सही समय पर पेश किया है। मेरी जानकारी में इस संशोधन विधेयक में प्रेसिडेंट, मंबर और उनका पीरियड के बारे में तीन संशोधन किए गए हैं। दि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेरी जानकारी में जलियांवाला बाग ब्रिटिशों की क्रूरता की भूतकाल का स्मारक है और देश की देशभक्ति का प्रतीक है। जब हम सारे भारतवासी जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ते हैं या जब उसका नाम सुनते हैं, देशवासियों ने आजादी के लिए किस तरह से अपनी जान ब्रिटिशों के सामने रख दी थी, उसका प्रतीक जलियांवाला बाग है। वर्ष 1919 में जब ब्रिटिशों के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आज उसके सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी। तब कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस देशभक्तों का एक संगठन था, उसे कांग्रेस नाम दिया गया। जो उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, वह आज की कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ी थी। इस संशोधन बिल को सही वक्त पर लाया गया है जब महात्मा गांधी जी ने आजादी के पहले की कांग्रेस 1950 में बर्खास्त कर दी थी। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस अभी नहीं है। आज सौभाग्य की बात है कि आज कांग्रेस का भी कोई अध्यक्ष नहीं है।

आज 69 वर्षों के बाद इसमें संशोधन की जरूरत क्यों हुई? आज अगर कोई मीटिंग लेनी होती तो अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है और अगले पांच वर्ष आने वाला नहीं है। क्या पोस्ट को वैकेंट रखेंगे? मंत्री महोदय आप बहुत समझदार हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमारे दिल में आदर है, लेकिन उस वक्त की गांधी जी की कांग्रेस और अभी बिना अध्यक्ष की कांग्रेस में फर्क है। इस संशोधन के माध्यम से चाहे प्रधान मंत्री कोई भी हो, भारत का प्रधान मंत्री अध्यक्ष होना चाहिए, आज नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, कल कोई दूसरा प्रधान मंत्री हो सकता है। भारतीय कांग्रेस के नाम से अध्यक्ष बनाना, भूतकाल में जितना धकेलने का काम करना था, कर दिया, लेकिन भविष्य में नहीं है। आज एक अच्छा संशोधन विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, जब मैं जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक पर बोलना चाहता हूँ, मैं केन्द्र सरकार से एक विनती करना चाहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई के मैदान को अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया है, पहले उसका नाम अलग था। गांधी जी के नेतृत्व में सारे देशवासी इकट्ठा हुए और वहां से भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को जिस तरह से बताया, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।

(1310/SK/RBN)

हमें वर्ष 1947 में आजादी प्राप्त हुई। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूँ, जैसे जलियां वाला बाग मेमोरियल का निर्माण देशवासियों के लिए किया वैसे ही 'भारत छोड़ो' आंदोलन का केंद्र मुम्बई में अगस्त क्रांति मैदान है, यहां अच्छा मेमोरियल होना चाहिए। भविष्य में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का इतिहास लोगों के सामने आए, इसके लिए प्रावधान करें ताकि यादगार भविष्य में कायम रह सके।

महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी आम आदमी के हित के लिए साबरमती से मेरे संसदीय क्षेत्र सिंधुदुर्ग में शिरोड़ा नाम के गांव से चलकर गए थे। लोग हाथों में नमक लेकर उनके साथ चले थे। वहां से एक गर्जना हुई और नमक सत्याग्रह हुआ। मेरी विनती है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के लिए जितने रण संग्राम हुए, उनके इतिहास को कायम रखने के लिए मेमोरियल बनाने की आवश्यकता है।

नांदेड़ में गुरुद्वारा, जो सिखों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, के लिए 3,500 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए थे, तब कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे, लेकिन ट्रस्ट न होने की वजह से निधि का दुरुपयोग हुआ, सही तरीके से पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ।

शिरडी के साईं बाबा मंदिर में कम से कम 4,000 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से दिए गए थे। इस निधि का विनियोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आज इस संशोधन विधेयक के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जैसे जिम्मेदार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष बनते हैं, तो सही है। आज के वक्त में सही है। मैं मंत्री जी और पंथ प्रधान जी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1312 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय सभापति जी, जलियांवाला बाग का नाम जब कानों में आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजादी के दीवानों के स्लोगन्स याद आते हैं –

“सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजु ए कातिल में है।”

माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, इस पर कई माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की है। मेरे से पहले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि मुम्बई के अगस्त क्रांति मैदान में भी स्मारक बनाया जाए। इस सदन में इतिहास बदलने की चर्चा हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, मुझे इसका नारा लिखने वाले समाजवादी नेता युसुफ मेहर अली की याद आ रही है, उन्होंने यह नारा दिया था।

“सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा”

यह गाना किसने लिखा था? यह गाना अल्लामा इकबाल ने लिखा था। मैं वहीं आ रहा हूं, निशिकांत जी, आपने मुझे पहली बार सही कहा है, वह पाकिस्तान चले गए। यह नारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए, लेकिन आज भी देश के बच्चे, नौजवान, हर हिंदुस्तानी दिल को छूने वाला गाना गुनगुनाता है -

“सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा”

मैं न कभी कांग्रेसी रहा हूं, मैं तो छात्र आंदोलन से एंटी कांग्रेस आंदोलन से निकला हूं।
(1315/MK/SM)

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम देश के सामने अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताना चाहते हैं? हम लोग इतने छोटे-छोटे इश्यूज पर भिड़ रहे हैं। इससे कौन-सा फर्क पड़ जाएगा? मैं इस बात को मानता हूं। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर दो। महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। हम लोग सिर्फ महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ बातें, जो हमें सूट करती हैं, उनको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं लेकिन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी में जो योगदान दिया, शायद उधर के लोगों को बुरा लगे, अगर मैं यह कह दूं कि जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, सरदार पटेल जी ने बैन किया था, यह हिस्ट्री में है, इसको भी बिल लाकर बदल दिया जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिनका आजादी के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था, वे वीर हो गए, लेकिन जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां दी, आज उनके इतिहास

کو बदلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جلیانوالا باغ کے ٹرسٹ میں کون بیٹھا، کون نہیں بیٹھا، یہ اتنا بڑا موضوع نہیں ہے۔ بڑا موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک کا جو اسیباب ہے، آزادی کے آندولن کا جو اسیباب ہے، اسکو بدلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپکے مابین سے سرکار سے اپیل کروں گا کہ وہ ایک بار پھر: اس بل پر اسیباب کریں۔ بہت-بہت اسیباب۔

(اسیباب)

کنور دانش علی (امروہ): عزت مآب چیرمین صاحب، جلیان والاباغ کا نام جب کانوں میں آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آزادی کے دیوانوں کے سلوگنس یاد آتے ہیں۔

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے
محترم منتری جی جو بل لائے ہیں، اس پر کئی ممبران نے یہاں بحث کی ہے۔ میرے سے پہلے بہت سے ممبران بحث کر رہے تھے کہ ممبئی کی اگست کرانتی میدان میں بھی اسمارک بنایا جائے۔ اس ایوان میں تاریخ بدلنے کی بحث ہو رہی ہے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک 1942 میں شروع ہوئی۔ مجھے اس کا ناراہ لکھنے والے سماجوا دی نیتا یوسف مہر علی کی یاد آ رہی ہے، انہوں نے یہ ناراہ دیا تھا۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا
یہ گانا کس نے لکھا تھا؟ یہ گانا علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ میں وہی آ رہا ہوں، نیشی کانت جی، آپ نے مجھے پہلی بار سہی کہا ہے، وہ پاکستان چلے گئے۔ یہ ناراہ لکھنے والے علامہ اقبال پاکستان چلے گئے، لیکن آج بھی ملک کے بچے بچے، نوجوان، ہر ہندوستانی دل کو چھو لینے والا گانا گنگناتا ہے۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا
میں نہ کبھی کانگریسی رہا ہوں، میں تو طلبا آندولن سے اینٹی کانگریسی آندولن سے نکلا ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ملک کے سامنے اپنی آنے والی نصلوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے ایشیوز پر بھڑ رہے ہیں۔ اس سے کونسا فرق پڑ جائے گا؟ میں اس بات کو مانتا ہوں۔ جیسے ایک معزز ممبر نے کہا کہ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ کانگریسی کو بھنگ کر دو۔ مہاتما گاندھی جی نے بہت کچھ کہا تھا۔ ہم لوگ صرف مہاتما گاندھی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی کچھ باتیں، جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، ان

کو ہم ماننے کے لئے تیار ہیں، لیکن مہاتما گاندھی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ملک کی آزادی کے لئے جو رول ادا کیا، شاید ادھر کے لوگوں کو بُرا لگے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جن لوگوں کا آزادی کی تحریک میں کوئی یوگدان نہیں تھا، سردار پٹیل صاحب نے بین کیا تھا، یہ تاریخ میں ہے اس کو بھی بل لا کر بدل دیا جائے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جن کا آزادی کے آندولن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ ویر ہو گئے، لیکن جنہوں نے تحریک آزادی میں بڑی بڑی قربانیاں دیں، آج ان کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جلیاں والا باغ کے ٹرسٹ میں کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، یہ اتنا بڑا موضوع نہیں ہے۔ بڑا موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک کی جو تاریخ ہے، آزادی کی تحریک کی جو تاریخ ہے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کے ذریعہ سے سرکار سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار پھر اس بل پر غور کریں۔ بہت بہت شکریہ ..

(ختم شد)

1317 बजे

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे भारत का सपना देखा था, उसे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐसे स्मारक में कोई राजनीतिक दल क्यों शामिल रहे? वर्तमान सरकार स्वतंत्रता से जुड़े ऐसे स्मारकों को राजनीति से दूर रखना चाहती है। इसलिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है। इस साल जलियांवाला बाग नृशंस कांड के 100 साल हो चुके हैं। सदन के द्वारा उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का यही वक्त है। 13 अप्रैल, 1919 को अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने पंजाब स्थित अमृतसर में जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर धुआंधार गोलियां चला दी थीं। इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। स्वतंत्रता किसी पार्टी की धरोहर नहीं है बल्कि लाखों लोगों ने देश के लिए हर हिस्से से कुर्बानी दी है। पंजाब से लेकर बिहार, कश्मीर, असम और कन्याकुमारी तक अनगिनत पुनीत आत्माओं ने अपने प्राण न्योछावर करके आजादी दिलाई है।

महोदय, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार हमेशा से शौर्य पुरुषों की गिनती में गिना जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी तो कई प्रान्तों से इसका नेतृत्व किया गया था। हमारे आरा जिले से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष थी। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से अंग्रेजों की ताकतवर सेना को कई मौकों पर मात दी थी। जब 1857 का आंदोलन देश के अन्य प्रान्तों में ठंडा पड़ गया, तब भी वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जय प्रकाश नारायण, खुदी राम बोस, रामफल मंडल का कर्ज हम लोग आजीवन नहीं उतार सकते हैं।

(1320/YSH/AK)

मेरा निवेदन है कि आज के युवा भारत का परिचय इन महान विभूतियों से भी हो। लोग दूर-दूर से इनके स्मरण और जीवन से जुड़ी चीजों को देखें और प्रेरणा लें। हमारा कर्तव्य है कि हम उन वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित करें। महोदय, मेरी तरफ से और हमारी पार्टी जे.डी.यू. की तरफ से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और आशा है कि इस विधेयक पर जल्द से जल्द कानून बनेगा और जलियांवाला बाग स्मारक विधेयक, इस स्मारक के महत्व को और अधिक बढ़ाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यह बिल पास होना स्वर्गीय उधमसिंह जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि दो दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

(इति)

1321 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the year 2019 has been a very momentous year, especially, for me because this is the second time that I am speaking about Jallianwala Bagh.

This Bill was introduced in the month of February, which was, of course, in more detail as to who will be the Members of this Trust whereas in this new Bill very specific provisions are being amended. So, there is little scope actually to delve into as compared to what we had discussed last February. Of course, this is the month of August, which is another momentous month of every year. But we, who come from freedom fighter's family, always cherish the month of April where the National Week is always observed from 6th April till 13th April. These two dates reverberate in the minds of all freedom fighter families and those who cherish those golden days of *tyaag*, *tapasya* and *titikshya* of freedom struggle.

I would only like to mention here certain names that need to be remembered when we commemorate Jallianwala Bagh, and those names are Dr. Satyapal and Dr. Kitchlew. Rambhaji Dutt Chowdhury, Harkishen Lal and Duni Chand who had led a procession in Lahore on 16th April when Marshal Law had already been clamped on 6th April, and firing had already taken place in Jallianwala Bagh on 13th April. These three were Congressmen who were called to the Deputy-Commissioner's house. They were arrested and were deported from Punjab. Marshal Law was imposed in Punjab, and it had been reported that the *hartal* was broken by military force. The Marshal Law regime was imposed from 15th April till 29th May, and that depicted a horrid tale of atrocious dealings.

When we talk of Jallianwala Bagh, I hope that most of our Members of this House have visited Amritsar; must have gone to the sacred Golden Temple; must have also visited Jallianwala Bagh; must have prayed there before the memorial; must have touched that *mitti*; and must have witnessed that well where a large number of people had jumped and laid down their lives. Some of us also must have seen the walls where the bullet marks are there, and must have just moved our hand over that to recollect what type of cry or what type of shouting and जो विलाप है, वह आज से करीब 100 साल पहले हुआ था।

All of us must have witnessed it and must have felt it, though we were born much much after that incident. What was their fault? They had gathered

there. Some were relaxing because on 13th April Baisakhi was approaching, and some had come from their villages also to go to the Golden Temple. But, many of them had come to participate in the *hartal*, the non-violent call that Mahatma Gandhi had given.

(1325/SPR/RPS)

They had come to know that while Mahatma Gandhi was travelling from Mumbai to come to Amritsar to address the gathering on the request of Mr. Satyapal and Dr. Kitchulu, he was prevented, he was arrested before he entered Punjab. On the borders of Punjab, he was arrested. He was taken out of the train, was taken by a vehicle and was brought to Delhi.

This news trickled down to Punjab after two days though he was arrested on 9th of April. Before that, on 29th March, the whole Punjab was boiling because it had witnessed two years of drought. Agriculture was failing. There was little employment there. Those people who had returned from First World War, after participating in the World War, they were told that if you fight for us in foreign countries, especially in Europe, you will be provided with sufficient power to administer yourself.

In 1919, the law that came into force said - Roulette Act - no *vakil*, no appeal, and no *daleel* because we are giving you power to administer yourself. Court will have no *vakil*; court will have no appeal, and there would be no *daleel*. You will not put any petition. Everything will be decided without you representing before the court because we are giving power to a certain section of the society. Against this, the whole country revolted and Mahatma Gandhi gave a call of Non-Cooperation. He said to the students, to the *vakils*, to the educated mass that to non-cooperate with this *shaitani* Government. Come out of the courts, come out of the colleges, come out of the schools, and show total non-cooperation with the British Government and you do it through non-violence means, through *ahimsa*, through *satyagraha*. These people who were in Jallianwala Bagh, we will never know, even after 100 years, how many people were actually butchered.

The Hunter Committee which went into it, recorded that 365 or 395 people had died. But later on, after six months, another Committee which was appointed by the Congress Party, in which Motilal Nehru was a Member. At that time, he was the Member of the Imperial Council. Mahatma Gandhi was a Member. That

Committee went around Amritsar; went around Gujranwala; went around Lahore. Of course, those two are no more part of India today. But these were the areas where large scale atrocities were committed.

I have requested earlier in the previous Lok Sabha that a specific book has been compiled very recently; a very authentic book by Anita Desai, let our Library purchase that book. Documentary evidences of what type of atrocities were committed have been given.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: महताब जी, यदि आप उस पुस्तक का नाम बोल देंगे तो अच्छा रहेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): 'True Story of Jallianwala' written by Anita Desai. From different points of view, many people have written in different ways. I would like to stand corrected because our impression has always been that ladies and children were killed. Not a single lady was killed in Jallianwala Bagh. But children were killed; they had their legs amputated. Boys aged 7 and 10 had just gone there to see as to what was happening. They were shot.

(1330/UB/RAJ)

People were not allowed to bring the wounded people for treatment and this continued for eight days because nobody was allowed to come out of his house. That was the time of torture and barbarism that was unleashed out by Gen. Dyer.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Mahtab Sahab, please conclude. We all are proud of that history. We all are very much proud.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would come to the Bill now. Before coming to the Bill, this history needs to be told again and again because there is a tendency to forget the history. As we all know, one who forgets history has a tendency to repeat those mistakes. Therefore, I would like to read out a Bill that was moved in this House on 4th December, 1950 by no less than Dr. Ambedkar who was the then Law Minister. I am just reading the Statement of Objects and Reasons of the Bill which later became the Jallianwala Bagh National Memorial Act of 1951 – "On 27th December, 1919, the Indian National Congress passed a Resolution at Amritsar because the National Congregation, जिसे अधिवेशन कहा जाता है, was held in Amritsar in December that the Jallianwala Bagh be acquired with a view to raising a memorial therein and perpetuating the memory of those who were killed or wounded in that place on the 13th April,

1919. In pursuance of this Resolution, the Jallianwala Bagh Memorial Fund was started in 1919. The site of the Jallianwala Bagh was acquired by this Trust which was a creation of the Congress Party. Out of the major portion of the subscription collected, trustees were appointed in whom the properties so acquired and the funds so collected were vested. Shri Jawahar Lal Nehru and Sardar Vallabh Bhai Patel are the present trustees. The object of this Bill is to place the Trust on a permanent statutory basis, establish a body corporate to be known as the trustees of the Jallianwala Bagh National Memorial, transfer to that body all the property and funds now vested in the present trustees and confer upon that body all necessary powers for carrying out the objects of the Trust.”

I have read this because during that period, from 1919, till 1947 and till we attained Independence, whatever property was being acquired by the Indian National Congress, because it was a national party, was always delegated to a trust because, many a time, during that Freedom Struggle, the Congress was disbanded by the British Government. Once it gets disbanded, the whole property gets vested with the Government. That was the law. Even our personal property was also vested with the Government because my father and mother participated in the Freedom Struggle. The property that was acquired for the functioning of the National Congress to hold its office, to hold ashram, to hold different other training centres, all those were also acquired by the British during that time. But this Trust was created as a fund.

HON. CHAIRPERSON: You have taken enough time. Please conclude now. Okay, it is very good but there is a limited time. I am sorry for that.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : महताब साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह एक फंड था और यह सरकार से वेस्ट हो गया because by the time this Trust came into existence, Sardar was no more. He was the repository of all that fund because he was the treasurer of the Indian National Congress till he breathed his last. Till he breathed his last, he did not have a single rupee in his account. Whatever money was there was in the name of the Congress Party. Therefore, I would say, let us not belittle ourselves by removing the President of Indian National Congress.

(1335/KMR/IND)

It was in 2006 that the UPA Government recognised the Leader of Opposition as a trustee. Who was then the Leader of Opposition? It was a Bharatiya Janata Party leader. The Leader of Opposition was not included earlier. There was no post of Leader of Opposition in 1951. In this Act, there is no Leader of Opposition. Only living member Dr. Kichlu was a trustee. Subsequently, ...(*Interruptions*) Maulana Azad was not a living member in 1919 when that fund was created.

Now the Government is making a provision, very rightly, that the leader of the largest party in Opposition in Lok Sabha will be a member. What harm will it make if the leader of the Indian National Congress Party becomes a trustee? There are three other nominated members who can be removed if they do not attend the meetings.

I would also like to know, I think the Government is aware of this information, as to how many times this trust has met during the last 25 years and how many times the President of Indian National Congress had attended those meetings. The Government can put this information out. I do not know for sure whether the Government knows about it or not.

Sir, when I visited Jallianwala Bagh I saw in what dilapidated condition that trust is. The facade, the photographs, the little records that are displayed are all in a very wretched condition. I would request the Minister to pay a visit, not just as a Minister but also as a citizen of the country. Then only he will find to what wretched state the whole memorial has reached.

Some changes have been made and I think the local MP has raised his voice against them. Why do you have to change the structure of the well? It should be maintained in its original condition as the Archaeological Survey of India does in the case of all its structures. Nothing should be changed and no tampering should be done.

The eternal flame that always burns at Jallianwala Bagh should continue to burn as it burns in our nationalist hearts to keep the flag of our nation flying high.

Thank you.

(ends)

1338 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here with a heavy heart. Like Mr. Maran said, I was also born after Independence. But we grew up with the values of Independence.

I come from the State of Maharashtra which has made huge contribution to India's freedom struggle. We were brought up with the values of the Great Mahatma Gandhiji. We were highly influenced by the Constitution written by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Another tall leader who influenced all of us in Maharashtra and India with his contribution is Vinoba Bhave. The reason I am talking about these three people selectively is because Maharashtra has a very rich tradition and that rich tradition gets richer generation after generation by never being petty in politics.

We have also made trusts in the last sixty years. Several trusts were formed by the then Congress Party. Fortunately, we never left any group out. Be it a trust, be it a centenary year of any of the tall leaders of Maharashtra or the country, whenever we have anything, we take every voice along with us. That is the tradition and culture of Maharashtra.

For me it is actually surprising and disappointing that when you are in a position of such supreme power, there is no humility. You talk about leadership. I think the first quality of leadership is humility. I really see it missing today.

I am actually disappointed when my good friend Harsimrat Kaur Badal spoke. She is a personal friend of mine. But today I was actually disappointed to hear her speech attacking the CM of Punjab when she said somebody's grandfather did something. If somebody's grandfather does something wrong, I do not think the society needs to run you down for that. Whatever had happened in that generation, the circumstances were different. Take for example Japan, United Kingdom or even Germany. Parliaments of all countries have regretted actions that were taken by them in the past.

(1340/SNT/PC)

If this is the case, then nobody in this House should go to London. Why are we going to London? You are running one thing in isolation. I am sure there is nobody in this House who has probably never been to England or London. You go there, you shop there, and you help their economy. Maybe some of us have not been there but so many people sitting on this side or that side, their children are studying in those organisations. So, I do not think it is fair to look at anything in isolation.

History is something we take pride of. The beauty of India exists in our culture. We have beautiful temples; we have beautiful languages. The Textile Minister is sitting here. She has worn a beautiful textile saree. Every textile saree has a story. It has family history in it. Each one has contributed to freedom and culture. So, rather than worrying and being petty about one small thing like a trustee, I think, it really makes you very small.

So, it is a very humble request to you, Sir. Yesterday, in one voice, we supported the hon. Minister of Women and Child Development. Today, she has brought out the issue of malnutrition. I think, the whole House is so happy to work against malnutrition. This is a programme, I remember, Dr. Manmohan Singh Ji started. At that time, they were in the Opposition and they supported the malnutrition programme. So, it is a war. The Government is in continuity and history is something which we take pride of. People who work make mistakes. People who do not work do not make mistakes. That does not mean you need to change. This is our history and heritage. So, I urge for one small trustee. I think, that is the sense of the House on this side, which even Mahtab Ji said, just to keep somebody as a trustee. Let us rise above politics. There are a lot of things we have to fight against. Today, the market has crashed. So, rather than spending three hours on such a Bill, we should worry about the economy of this country. With these words, I oppose the Bill.

(ends)

1342 hours

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I rise to oppose this Bill with all the might as an Indian citizen as it is an affront to the entire glorious legacy of our freedom movement led by the Indian National Congress, under the selfless and able leadership of Mahatma Gandhi.

Before I get to the details of the Bill, and its sinister side, let me pay my homage to the great martyrs by recounting the tragedy of April 1919, for the benefit of our new generations, in particular, for the benefit of the leaders of the present ruling party who always betray a lack of knowledge of modern Indian history. Neither can they differentiate between mythology and science nor between history and mythology. For them, both history and science are as what their patrons in Nagpur understand them and teach.

The Jallianwala Bagh massacre took place on 13 April, 1919, when the troops of the British Indian Army, under the command of General Dyer, ordered their rifles to be directed towards the crowd of totally peaceful and unarmed Indian civilians, who had gathered in Jallianwala Bagh for a peaceful protest to condemn the arrest and deportation of two of our national leaders, Satya Pal and Saifuddin Kitchlew.

Sir, I do not want to go into the details. Needless to mention, the people who gathered there, who fell victims to the firing, were Congress supporters. They came there on the call of the Congress leaders. Those who have read the history of our freedom movement, especially of the critical years of the first half of the previous century leading up to our freedom, would know how the Congress Party responded to this gory massacre. It was with this tragedy precipitated by the British that the freedom movement took an irreversible turn. The British would have at least, in private, regretted their own folly of causing to shed the blood of Indians there, as they found themselves at the receiving end of the collective Indian anger against them thereafter, which was so very effectively channelized by the Congress leaders to a point of compelling them to quit India finally. Mahatma Gandhi and the Indian National Congress announced the massive Civil Disobedience Movement soon after the Jallianwala Bagh massacre.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : क्या आप अपनी सीट पर नहीं खड़े हुए हैं?
...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is not in his seat. That is why his name is not shown on the screen.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, you may carry on.
(1345/GM/SPS)

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The Trust referred to in the Bill is the Trust formed by the Indian National Congress in 1920 in memory of the great sacrifice made by the freedom fighters of Jallianwala Bagh. It was founded in 1920 as a symbol of India's suffering and resistance against the British and as a tribute to the memory of the thousands valiant Congress freedom fighters who perished on that fateful day, in pursuit of our freedom and dignity. First, the Indian National Congress passed a Resolution to have a memorial built, and then, in 1923 the Trust formed by the Indian National Congress purchased the land for the project. A memorial designed by an American architect, Benjamin Polk, was built on the site and inaugurated by the then President of India Dr. Rajendra Prasad on 13th April 1961 in the presence of Pandit Jawaharlal Nehru and other leaders. A flame was later added to the site.

When the people of our country cutting across all our diversities were fighting for our freedom by shedding their blood, let me remind the Members of the Ruling Party that this was when their own mother organisation, that is the RSS never even existed in the minds of its founders. Today, they are conveniently forgetting that the people of our country had convincingly rejected and resisted their idea of India so far. Today, they are trying to implement their obscurantist ideas, forcing their inward-looking and repugnant notions of nationalism on our country built upon the inclusive and liberal democratic foundations nurtured by the Indian National Congress all along.

That being the fact and a part of history, if the Government of the day and the Ruling Party have any issue with the Trust, in all fairness I ask the hon. Minister to hand over the Trust back to the Indian National Congress to whom it legitimately belongs. By seeking to keep the Congress leadership out of it and

by striving to sever the Congress legacy attached to it, the Government is allowing itself to be a party to the desecration.

The main amendment provides for the deletion of 'the President of the Indian National Congress' as a Trustee. Whom is the Government trying to mislead and fool here? Do its patrons in Nagpur think that they can sever the connection of the Congress with this Trust, in the making of which the Party had paid with the blood and sweat of its followers, by a mere legislation? The country is today paying a heavy price for hoisting this Party to power. I would like to warn those involved in this destructive and mischievous project. They terribly suffer from a total lack of sense of history. History will always belong to those who contributed to the making of it and not to those who are working overtime to unmake or rewrite it. Sooner or later, their concocted version of history will be consigned to the dustbins. What they are doing today will be proven to be half-clever. Howsoever they try to distort and re-write history, the people of India will never forget and forgive them, and one day they will show them where they actually belong- not in the pages of history but in the dustbins.

Let me quote the great English writer George Orwell: "The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history." Let us not destroy our own history and its people by this Bill which tries to obliterate the role of Indian National Congress and the symbols of the freedom movement. I humbly request the hon. Minister not to delete the 'President of Indian National Congress' as Trustee. Congress is not just a political party; it stands as a symbol through which India regained its self-respect and dignity besides belonging to the rights of all those who respect the value of tolerance and liberal democracy.

(ends)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : केवल सुमेधानन्द जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप कृपया प्रारम्भ कीजिए।

...(Interruptions) ...(Not recorded)

(1350/KDS/RK)

1350 hours

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान) कि आपने मुझे जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक 2019 पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात कहने से पहले उन शहीदों के लिए एक क्रांतिकारी शहीद की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, जिसने उस समय का दृश्य अपनी आंखों से देखा था:

“सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो,
दुश्मने हिन्दुस्तां के दिल में डर पैदा करो।
फूंक दो बरबाद कर दो आशियां सैयाद का,
शरबाजो! अब जरा फिरा से शरर पैदा करो॥”

महोदय, उस समय जो क्रांतिकारी थे, उनके दिल में एक पीड़ा थी और उस पीड़ा के तहत ही इस प्रकार की भावना थी। उस भावना के अंतर्गत ही ये जो जलियांवाला कांड हुआ, यह सामान्य रूप से नहीं हुआ। 1857 की क्रांति जब हुई और 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, उसी समय से इसके बीजारोपण प्रारम्भ हो गए थे। मैं कांग्रेस के बंधुओं से एक बात कहना चाहूंगा। शायद यहां कांग्रेस के मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं। कांग्रेस का एक इतिहास है। पट्टाभि सीतारमैया ने इसको इंग्लिश में लिखा। हरीभाऊ उपाध्याय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। समय निकालकर आपको इसे पढ़ना चाहिए। मैंने इसे चार-पांच बार पढ़ा है। मैं कांग्रेस के इतिहास के उद्धरण आपको दूंगा। आपको बहुत पीड़ा हो रही है कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष को इससे हटाया जा रहा है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज की कांग्रेस तक कांग्रेस के 17 टुकड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनें। सबसे पहले 1923 में तीन व्यक्तियों ने कांग्रेस को छोड़ा, जिसमें मोती लाल नेहरू, एनी बेसेंट और चितरंजन दास थे। जो परिवार आज अपनेआप को कांग्रेस का ठेकेदार मानता है, उनके बुजुर्ग तो सन् 1923 में ही कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे।

एक माननीय सदस्य: वापस भी आए थे।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): वापस आए थे, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 17 टुकड़े कांग्रेस के हुए थे और इसके बाद 1969 में माननीय इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाला गया। उन्होंने कांग्रेस आई बनाई और वापस 1981 में आकर राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया। अतः, बंधुओं, मैं एक बात कहने के लिए निवेदन चाहता हूँ। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा:

एक व्यक्ति अध्यापक था। उसने अपने लिए कपड़े और पजामा सिलवाया। उनको पजामा पहनकर विद्यालय जाना था, तो जब उन्होंने देखा तो पाया कि पजामा लंबा था तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि देवी, मैं कल यह पजामा पहन कर स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल का इन्स्पेक्शन

होगा। आप इस पजामे को थोड़ा छोटा कर दीजिए, घर में मशीन है। पत्नी ने कहा कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उसने बेटी की बहू, जो वहीं बैठी थी, उससे कहा कि बेटी, तुम कर देना। उसने कहा कि मैं भी अपनी ड्यूटी पर जाऊंगी, मैं भी नहीं कर सकती। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम पजामे को थोड़ा छोटा कर दो। बेटी ने सोचा कि पिताजी बार-बार कह रहे हैं, इसलिए उसने कैंची उठाई और दो इंच उस पजामे से काटा और सिलकर खूंटी पर टांग दिया। फिर बेटे की बहू ने विचार किया कि मेरे ससुर कितना काम करते हैं, पैसा कमाकर घर में देते हैं। उसने भी पजामे को उतारा और उसको काटकर फिर टांग दिया। उसके बाद पत्नी के मन में आया कि ये मेरे पति हैं और मैंने साथ फेरे लेते समय कहा था कि मैं हर सुख-दुख में साथ दूंगी। क्या मैं यह पजामा भी छोटा नहीं कर सकती? उसने भी पजामा 4 इंच काटकर छोड़ दिया। अगले दिन मास्टर जी ने जब पजामा पहना तो वह न पजामा न और न ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) रहा। आज ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

की यह हालत हो गई है। ...(व्यवधान) जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात ये लोग कर रहे हैं ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो उसे निकाल दीजिएगा। गौरव जी, मैंने निर्देशित कर दिया है। अब प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने बोल दिया है कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

(1355/SJN/PS)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आप बैठ जाइए। यह अधिकार चेयर को लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने बोल दिया है। I have already instructed them.

...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ...(व्यवधान) बार-बार एक शब्द आता है कि यह संस्था कहां थी? बंधुओं के कांग्रेस पार्टी के कई वक्ताओं ने बोला है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गांधी जी अफ्रीका से आए थे और अफ्रीका से आने के बाद जब उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी और हड़ताल की बात की थी। यदि उस समय सबसे पहला कोई मूवमेंट हुआ था, तो 30 अप्रैल को दिल्ली में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक लाख लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया था। यह कांग्रेस की पुस्तक है। आप अपना इतिहास इसमें पढ़कर देख लीजिए। एक लाख लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी जब चांदनी चौक और घंटाघर के सामने आए थे, वहां अंग्रेजों ने बंदूकें लगा दीं और कहा कि अगर आगे बढ़ोगे, तो गोली चला दी जाएगी। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने कुर्ते का बटन खोलकर आगे बढ़ते हुए कहा कि हिम्मत हो तो, गोली चलाओ और अंग्रेजों को बंदूकें हटानी पड़ी थीं। जब बात साम्प्रदायिकता की आती है, स्वार्थ की बात आती है। स्वामी श्रद्धानंद जी उस जुलूस

को लेकर जामा मस्जिद के सामने पहुंचे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहली बार जामा मस्जिद की मीनार से एक लाख लोगों को संबोधित किया था। आप कहते हैं कि कहां चले गए हैं?

सभापति जी, कांग्रेस की स्थापना सन् 1885 में हुई थी। उससे दस साल पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मैं दादा से बात करना चाहूंगा। आपके कोलकाता का आर्य समाज विधान सरणी कांग्रेस का अड्डा रहता था, गढ़ रहता था, जहां पर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी... (व्यवधान) पट्टाभि सीतारमैया को महात्मा गांधी जी ने 1935 में एक आदेश दिया था। वह आदेश यह था कि आप जेलों का सर्वे करिए कि इन जेलों में किस विचारधारा के लोग हैं। पट्टाभि सीतारमैया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मैं उत्तर भारत की जेलों में गया हूं। वहां पर वैदिक विचारों को मानने वाले महर्षि दयानंद जी के शिष्य 85 प्रतिशत जेलों के अंदर हैं। मैं उनका शिष्य हूं। मैं स्वामी गुरु जी के गुरु जी स्वामी स्वतंत्रानंद थे, उनके गुरु जी स्वामी श्रद्धानंद थे और उनके गुरु जी स्वामी दयानंद जी थे। हम उस परंपरा के आदमी हैं और आप बार-बार मुझ पर अंगुली उठाते हैं कि इस तरफ कितने लोग हैं। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना इतिहास उठाकर देखिए, परिवार का इतिहास उठाकर देखिए, बाकी इतिहासों को देखिए। यहां पर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर तकलीफ होगी। जो 1857 की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में पंजाब के जिस घराने ने सहयोग दिया था, उसको महेन्द्रगढ़ और नारनौल दान में दिए गए थे। जो उनके पुत्र महेन्द्र सिंह थे, उनके नाम पर महेन्द्रगढ़ नाम पड़ा था। आप कहां-कहां की बात करेंगे। अगर इन राजा-महाराजाओं की बात करने लग जाएंगे, तो आप फिर वहां से तूफान बनकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप देश के इतिहास को पढ़कर देखेंगे, तो देश के इतिहास में जिन लोगों ने काम किया है, उनका नाम कहां है।

सभापति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि रास बिहारी घोष, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेन्द्रनाथ बसु, तेज बहादुर सप्रू, विपिन चन्द्र पाल, क्या दिल्ली में पिछले 50-55 सालों में किसी ने इनके नाम पर किसी सड़क का नाम रखा है? क्या डॉ सत्यपाल, जिन्होंने जलियांवाला बाग के अंदर नेतृत्व किया था, सभी माननीय सदस्यों ने डॉ सैफुद्दीन किचलू का नाम लिया है, क्या हिन्दुस्तान में एक भी सड़क ऐसी नहीं थी कि डॉ सैफुद्दीन किचलू के नाम के पर हो?... (व्यवधान) मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। जो लोग दिल्ली में बैठे थे, क्या उन लोगों ने उनका नाम लिया था? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में एक परिवार को छोड़कर कितने लोगों ने नाम दिया है?

सभापति जी, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अमृतसर, पंजाब के अंदर जब जलियांवाला कांड होना था। 6 अप्रैल को एक आंदोलन की घोषणा हुई थी, लेकिन उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई थी। उससे पहले चाहे वह गुजरांवाला था या कोई और था, कलकत्ता में आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी जब मुंबई से चले थे, उनको रास्ते से गिरफ्तार करके अहमदाबाद भेज दिया गया था, वह दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन पंजाब के प्रत्येक शहर के अंदर आंदोलन हुआ था। लाहौर में हुआ था। माननीय महाताब जी, आप इस बात का उल्लेख कर रहे थे। पंजाब का ऐसा कोई शहर नहीं बचा था, जिस शहर के अंदर रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ था। बंगाल के अनेक शहरों के अंदर मूवमेंट हुआ था। मुंबई में मूवमेंट हुआ और सब जगहों पर हुआ था। बहुत से लोगों की यातनाएं दी गई थीं। गुजरांवाला में तो यह स्थिति थी कि एक किसान को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बच्चे ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके यह कहा गया कि बताओ तुम्हारे बेटे कहां पर हैं? वहां नहीं बता पाया था कि मेरे बेटे कहां पर हैं।

(1400/GG/RC)

वह बता नहीं पाया कि मेरे बेटे कहां हैं। मान्यवर बंधुओ, उस किसान को इतनी यातनाएं दी गईं— उसके नाखूनों को पकड़ कर खींच दिया गया और भी अन्य यातनाएं दी गईं। जनरल डायर ने तो बाद में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप कांग्रेस के इतिहास में उन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, उन्होंने कमेटी के सामने, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के सामने उसने जो बयान दिए हैं, डायर ने जो बयान दिए हैं, आप यदि उन बयानों को पढ़ते हैं तो विचार आता है कि कितना अत्याचार उस व्यक्ति ने किया। उधम सिंह ने, जब वह छोटा सा बालक था, उस अत्याचार को उस बालक ने अपने आंखों से देखा और बाद में उसी जलियांवाला बाग में जा कर उस व्यक्ति ने वहां की मिट्टी उठा कर उसकी कसम खाई थी कि इस मिट्टी के अंदर मेरे जिन बुजुर्गों का रक्त पड़ा है, जब तक उसका बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यह परिवर्तन हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है। माननीय महताब जी ठीक कह रहे थे, मैं दीना नगर में पढ़ा हूँ, मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ और मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। गुरुदासपुर में मैं रहा हूँ। लगातार दस साल रहा हूँ। मैं तो साल में दस बार जलियावाला बाग जाता था। उस जलियावाला बाग की दुर्दशा, अगर कांग्रेस का अध्यक्ष जा कर वहां देख लेता, उसमें तनिक भी देशभक्ति की भावना होती तो उसकी स्थिति बदली जा सकती थी। बंधुओ, अब की बात करते हो, मैं आपको 15 साल पहले की बताता हूँ। माननीय एमपी साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) गुरुजीत जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग इस प्रकार इतिहास का केन्द्र है, जिसमें 350 से अधिक लोग शहीद हुए, 1500 सौ आदमी घायल हुए, हजारों आदमी जेल गए, उस केन्द्र को तो इतना सुंदर बनाना चाहिए था। ... (व्यवधान) जो भी आदमी अमृतसर जाता है। ... (व्यवधान) अब तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ... (व्यवधान) बंधुओ, लेकिन 80 साल के बाद उनको याद आई है। ... (व्यवधान) जब उनके बलिदान को 80 साल हो गए, तब कांग्रेस को उनकी याद आई है कि सरदार उधम सिंह का स्मारक बनाना चाहिए। ... (व्यवधान) उनको पता था, कई बार कांग्रेसियों ने सीखा है कि साहब, गांधी जी को छीन लेंगे, पटेल जी को छीन लेंगे। इनको भय था, माननीय ... (Not recorded) को भय था कि उधम सिंह का स्मारक भी भाजपा वाले बना देंगे तो फिर तुम हाथ मसलते रह जाओगे। ... (व्यवधान) इसलिए बड़ी जल्दी-जल्दी में उसकी आधारशिला रखी है। ... (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इसकी धाराओं में परिवर्तन करना चाहिए। ... (व्यवधान) मैं आशा करूंगा कि भविष्य में आप दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबां में झांके कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, कौन-कौन से घराने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं? ... (व्यवधान) उनके परिवार का इतिहास क्या है? ... (व्यवधान) उनका बलिदान क्या है? ... (व्यवधान) आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे। ... (व्यवधान) मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ... (व्यवधान) धन्यवाद। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): ये सब अनावश्यक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। Nothing would go on record.

...(Interruptions) ... (Not recorded)

माननीय सभापति : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. जी, आप बोलिए। अपनी सीट से बोलेंगे तो नाम आएगा, यह सबके ध्यान में आ गया होगा। अपनी सीट से बोलिए – आपका नाम आ रहा है। यह ध्यान रखें।

...(व्यवधान)

1403 hours

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vannakam* Sir, we are here to discuss in this extended Session of Parliament a Bill of this nature. The country is looking at us. We have given them reason that we are extending this Parliament to introduce important Bills and what Bills are we introducing today. We are introducing the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019. What does it amend? It amends that a trustee to be removed from the Indian National Congress and to be introduced a member from the largest Opposition party. Is it really that important? Have we extended this session for this?

What does the people judge the Government upon? You might have a majority today. But this is a circle of life. This Parliament Building is a very good example of this. It is in the shape of a circle. Here everything comes back. What have we witnessed before? Have we not witnessed a brutal majority which was better than this? Have we not witnessed the House which had more than 400 Members from the Congress Party under Rajiv Gandhi?

The people of this country will judge you upon the magnanimity of you. Is this magnanimous enough for you to bring a Bill which just changes the trustee member which was made by the Congress? The country will decide how the Government is deciding upon what you have done for the down-trodden; what you have done for the poor; what you have done for the children; what you have done for the women; and what you have done for women empowerment. This is the magnanimity that is expected from the Government. Yes, we respect the majority. We are not opposing everything. Our Party DMK has supported you in so many Bills. We have supported you in the matter of Special Economic Zones, Child Rights, etc. We are not opposing blindly but we want to stress the point that important Bills should be brought in and we will surely support you on that.

You can also witness a model of Jallianwala Bagh in Tamil Nadu.

(1405/SNB/KN)

Sixteen people were killed in the Sterlite controversy in the State of Tamil Nadu. When the Jallianwala Bagh incident happened, General Dyer was pulled up by the British Parliament; he was questioned and he was stripped off his job and had to retire from the Army. But here in this case no one has been held accountable. The AIADMK Government in the State has held no one accountable for this incident and no action has been taken against anyone. In the Jallianwala Bagh incident the Britishers killed Indian people and Members here have said not one woman died but here in this case we have an example where a 17 years old girl was shot in her mouth and no action has been taken against the person who gave this shooting order. Since this is a matter relating to the Home Ministry, we want action to be taken against this. We do not support this Bill. We uphold the Dravidian culture and our party's name is also Dravida Munnetra Kazhagam. We will always fight for our rights. We want our rights to be upheld always.

Sir, I would also like to take this opportunity to request the hon. Minister, through you, to confer the Bharat Ratna award on our social reformist and our great leader Kalaignar Karunanidhi and also have a statue erected inside the Parliament premises. I would like to conclude by citing the UNESCO citation awarded to Periyar. UNESCO has awarded this and the words written there are -- the prophet of the new age; the Socrates of South East Asia; father of social reform movement and arch enemy of ignorance, superstition, meaningless customs and base manners. We want a similar citation to be awarded to the *Tandeyi* Periyar.

Thank you.

(ends)

1407 बजे

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): महोदय, मैं आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस अवसर पर सरदार उधम सिंह जी को याद करना आवश्यक है।

1407 बजे

(श्री ए. राजा पीठासीन हुए)

दो दिन पहले ही उनकी पुण्य तिथि थी। मैं सर्वप्रथम उनको और जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय सभापति जी, यह संशोधन विधेयक जो माननीय मंत्री जी लाए हैं, इस पर अभी कांग्रेस के वक्ता द्वारा बड़ी आपत्ति की जा रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, जिससे देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तभी कुछ ऐसा करते भी हैं। हमारी सरकार ने कई स्मारक बनवाए हैं, चाहे वह दिल्ली में अम्बेडकर जी का स्मारक हो, चाहे रामेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्मारक हो, चाहे नर्मदा के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक हो। इन स्मारकों में हमारी सरकार ने यह नहीं कहा कि इसका ट्रस्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होगा। बल्कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा, जो नियमतः सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वे होंगे। उस ट्रस्ट के इतिहास से जुड़े हुए अगर कोई हैं तो वे होंगे और इसलिए जलियांवाला बाग जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें स्थाई तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ट्रस्टी थे, उसको चेंज करने की बात हमारी सरकार ने की है। पाँच साल तक जो मैम्बर है, उसको नहीं हटाया जा सकता। उसको कैसे बीच में भी हटाया जा सकता है, यह भी संशोधन हमारी सरकार लाई है और अगर आप देखेंगे तो जितने मैम्बर्स हैं, जलियांवाला बाग की घटना, हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो गाँव में हमारे दादा-दादी द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती थीं और नाटक होता था, नाटक में जनरल डायर का जो स्वरूप दिखाया जाता था, उससे हम लोग डर जाते थे। इतनी वीभत्स घटना जलियांवाला बाग में हुई थी।

(1410/CS/RU)

उस समय उन शहीदों की याद में स्मारक बना। उस समय हो सकता है कि इसकी आवश्यकता रही हो, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है। उसमें प्रधान मंत्री और विपक्ष का नेता लिखा था। उसमें यह नहीं लिखा था कि जिसे विपक्ष की मान्यता नहीं है, तो सबसे बड़े दल के नेता को तो हम शामिल ही कर रहे हैं, तो इस नाते यह संशोधन बहुत आवश्यक था। मुझे लगता है कि केवल जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया। उसमें चौरी चौरा की घटना हुई, वहाँ पर भी कई लोग शहीद हुए। पूरे देश में वह आन्दोलन चला। तमाम ऐसे देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, स्थान हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। जैसे चौरी चौरा है, इलाहाबाद में सिविल लाइन में चन्द्रशेखर आजाद पार्क है, वहाँ पर भी राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। मेरे जिले में छावनी शहीद स्थल है, जहाँ पर 200 से ज्यादा नौजवानों को स्वतंत्रता आन्दोलन के समय फाँसी पर लटका दिया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि वहाँ पर भी एक राष्ट्रीय स्मारक

बनाया जाए। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने लगातार यह प्रयास किया है कि ऐसी संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से चलनी चाहिए, उनमें सरकार का प्रतिनिधित्व होगा, इतिहास से जुड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, तो मुझे लगता है कि वे संस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चलेंगी।

अभी मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा था कि जलियांवाला बाग का जो स्मारक बना है, समय-समय पर उसकी देखभाल होती है या नहीं होती है। अभी हमारे शिव सेना के एक नेता जी कह भी रहे थे कि इसकी बैठक हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आज बैठक की आवश्यकता पड़ जाए, तो शायद कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है और इसीलिए यह संशोधन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनको राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। देश की आजादी से जुड़े हुए नौजवानों को याद करना चाहिए और उस इतिहास से लोगों को परिचित भी कराया जाए... (व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं अंडमान-निकोबार गया था। अंग्रेजों के समय में लोगों को काले पानी की सजा देकर अंडमान-निकोबार भेजा जाता था। वीर सावरकर जिस कमरे में रहते थे, मैंने उस कमरे को देखा। कोई भी कांग्रेस का नेता, तमाम लोग वहाँ गए भी होंगे, वहाँ जाकर कोई भी उस कमरे को देख सकता है... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि देश में ऐसे नौजवान, जो पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छे हैं, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करके, सरकारी व्यवस्था से ऐसे नौजवानों को वहाँ का टूर कराना चाहिए... (व्यवधान) वहाँ जाने से उन्हें प्रेरणा मिलेगी... (व्यवधान) वहाँ नौजवानों को भेजना चाहिए... (व्यवधान) उनको प्रेरणा मिलेगी... (व्यवधान) वे वहाँ जाएंगे, तो निश्चित रूप से देश के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा... (व्यवधान) आने वाले समय में हिन्दुस्तान और आगे बढ़े, इस दिशा में वे लोग काम करेंगे... (व्यवधान) मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।

(इति)

1413 बजे

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, आपने मुझे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, यह बिल माननीय मंत्री जी उचित समय पर लाए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हमारे नागरिक, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, मैं सबसे पहले उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस बिल को माननीय मंत्री जी सही समय पर लाए हैं, इसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ। वे इस बिल को क्यों लाए, इसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो यह है, जैसा अभी बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट खाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष न होने की वजह से वहाँ पर किसको नियुक्त किया जाए, यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि वे इस पद के लायक हैं या नहीं। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे इस पद के लायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर के बारे में हर बार टिप्पणी की है, हर बार उन्होंने स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर का अपमान किया है, उसकी वजह से पूरे देश की भावना दुखित है। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, पुणे में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पिछली बार उनके द्वारा दिल्ली की रैली में स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर को डरपोक कहा गया। उन्होंने कहा कि स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर को फ्रीडम चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों के सामने झुके। यह सब गलत इतिहास वे लोगों के सामने लाए। कांग्रेस की यही नीति रही है कि जो-जो स्वतंत्रता सेनानी उन्हें अच्छे लगे, वे उनका इतिहास लोगों के सामने लाए... (व्यवधान) जो स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस को अच्छे नहीं लगते हैं, वे उनका इतिहास लोगों के सामने नहीं लाए... (व्यवधान) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का हर बार कांग्रेस ने अपमान किया है... (व्यवधान) ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद के लायक नहीं हैं, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ... (व्यवधान) इस बिल के माध्यम से वे एक अच्छा बिल लाए हैं... (व्यवधान)

(1415/RV/KKD)

स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर जी का जो अपमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस ने किया, इसके लिए उन्हें माफी माँगनी चाहिए... (व्यवधान) महोदय, अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो आपके यहां साउथ के जितने स्वातंत्र्य सेनानी हैं, उनका इतिहास भी लोगों के सामने नहीं लाया गया... (व्यवधान) कांग्रेस ने देश में स्वातंत्र्य सेनानियों का जो इतिहास लाया, इसमें भी उनकी भूमिका संशय में है। एक गलत इतिहास कांग्रेस के माध्यम से लोगों के सामने लाया गया। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो-जो स्वातंत्र्य सेनानी हैं, पूरे देश के स्वातंत्र्य सेनानी हैं, उनका इतिहास देश के सामने आना चाहिए। यहां साउथ के माननीय सदस्यों ने अपने यहां के स्वातंत्र्य सेनानियों के बारे में जिक्र किया, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, देश को पता नहीं है। इसलिए जिन लोगों का देश की स्वतंत्रता में योगदान था, वह देश के सामने आना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस ने जिन-जिन स्वातंत्र्य सेनानियों का अपमान किया, उनका इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर जी के कार्य का सम्मान करने के लिए उन्हें 'भारत रत्न' देना चाहिए।

धन्यवाद।

(इति)

1416 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Jalianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2018.

Sir, when we visit Jalianwala Bagh National Memorial, our mind is filled with emotions of national pride and patriotism. Jalianwala Bagh Movement is known for a very big contribution of our martyrs in the Freedom Struggle. I am not going into the history of the entire case. But it is quite unfortunate today that the House is being divided. A political controversy has come in the name of martyrs and in the name of National Memorial like Jalianwala Bagh. It is quite unfortunate to have political divide on this issue. It is absolutely unnecessary; and the precious time of this Parliament is being used to delete the words, "the President of the Indian National Congress" as a Trustee. What is the Government going to gain by this?

Sir, if we look at the history, on 30th April, 1919, the brutal massacre was done by General Dyer, and the entire country, the whole world condemned this incident. In 1920, the All India Congress Committee Session was held in Amritsar where they adopted a Resolution to establish a National Memorial. In the year 1923, the Congress party purchased the land for the Memorial for Rs. 10 lakhs. In the year, 1950, the CWC passed a Resolution to create a Trust to manage the affairs of the Jalianwala Bagh Memorial. Then, in the year 1951, the same Congress party decided to move a Bill in the Parliament. So, a National Memorial Bill of 1951 passed in the Parliament under the leadership of the Congress party. Subsequently, it became a law in which the Congress President is the *ex-officio* Member of the particular Trust.

Here, how can you negate or how can you avoid the role of the Indian National Congress in constructing the Memorial as well as managing the affairs of it? What harm will it create if the Indian National Congress is representing the Trust? Is it the politics of consensus?

Sir, what is the purpose and intent of this National Memorial? It is to provide and establish the national integrity among the minds of the coming generations. We are remembering the contributions of our martyrs, who have laid their lives for our freedom. I am speaking in the Parliament today only because of our forefathers, who had fought for the freedom of this country. This Memorial is to be used for integrating the people of this country, beyond politics,

beyond caste, beyond religion, beyond language. But now, we are dividing the people of the country in the name of a Memorial. It is quite unfortunate on the part of the Government in bringing such a Bill so as to have a political division in this House.

I would like to say that the deletion of words, “the President of the Indian National Congress” as a Trustee is not required. Now, we are having a controversy of the debate on who has made the contribution. Absolutely, I do not belong to Congress party. But let us look at the history. Most of the hon. Members including Prof. Saugata Rayji, Shri Dayanidhi Maran, have made a suggestion. You can make history. A very good political mandate is there with the BJP and the NDA led by Shri Narendra Modi. But that political mandate shall never be misused for rewriting the history of Indian Independence. Then definitely, it would be having adverse effects. Let us have a positive politics. Why should you always be relying on the negative politics? It is absolutely a negative politics.

Sir, if you go through the Bill, its sole purpose is to delete “the President of Indian National Congress” as the *ex-officio* Member of the Trust. It is the sole intention of bringing this Bill.

(1420/RP/MY)

This House is an extended House. The time of the extended House is precious. This time is being used to delete the name of the Indian National Congress President from the Trust is quite unfortunate. This is not a constructive and a positive politic. I humbly urge upon the hon. Minister, my learned friend, to please withdraw this Bill. Last time also, we have discussed about the Bill. Except the political difference, what else is there as far as the Congress Presidency is concerned. Once again, I appeal to the hon. Minister and the Government to withdraw the Bill. Let us have a consensus that those who have contributed to the nation building should be remembered forever. You cannot take back the history. You cannot rewrite the history by omitting the Congress President from the *ex officio* member. It will never forgive you.

I urge upon the Government to please withdraw the Bill. Let us have a political consensus. Let us accept among each other. Then only the country can progress and the thing which you are aiming at is to be achieved.

With these words, I conclude.

(ends)

1421 hours

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I rise to oppose this Bill. I am from the family of freedom fighters. I grew up by hearing the stories of Jallianwala Bagh massacre and other atrocities which were faced by our parents. My grandfather was there in Jallianwala Bagh at the time of massacre. Somehow, he was lucky and he survived. He told me the stories, the way they went village to village for collecting *anna* or half *anna* to buy a piece of land. In one incident, which he narrated to me, his feet were tied with a rope and the other end of the rope was tied with a horse. They were dragged on the road for yards and yards and beaten up after that just because they were going village to village for collecting money to buy a land for the memorial.

The Jallianwala Bagh Memorial Act came into existence in 1951 for erection and management of the memorial in the memory of those killed or wounded on Baisakhi, the 13th April, 1919. Baisakhi is an important religious festival of Sikhs as on this day 10th Sikh master Guru Gobind Singh ji founded Khalsa Panth.

Sir, if you look at the chronology of events upto Jallianwala Bagh massacre, on 13th April, 1919, Congress leaders and freedom fighters Shri Satyapal and Dr. Kitchlew from Amritsar were arrested and sent to Dharamshala. Both of them were at forefront of protests against Britishers. They believe that the oppressive Government could be thrown out by united front of Sikhs, Hindus and Muslims. This led to a strike in Amritsar and on the same day Mahatma Gandhi ji's entry was banned in Punjab. This led to a strike. A crowd of about 50,000 people marched against the deportation of two congress leaders. The crowd, however, was stopped near railway over-bridge and fired upon which resulted in death of about 30 people. This was happened two days ahead of Jallianwala Bagh massacre. There were strong protests by Congress. The civil administration had called the Army. On the same day, in the afternoon, on Baisakhi, 13th April, 15,000 to 20,000 people gathered at Jallianwala Bagh at 4.30 p.m. on the call of Congress leader to protest against draconian Rowlatt Act.

(1425/RCP/CP)

Gen. Dyer arrived at 5.15 p.m. and he ordered fire which went on for 20 minutes in which 65 soldiers fired 1650 rounds. The result was that 1000 people were killed and other 500 were injured. The worst thing was that nobody was allowed to have any medical aid. None of the wounded were allowed be lifted to be taken to hospital.

INC was in the forefront of the freedom struggle and maximum of those went to jail and faced atrocities were Congressmen.

The present dispensation were nowhere or had no role in the freedom struggle but were helping the Britishers against the freedom fighters. Now they are trying to rewrite the history and rub the sacrifices of Congress in the freedom struggle, which will not happen. Instead of wasting their energy and time, they should stress the British Government to apologise for the massacre as the British Government, till this point of time, has not issued any apology.

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): The British Prime Minister David Cameron apologized for the killing of 13 protesters in Northern Ireland by British troops on 'Bloody Sunday' in 1972. And just months after Mr. Cameron's visit, came an acknowledgment of Britain's another colonial-era atrocity: the crackdown on the 'Mau Mau' uprising in Kenya in the 1950s. Britishers paid 19.9 million pounds to more than 5000 Kenyans. The Government of India should pressurise the UK to apologise for the worst condemnable act in which thousands of peaceful, unarmed Indians were killed.

HON. CHAIRPERSON: Please be quick.

... (*Interruptions*)

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, my last point is this. The ruling NDA have a huge majority – I would rather say a brute majority – and they claim to have tall leaders, world-class leaders in their rank and file. I think, they should show magnanimity. They have promised the countrymen the moon, a five-trillion economy, to make India a super power. But, I think, this is small political one-upmanship which they are into. ...(*Interruptions*)

(ends)

1428 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत संसेटिव और राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल के मामले को लेकर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ठीक छः मिनट के बाद अपने आप ही रुक जाऊंगा। सर, मुझे बीच में मत टोकिएगा।

ये जो जलियांवाला बाग की कहानी पढ़ रहे हैं और मैं सुबह से भी बार-बार सुन रहा था कि किसी के ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) की बपौती है। इस कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में हुआ था। ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस जब बनी थी, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों के सामने पढ़े-लिखे लोगों की बात रखने के लिए हमें एक प्लेटफार्म चाहिए। ...(व्यवधान) इसलिए कांग्रेस का गठन हुआ था। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I will check the records.

... *(Interruptions)*

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उस टाइम कुछ सम्भ्रांत परिवार के लोग ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will check the records. If anything is unparliamentary, definitely it will be removed.

... *(Interruptions)*

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): केवल अंग्रेजों की ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करने के लिए ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन हुआ। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the records; do not worry.

... *(Interruptions)*

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): वर्ष 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटे, तो उन्होंने लौट कर कहा कि गरीब लोगों की बात रखने के लिए कांग्रेस होनी चाहिए और एक जन-आंदोलन का नाम कांग्रेस होना चाहिए। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी के आने के बाद जन-आंदोलन के लिए कांग्रेस बनी थी। ...(व्यवधान) वरना पहले ह्यूम कांग्रेस, जो अंग्रेज था, उसके नेतृत्व की कांग्रेस थी।

(1430/NK/SMN)

इसके बाद कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बनने के बाद जलियांवाला बाग की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ...(व्यवधान) क्या एक सप्ताह तक किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेशन किया? एक सप्ताह तक किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ रोष प्रकट किया? अगर ये जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। ये जनरल डॉयर से ... *(Not recorded)* हुए थे ...(व्यवधान) अगर ये जलियांवाला बाग की कांग्रेस की बात करता था, मैं प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Hon. Members, please take your seats. If I find any thing unparliamentary or any personal remarks, I will ask to remove from the proceedings. Do not worry Members.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, अगर ये जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे, जलियांवाला बाग के अंदर इन्होंने खुद कहा, बार-बार सत्यपाल जी का नाम ले रहे हैं, बार-बार किचलु जी का नाम ले रहे हैं। क्या उनका नाम मेमोरियल में नहीं आना चाहिए था? उनका नाम इनको याद नहीं आया, ... (व्यवधान) बार-बार कह रहे थे, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कभी संघ की बात करते हैं। संघ जब वर्ष 1925 में बनी, कांग्रेस के नाम से आजादी मांगने वाले लोग अंग्रेजों की ... (Not recorded) कर रहे थे। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, संघ का निर्माण क्यों हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग और केवल जाति की राजनीति करने वाले लोग देश की आजादी 1947 में हो गया। 1947 में महात्मा गांधी जी को समझ में आ गया, उन्होंने कहा था अब लोकतांत्रिक पद्धति में चुनाव होंगे और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ... (व्यवधान) वह कांग्रेस समाप्त हो गई।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : I will go through the record.

...(Interruptions)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, 1969 में कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे, जब उनसे बगावत हुई, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपने मुंह से कभी निजलिंगप्पा का नाम लिया है? ... (व्यवधान) वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? जब कांग्रेस की अध्यक्षता की सीट से परिवार की बेटों को पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया गया था, तब कांग्रेस का नाम कांग्रेस(आई) हो गया था। ... (व्यवधान) देश की आजादी कराने वाली निजलिंगप्पा की कांग्रेस थी न कि एक परिवार की कांग्रेस थी। उस कांग्रेस से रोटी खाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

...(Interruptions)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मुझे कनक्लूड करने दीजिए। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बार-बार कहते हैं, जिस कलॉज को हटाया जा रहा है, ... (व्यवधान) उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष उसका चयेरमैन क्यों हो? वह नेशनल प्रोपर्टी है ... (व्यवधान) नेशनल संग्रहालय है। मोदी जी का बड़ा मन देखिए, ... (व्यवधान) आपको देश के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया।

...(Interruptions)

भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। ये बोलने नहीं दे रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: You address the Chair.

...(Interruptions)

भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आप उनको पहले बैठाइए, हाऊस आर्डर में नहीं है। वे फिर बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Your people are speaking.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go in record.

... (Interruptions) ... (Not recorded)

भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, अभी हम बीजीपी एक माननीय सदस्य का भाषण सुना, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग ... (व्यवधान)। इनको चुप कराओ।

HON. CHAIRPERSON : You address the Chair.

... (Interruptions)

भगवंत मान (संगरूर): महोदय, इनको चुप तो कराओ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, your time is running out. You address the Chair.

... (Interruptions)

(1435/MMN/SK)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair. Your time is running out.

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चुनकर आया हूँ। ... (व्यवधान) अभी सत्ताधारी पक्ष से माननीय सदस्य बोल रहे थे। ... (व्यवधान) उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग एक स्टोरी है।

सर, यह स्टोरी नहीं है, यह तथ्य है। ... (व्यवधान) आप फिर खड़े हो गए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your turn is over. Please sit down.

... (Interruptions)

श्री भगवंत मान (संगरूर): यह तथ्य है। ... (व्यवधान) यह स्टोरी नहीं है। यह प्रेमचंद मुंशी की लिखी हुई स्टोरी नहीं है। वहां हजारों आदमी मारे गए थे।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, बड़ी मुश्किल से सत्ताधारी पक्ष के सामने मौका मिला है।

HON. CHAIRPERSON: Mr. Bhagwant Mann, you please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैं एड्रेस कर रहा हूँ। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अब हम 2019 में हैं, उस घटना को 100 साल हो गए। वहां लोग क्या करने गए थे? उस समय के नौजवान थे, क्या करने गए थे? प्लानिंग करने गए थे कि अंग्रेजों को इस देश से कैसे निकालें? दुख की बात यह है कि खास तौर से आज भी पंजाब के नौजवान पाकों में इकट्ठे होते हैं, वे प्लानिंग करते हैं कि अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचें? हमने क्या कर लिया? उनको मरवाने का क्या फायदा हुआ? उनको शहीद करवाने का क्या फायदा हुआ? काले अंग्रेज आ गए, हम फिर वहीं आ गए।

मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ। जलियां वाला बाग में यह घटना हुई थी। जलियां वाला बाग में लोग कुंआं देखने तो बहुत जाते हैं जहां लोगों ने छलांगें लगाई थीं, लेकिन वहां दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। अगर 100 साल बाद जलियां वाला बाग को याद करना है, पहली बात यह है कि कांग्रेस, अकाली, बीजेपी से आजाद करो। जलियां वाला बाग किसी एक का नहीं सबका है। यह किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसे सबसे आजाद करो। ... (व्यवधान) मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) कांग्रेस का चेयरमैन, अकाली दल का चेयरमैन या बीजेपी का चेयरमैन, उसका कोई चेयरमैन नहीं होना चाहिए। ... (व्यवधान)

शहीद ऊधम सिंह जी जलियां वाला बाग जिस दिन गए, उस दिन वह पिंगलवाड़ा में थे। उनकी ड्यूटी जख्मियों को पानी पिलाने की लग गई थी। उन्होंने मिट्टी उठाकर कसम खाई कि मैं इसका बदला लूंगा। सुनाम मेरी कांस्टीट्यूंसी में है, संगरूर में सुनाम एक कस्बा है। वे सुनाम से इंग्लैण्ड गए और 22 साल बाद बदला लिया। वे यौद्धा थे, उन्होंने 22 साल सब्र भी किया। उन्होंने सोचा कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बदला लूंगा। क्या शहीद ऊधम सिंह जी के लिए यहां से कोई श्रद्धांजलि दी गई? यहां कोई बुत ही लगा दीजिए। ऐसे आदमियों के लिए हम एक-डेढ़ घंटा डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका बुत नहीं लगा रहे हैं। ये सांवरकर की बात कह रहे हैं, सांवरकर ने माफियां मांगी थीं, 25 लैटर हैं सांवरकर के। ... (व्यवधान) जब काला पानी में थे, माफियां मांगी थीं कि मुझे माफ कर दो। ... (व्यवधान) ऊधम सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी। ... (व्यवधान) उसने जनरल डायर को किंगस्टन हॉल में गोली मारकर पिस्तौल दे दी थी कि मैंने अपने हजारों आदमियों का बदला ले लिया। जब जनरल डायर ने वहां हजार आदमी मार दिए थे, शहीद कर दिए थे, उस दिन रात को डिनर कहाँ किया था, ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के घर पर। मैडम आ गई, इनके घर पर किया था। पूछो, मैं गलत बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) इनके घर पर किया था। ... (व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): आप सबूत दिखा दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आप देखिए, इसमें क्या है? ... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): आप कैसे बोल सकती हैं? ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आप सबूत दिखाइए। ... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): अब इन कागजों से कुछ नहीं बनेगा, यह तो हिस्ट्री है। ... (व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Now, Shri Virendra Singh.

... (Interruptions)

(1440/MK/VR)

HON. CHAIRPERSON: Virender Singh ji, if you want to speak, please speak.

Otherwise, I would request the hon. Minister to reply.

... (Interruptions)

1440 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, इस संसद ने बहुत से ऐतिहासिक मुद्दों पर बहस देखी है। मैं समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक मुद्दे पर जो बहस हो रही है, इसको पूरा देश और दुनिया देख रही है। ऐसे कई ऐतिहासिक मुद्दों पर बहस हुई है, जिनकी गवाह संसद है। आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहस हो रही है, इसके लिए मैं भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मुद्दे पर बहस के लिए देश की संसद को प्रेरित किया है, जो देश की जनता को भी प्रेरित करेगी।

सभापति महोदय, मैं बलिया से सांसद हूँ, जो 1942 के आंदोलन का केंद्र रहा है। पिछली बार बहुत दिनों तक मैं भदोही से सांसद था, जो 1857 के आंदोलन का केंद्र रहा है। आजादी की लड़ाई के दिनों में भदोही में 22 लोगों की फांसी हुई थी, वहां ठाकुर झूरी सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक बना है। मुझे लगता है कि 1857 के आंदोलन ने ही 1942 के आंदोलन को प्रेरित किया था। 1942 के आंदोलन में हमारे क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूँ, मोहम्मदाबाद में छात्रों ने आंदोलन करके देश को आजादी का रास्ता दिखाया था। मोहम्मदाबाद में भी एक स्मारक बना है, जहां बाबू शिवपूजन राय जी ने अपनी शहादत दी थी। 1942 में बैरिया तथा सुखपुरा में जो शहीद स्मारक बना था, उस आंदोलन के केंद्र में कौशल किशोर थे तथा सुदर्शन सिंह उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया से मंगल पांडे ने 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था।

महोदय, राष्ट्रीय आंदोलन को किसी भी राजनीतिक मुद्दों को बहस में नहीं लाना चाहिए। आज राष्ट्रीय मुद्दे पर संसद में जो बहस हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहस संसद में हास्यास्पद न बने, इसकी भी कोशिश जरूर होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे या राष्ट्रीय सवाल पर हमारे मतभेद कहां हैं? जिस कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस कांग्रेस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महामना मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया भी होते थे, उसी कांग्रेस में ई.एम.एस.नंबूदरीपाद और डांगे भी होते थे। कांग्रेस के नेतृत्व में सब लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे देश की आजादी की लड़ाई के राष्ट्रीय सवाल पर लड़ रहे थे। क्षमा कीजिएगा, वह कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी। वह कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी। जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि डॉ.हेडगेवार नागपुर में उस कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यकर्ता होते थे, वे भारत के इतिहास को देख लें। कुछ लोग इतिहास बदलने की बात करते हैं। इतिहास में इतनी ताकत होती है कि कोई माई का लाल इतिहास नहीं बदल सकता, उसकी सत्यता जरूर प्रमाणित होनी चाहिए। बलिया, जहां से मैं आता हूँ, चित्तू पांडे, ठाकुर जगन्नाथ सिंह, कौशल किशोर, शिवपूजन राय जैसे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उस इतिहास को कौन बदल सकता है? किस में ताकत है उस इतिहास को बदलने की? रोना रोने से भारत का इतिहास कभी बदलने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि भारत के ऐतिहासिक तथ्य को सम्मानित करने तथा श्रेष्ठता प्रदान करने का जो प्रयास हमारी सरकार ने किया है, इस संसद को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। 1942 के आंदोलन के महान नेता जय प्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रेरणा आज के गृह मंत्री और पार्टी के

अध्यक्ष अमित भाई शाह ने दी है। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया है, वह स्मारक बन रहा है, जिस ट्रस्ट का चेयरमैन मैं हूँ।

(1445/YSH/SAN)

अब मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जब जलियांवाला बाग स्मारक बना था तो उस समय कांग्रेस का फैसला हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अगर आपको मालूम नहीं है तो हमें मत बताइए। सौगतराय जी हमें मत बताइए। आप जाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इतिहास पढ़िएगा...(व्यवधान) हमें मत बताइए। मैं सुभाष चन्द्र बोस के इतिहास के बारे में जानता हूँ। जिस कांग्रेस ने सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनने के बाद भी उसकी कैबिनेट नहीं बनने दी...(व्यवधान)

1446 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): मैं अपनी बात एक मिनट में पूरी करके समाप्त करता हूँ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह जो बिल जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 लाया गया है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जितने राष्ट्रीय स्मारक इस देश में हैं, उनके रख-रखाव का काम संस्कृति मंत्रालय भी करे। मैं यह कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ।

(इति)

1447 बजे

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अभी परमिशन नहीं दी गई है, प्लीज बैठ जाइए। नाम मुझे तय करना होता है और किसी को तय नहीं करना होता, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनका आभार मानता हूं। इस चर्चा का प्रारंभ गुरजीत जी औजला, हरसिमरत कौर जी, दयानिधि मारन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री राम मोहन नायडु जी, विनायक राऊत जी, दानिश अली जी, रामप्रीत मण्डल जी, भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री बैन्नी बेहनन जी, सुमेधानन्द सरस्वती जी, हरीश द्विवेदी, राहुल शेवले जी, एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, जसबीर सिंह जी गिल, रमेश जी बिधूड़ी, भगवंत जी मान और अन्त श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने किया। मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बात इस चर्चा के प्रारंभ में कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा शुरू में कहा था कि यह राष्ट्रीय स्मारक है और राष्ट्रीय स्मारक कोई राजनीतिक स्मारक मात्र नहीं हो सकता। उस घटना को 100 वर्ष हो गए हैं। उस घटना पर किसी को मतभेद नहीं हो सकता, जो इतिहास में लिखा है, वह न आप बदल सकते हैं, न कोई और बदल सकता है। मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आप अंगुली उठाने से पहले इस बात पर विचार कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, जिनका मैं जवाब दूंगा। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इस चर्चा को जिस तरह से हम निचले स्तर पर लेकर गए हैं, उससे मैं दुखी भी हूं और उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदा भी हूं। मुझे लगता है कि हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को आज बधाई देने का दिन है। इस राष्ट्रीय स्मारक को राष्ट्रीय बनाने की कोशिश है, राजनीति से दूर करने की कोशिश है। आप इस बात से क्यों हैरान हैं? अगर आप यह मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर आप उसका जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी मैं दो तीन-तारीखों से हमारे मित्र ने शुरूआत में की थी, उनसे पूछना चाहता हूं। वर्ष 1951 में ट्रस्ट बना था। ट्रस्ट के जो आजीवन सदस्य थे, वे तीन इस देश की राजनीति के शिखर पुरुष थे। पहले प्रधान मंत्री आदरणीय जवाहर लाल नेहरू, दूसरे डॉ. सैफुद्दीन किचलू जी और तीसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं आपके माध्यम से इस देश को यह बताना चाहता हूं कि ट्रस्ट बना और ये उसके स्थायी सदस्य थे। जवाहर लाल नेहरू जी दिनांक 27.05.1964 को नहीं रहें, डॉ. सैफुद्दीन किचलू जी का 09.10.1963 को देहावसान हो गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद दिनांक 22.02.1958 को नहीं रहे। आप वर्ष 2006 में जागे, आपको 40 साल से ज्यादा उन स्थायी मैम्बर्स को नियुक्त करने में लग गए, क्या यह सच्चाई नहीं है?

(1450/RPS/RBN)

क्या यह सच्चाई नहीं है? मुझे लगता है कि अपने इतिहास को टटोलना चाहिए ठीक है, आपने इनका स्थान नहीं भरा, लेकिन वर्ष 1970 में श्रीमती गांधी इस देश की प्रधान मंत्री थीं और जगजीवन राम जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस ट्रस्ट की अध्यक्षता श्रीमती गांधी ने की, जगजीवन राम ने नहीं की। यह कागज मेरे पास है। जिस दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूँ, वह मेरे पास है। मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ कि वर्ष 1998 में जब सोनिया गांधी जी ने उस ट्रस्ट की अध्यक्षता की, तब देश का प्रधान मंत्री कौन था? मुझे लगता है कि हमारे लिए नियम, कानून, कायदे और एक्ट की कीमत है, हम उनको बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके एक्ट में क्या था? आप जलियांवाला बाग के उस स्मारक को, मेरे मित्र वहां से आते हैं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आपको किसने रोका था? यदि इस ट्रस्ट में शहीद सरदार ऊधम सिंह के परिवार का कोई सदस्य होता तो क्या इस देश को एतराज होता? मुझे लगता है कि यह आलोचना का सवाल नहीं है। आज 100 साल गुजर गए हैं, अगर आप अपने नेताओं को भूल गए, जो 50 साल से नहीं रहे और आप उनके उत्तराधिकारी नहीं तय कर पाए, यह अपराध हम पर मत डालिए। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, देश को भी देना पड़ेगा, संसद को भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई चीजें हैं, इस सच को आप स्वीकार कीजिए कि यह राष्ट्रीय स्मारक है। अगर आप यह मानते हैं कि हम इसमें नेता, प्रतिपक्ष ही बने रहने देते तो क्या आप उसके पात्र हैं? अगर यह बात इस संशोधन में कही गई है तो मैं नहीं मानता हूँ कि यह कोई गलत बात है। इसलिए हम जिस स्तर तक इस बहस को ले गए हैं, मुझे लगता है कि असहमति हो सकती है, आपके मन में यह बात हो सकती है, लेकिन मैं एक आध्यात्मिक परम्परा से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य बाबा श्री ने मुझसे कहा था कि सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की आवश्यकता है। आज के दिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 100 साल पूरे होने के बाद, शताब्दी पूरी होने के बाद, अगर हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों को राजनीति से मुक्त कर देना चाहिए और वह दिन आज है, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि यह बिल दो दिन पहले आता। अगर यह बिल फरवरी, 2019 में पारित हो गया होता तो आप कल्पना कीजिए कि वह दिन कितना अच्छा होता कि 13 अप्रैल, 2019 को जब शताब्दी पूरी हो रही होती, तब हम इसको समर्पित कर रहे होते।

माननीय भर्तृहरि महताब जी यहां बैठे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वास्तव में वहां क्या-क्या हुआ है। भर्तृहरि महताब जी, वहां पर बहुत-से काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, वहां पर काम अभी भी चल रहे हैं। अभी वहां पर लगभग साढ़े उन्नीस करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं, जो आपने अपेक्षा व्यक्त की थी। एएसआई के ही सुपरविजन में वह काम चल रहा है। इस पर भी बवाल है, इस पर भी आपत्ति की गई है। इस पूरे वर्ष भर में सरकार ने देश के सारे राज्यों में गोष्ठियां की हैं। जलियांवाला बाग की शताब्दी पर, उन बलिदानियों की स्मृति में पूरे देश में कार्यक्रम हुए हैं। जलियांवाला बाग में जो निर्माण चल रहा है, उस निर्माण से आपकी असहमति किस बात को लेकर है? अगर एएसआई वह काम कर रही है, जैसा भर्तृहरि महताब जी ने कहा, आप उसके स्वरूप को बदल तो नहीं सकते, वे चीजें जहां की तहां होनी चाहिए। आप बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने

किया है। उस समय की कांग्रेस से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी ने भी अपने वसीयतनामे में लिखा है और मैं मंत्री होने के नाते उस 'गांधी दर्शन' का उपाध्यक्ष हूँ। वहां जाकर वह वसीयतनामा पढ़िए कि गांधी जी ने क्या लिखा है चार लाइनों में। यदि आप चाहते हैं कि मैं सदन में उसे पढ़ूँ तो मैं उसे पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है कि कई बार हम जल्दबाजी में कुछ चीजें बोल जाते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर मैं गांधी जी के वसीयतनामे को पढ़ूंगा तो फिर इन लोगों को आपत्ति होगी कि क्या पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कई बार चर्चा करने से पहले ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने कहा था कि अब देश आज़ाद हो गया है, इसलिए हमें कांग्रेस नाम की संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अब किसी विरोध और बैनर की जरूरत नहीं है। ... (व्यवधान) वसीयतनामा मैंने नहीं लिखा है, इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है। आज आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज का दिन ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के मित्रों से दूसरी बात कहना चाहता हूँ।

(1455/RAJ/SM)

जब यह घटना घटी तो उसमें आम लोग शहीद हुए। क्या आम लोगों को उस ट्रस्ट में स्थान नहीं मिलना चाहिए?... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): वसीयत मतलब विला... (व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : वसीयत मतलब विला... (व्यवधान) वह उन्हीं के अखबार में छपा था। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो अनुसंधान की आदत है, मुझे लगता है कि गांधी जी की 150वीं जयंती भी है। दादा को वह भी याद रखना चाहिए कि केवल जालियांवाला बाग की शताब्दी वर्ष नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): ... (Not recorded) को नमन करते हैं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : हां करते हैं, यह कोई आपत्ति की बात नहीं है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वह बनाया। कांग्रेस के एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वह अपने-आप में सही थे, आम आदमी ने पैसा इकट्ठा किया है और कांग्रेस ने बाद में पैसा दिया है। इतिहास आपने ही लिखा है किसी और ने इतिहास नहीं लिखा है, इसलिए बार-बार यह कहना कि आम आदमी ने शहादत दी, आम आदमी ने उसमें पैसा दे कर बनाने का काम किया। ... (व्यवधान) मैंने आपके समय में नहीं बोला। ... (व्यवधान) हम आपको यह भी याद दिला दें, आप उसको पढ़िए कि जितना पैसा इकट्ठा किया गया था, उसमें पांच-छः हजार रुपये बच गए थे। बाद में जब जमीन खरीदने की जरूरत पड़ी और पैसे कम पड़े तब कांग्रेस ने पैसा इकट्ठा किया है। आप जिस मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, जिन्होंने उस समिति को बनाया, पैसा एकत्रित किया, उन्होंने कांग्रेस को वर्ष 1923 में छोड़ दिया था। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): वह फिर वापस आए। ... (व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : वह कह चुके हैं, मुझे पता है। मुझे लगता है कि यह विवाद का विषय नहीं है। आज जिस प्रकार से यह निर्णय हुआ है। इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हम किसी के इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह गर्व से कहेंगे कि हम इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक में 100 वर्ष बाद जो परिस्थितियां बदलती हैं, उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े जोर से कह रहे थे कि जो इतिहास भूलते हैं, वे मिट जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद यह गलती आपने की थी, जिसका परिणाम आप भुगत रहे हैं।

मैंने पहले ही कहा है कि इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है, इतिहास छूट सकता है। मैं दमोह से चुन कर आया हूँ। वर्ष 1842 की क्रांति की शुरुआत दमोह से हुई थी। वहाँ एक राजा किशोर सिंह थे... (व्यवधान) मुझे लगता है कि बहुत सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। राजा किशोर सिंह लड़ते-लड़ते मर गए। उनका शरीर न जिंदा मिला और न ही मुर्दा मिला। इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। दमोह वह जगह है, जहाँ पर अंग्रेज दो बार हारे। जिस बुंदेला विद्रोह की मैं बात कर रहा हूँ, वह इतिहास में दर्ज है, आप उसे पढ़िए। मैं भर्तृहरि जी की बात से सहमत हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे शिवसेना के मित्र राऊत साहब ने कहा है, मैं आपके माध्यम से सदन और देश को कहना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि संस्कृति और इतिहास का पुनर्लेखन न हो, लेकिन कम से कम पुनर्निरीक्षण हो। जो लोग छूट गए हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए? आप असम से आते हैं, वहाँ 140 इंसान एक साथ गोली से मारे गए थे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनको स्थान मिलना चाहिए?

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में दो स्थान हैं। एक फसियाआम कहलाता है जो देवरी, जिला सागर में है। वहाँ 62 लोगों को फांसी दी गई। उसका नाम फसियाआम हो गया, लेकिन वहाँ पर एक चिन्ह नहीं है। मैंने सांसद होने के नाते निधि देने की कोशिश की, लेकिन हम स्मारक के लिए निधि नहीं दे सकते हैं। अगर लड़ना है तो इन बातों के लिए लड़िए। हमारे यहाँ फसियानल है, जहाँ 27 लोग मारे गए, उनमें एक छः महीने का एक बच्चा भी मारा गया। ऐसा नहीं है कि इतिहास कोई कमजोर है या हम इतिहास पर गर्व नहीं करते हैं! आप अंगुलियां उठा कर किसको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश में ऐसी जगह होगी, जहाँ 50 से ज्यादा, 25 से ज्यादा या 100 से ज्यादा लोग मारे गए होंगे, क्या उनको चिन्हित नहीं करना चाहिए, क्या उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए? जब आप यह कहेंगे तो क्या हम ढूँढ़ेंगे कि किसके नाम यह से करें? मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्मारकों को राष्ट्रीय ही रहने देना चाहिए। हम ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस ट्रस्ट में रहेगा। हम ने कभी नहीं यह कहा कि हमारा नॉमनी ऐसा होगा, लेकिन आप बार-बार अंगुलियां उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहस जिस स्तर पर होनी चाहिए थी, वह नहीं है।

(1500/IND/AK)

आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं तथा उस अत्याचार का प्रतिवाद करते हैं। 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमें जाने, उन बातों को पहचानें, यह सबसे बड़ी चीज थी। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए वह सिर्फ एक स्मारक हो

सकता है, आपके लिए वह ट्रस्ट हो सकता है, वह हमारे लिए मामूली स्मारक या ट्रस्ट नहीं है। हम जानते हैं कि वहां हमारे बलिदानी पुरखों का खून है, उसकी गंध हमें उस मिट्टी से आती है और हमें उसका सम्मान करना होगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन्हें ये बातें कभी याद नहीं आईं...(व्यवधान) ये बेतुकी बहस कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि मेरा पहला खेड़ा पड़ापुहानी है, जहां आज पाकिस्तान की सीमा में लड़ते-लड़ते पहुंचे हैं। हमें छाती ठोककर कहने का अधिकार है कि वे हमारे पुरखे थे और उनका रक्त वहां पर है। हमें उसका गर्व है, लेकिन आपने कभी गर्व नहीं किया। मैं संस्कृति मंत्री के नाते अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मैं वहां जाऊंगा। उस मिट्टी को कलश में भरकर लाऊंगा और अपने प्रधान मंत्री जी को दूंगा। उस कलश को नेशनल म्यूजियम में रखेंगे, ताकि लोगों को इतिहास पता लग सके। यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगता है कि हर समय राजनीति हो रही है। इन संशोधनों में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण किसी राजनैतिक पार्टी को कोई तकलीफ हो। यदि तकलीफ हो रही है, तो केवल इस वजह से कि वे सोचते हैं कि हम केवल राजनीति करना जानते हैं और केवल राजनीति करना चाहते हैं।

महोदय, अंत में, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और यही विनती करूंगा कि इसे राजनीति का पूर्वाग्रह मत बनाइए। यदि यह परिवर्तन इस बिल में है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो सबसे बड़े दल का नेता इसमें हो। एक तरफ तो आप हमारा विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ आप हमारी सराहना भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इरादा कभी किसी का नहीं हो सकता। प्रधान मंत्री डेजिगनेटेड पद पर वहां हैं, इसलिए इस बिल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिस पर सदन को आपत्ति होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास करके इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, we want Division.
...(Interruptions)

1503 बजे

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं –
अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

(1505/PC/SPR)

माननीय अध्यक्ष : अब लॉबीज़ खाली हो चुकी हैं।

महासचिव महोदया, पहली बार मतदान हो रहा है। कई माननीय सदस्य नए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप सूचना को दो बार रिपीट कर दें।

ANNOUNCEMENT RE: OPERATION OF AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System: -

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says "Now Division", the Secretary-General will activate the voting button whereupon "RED BULBS" above display boards on both sides of hon. Speaker's Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
3. For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously "ONLY" after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG.

Red "VOTE" button in front of every Hon'ble Member on the Head phone plate

and

any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat'

Ayes	:	Green Colour
Noes	:	Red Colour
Abstain	:	Yellow Colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG, is heard and the Red BULBS above plasma display are "OFF".
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:
 - (i) If buttons are kept pressed before the first GONG.
 - (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.

(1510/UB/SPS)

Hon. Members can actually see their votes on display boards installed on either side of the hon. Speaker's chair. In case vote is not registered, they may call for voting through slips. If I explain in brief, because it is a long description, just pay attention to the sound of the gong, the first sound and the second sound. As soon as you hear the first sound of the gong, you press both buttons, one on top of your desk and another which has got three buttons. I can also explain in Hindi but I am just telling you. The hon. Members have to press these two buttons simultaneously after the first sound of the gong is heard. You keep pressing both the buttons till you hear the second sound of the gong. That is the only part you can keep in mind. You can see on both sides, if you press the green button, then you can see on your seat whether the green signal has appeared or not. मैं आपको हिन्दी में भी बता दूंगी।

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे पुनः रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

SOME HON. MEMBERS: Sir, we want Division.

SECRETARY-GENERAL: Now, I will start the process of Division. When I will press the button, you will hear the sound of the gong and then you can start voting.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, अगर आप सबकी सहमति हो तो इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम से दोबारा मतदान करा दें।

(1515/KDS/KMR)

माननीय सदस्यगण, कोई भी बटन अभी प्रेस नहीं करें। जब आपको दोबारा बोला जाए, तब प्रेस करें। सभी माननीय सदस्य बटन छोड़ दें। बटन से अपने-अपने हाथ हटा लें।

मैं इसे पुनः रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: अब मतदान।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

(1520/SJN/SNT)

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यक्षीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 214

नहीं: 30

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my amendment is to include the President of the Indian National Congress or the member of working

committee of All India Congress Committee nominated by the President of the All India Congress to be incorporated in clause (b) of page 1 for line 6.

I beg to move:

Page 1, for line 6, substitute,--

'(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

'(b) the President of the Indian National Congress or the member of working committee of All India Congress Committee nominated by the President of the All India Congress,".'. (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we want division. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी डिविजन मांग सकता है।

अब मतदान:

...(व्यवधान)

SECRETARY-GENERAL: I am starting the process of division.

(1525/GG/GM)

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यक्षीन, मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 33

नहीं : 156

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

Page 1, after line 10,-

insert "(da) the Member of Parliament representing the area where the Jallianwala Bagh National Memorial is situated;"'. (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I demand a Division.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यक्षीन, मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 28

नहीं : 199

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(1530/KN/RK)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, एक मिनट सुनिए। पहले सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहादत दी है, जिस देश के लिए इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी है, जिस देश के लिए राजीव गांधी जी ने शहादत दी है, आपको लगता है कि उसी देश की फैमिली के लोग ... (Not recorded) दिखाएंगे। ... (व्यवधान)

1532 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रो. सौगत राय, श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं।

DAM SAFETY BILL

माननीय अध्यक्ष : अब हम बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 लेंगे. माननीय मंत्री जी, एक मिनट। हाउस ऑर्डर में आ जाए। माननीय सदस्यगण, जिसको सदन से बाहर जाना हो, चले जाएं। सदन में खड़े होकर बात मत कीजिए।

माननीय मंत्री महोदय।

1533 hours

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): I

beg to move:

“That the Bill to provide for surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dam for prevention of dam failure related disasters and to provide for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ प्रस्तावना रख दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहते हुए जल का संचय कर उपयोग में लेने के लिए बांध बनाने का बहुत पुराना इतिहास विश्व भर में रहा है। दुनिया भर में हाइड्रोइलैक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए और फलड प्रिवेंशन के लिए ऐतिहासिक काल से अब तक हजारों-हजारों बांधों का निर्माण हुआ है। दुनिया भर के बांधों की यदि लार्ज डैम्स की संख्या की तरफ देखा जाए तो अब तक 50 हजार से ज्यादा बांध दुनिया भर में बनाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इतिहास की ओर दृष्टि डाली जाए तो दुनिया में जो सबसे पुराना बांध बनाने का मानव निर्मित बांध का इतिहास है, वह 3000 ईसा पूर्व में तत्कालीन मेसोपोटामिया में, जो वर्तमान में जॉर्डन देश के हिस्से में आता है, वहाँ कुछ बांधों की श्रृंखला का निर्माण उस समय के लोगों ने किया था। उसमें 'जावा' नाम का बांध सबसे पुराना है, ऐसा आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर है। इजिप्ट, रोम, श्रीलंका में ईसा पूर्व के इतिहास में भी अनेक-अनेक बांध बनाने के उल्लेख मिलते हैं।

(1535/CS/PS)

आज की तारीख में सबसे पुराना बांध, जो आज भी फंक्शनल है, काम कर रहा है, वह बांध सीरिया का lake Homs Dam है, जो पिछले 2600 वर्षों से उचित रख-रखाव और प्रबंधन के कारण आज भी उपयोग में आ रहा है, आज भी सर्विस प्रोवाइड करता है।

महोदय, यदि हम भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत के लिखित इतिहास में जिस सबसे पुराने बांध का उल्लेख है, चोल राजवंश द्वारा grand anicut नाम से जो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसका उल्लेख मिलता है। अगर दुनिया के कुल 10 पुराने बांधों के बारे में अध्ययन किया जाए, जो आज भी फंक्शनल हैं, तो उनमें से 5 बांध भारत और जापान में स्थित हैं।

महोदय, बांधों की सुरक्षा और उनकी बढ़ती हुई उम्र विश्व भर के इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय है और गंभीर चिंतन विश्व भर में इस दिशा में होता है। मैं अत्यंत दुख के साथ आज सदन में यह कहना चाहता हूँ कि कल ही इंग्लैंड में एक बांध टूटने का समाचार मिला है, जिसमें लगभग 6 हजार लोगों को बेघर-बार होना पड़ा और वह भी इसलिए संभव हुआ, क्योंकि उस देश में बांध की सुरक्षा को लेकर अत्यंत उन्नत प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो प्रबंधन के उचित प्रोटोकॉल, राष्ट्रव्यापी प्रोटोकॉल न होने के कारण से पिछले ही महीने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का तिवारे बांध टूटा था, उसके कारण से 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

महोदय, जैसा मैंने कहा कि बांधों की बढ़ती हुई उम्र देश भर के इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय है। यह गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है। यदि दुनिया भर में बांधों की लार्ज डैम श्रृंखला का देखें, तो चीन में 19 हजार बांध हैं, उसके बाद अमेरिका है और तीसरा नम्बर भारत का है। भारत में 5,745 ऐसे रेजरवायर्स आज हैं या निर्माणाधीन हैं। इन 5,745 बांधों में से 293 बांध ऐसे हैं, जिनकी आयु 100 साल से ज्यादा हो गई है। देश के कुल बांधों में से लगभग 20 प्रतिशत से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जिनकी आयु 50 साल से 100 साल के बीच में हो गई है। जो देश में कुल 5,745 बांध हैं, उनमें से 80 प्रतिशत बांधों की आयु 25 साल से ज्यादा है।

महोदय, हालांकि बांध के टूटने के खतरे और बांध की वय/उम्र का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बढ़ती हुई उम्र के साथ जिस तरह से बांधों के रख-रखाव और उचित प्रबंधन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से इसे पूरा विश्व स्वीकार करता है। बांध का टूटना न केवल एक जान-माल के खतरे को पैदा करता है, अपितु बाई फेल्योर ऑफ डैम पूरी रिवेराइन इकोलॉजी को प्रभावित करता है। वहाँ की फ्लोरा, फोना आदि सब चीजें उससे प्रभावित होती हैं। जैसा मैंने इस विधेयक के इंट्रोडक्शन के समय में भी निवेदन किया था कि भारत में जो कुल बांध हैं, उन बांधों के 92 परसेंट डैम्स ऐसे हैं, जो डैम्स इंटर स्टेट रिवर बेसिन पर स्थित नदियों पर बने हुए हैं।

महोदय, इसलिए यह आवश्यक है, क्योंकि बांधों की सुरक्षा अंतरराज्यीय विषय है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर का एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जाए। इंजीनियरिंग और तकनीकी के इस युग में यदि कोई बांध या ऐसा स्ट्रक्चर टूटता है, तो जैसा मैंने निवेदन किया कि वह न केवल जान-माल का खतरा बनता है, प्रस्तुत करता है, अपितु पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय शर्म का विषय भी बनता है। यह पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बनता है। पूरे विश्व के अभियंता इस बात का अध्ययन करते हैं कि वहाँ जो बांध टूटा था, उसके पीछे क्या कारण थे? यदि कारण यह पाया जाए कि बांध का उचित रख-रखाव और प्रबंधन नहीं हुआ था, उसके चलते बांध फेल्योर हुआ है, तो यह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए शर्म का विषय बनता है। भारत में अब तक कुल 40 बांध टूटने के प्रकरण हुए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रकरण वर्ष 1979 में गुजरात के मोरबी में मच्छु बांध टूटने का है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 15 हजार से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।

महोदय, उस बांध के टूटने के बाद, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह से अभियंताओं के अध्ययन का क्रम रहा है कि जब कोई बांध टूटता है, तो विश्व भर के अभियंता/इंजीनियर्स उसका अध्ययन करते हैं। भारत में भी उसका अध्ययन किया गया। उसके बाद इस देश में इस बात की चर्चा हुई, आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में भी एक ऐसा प्रोटोकॉल बनना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जिससे देश में बांधों की सुरक्षा की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी चिंतन किया जा सके।

(1540/CS/RC)

वर्ष 1982 में पहली बार इस दिशा में चिंतन प्रारम्भ हुआ। एक कमेटी कांस्टीट्यूट की गई। उस कमेटी को, जो देश में उस समय तत्कालीन डैम सेफ्टी की प्रैक्टिसेज बनी हुई थीं, उनके अध्ययन के साथ-साथ एक नई डैम सेफ्टी प्रैक्टिस बनाने के लिए प्रोटोकॉल बनाने की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1986 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2002 में डैम सेफ्टी के लिए एक ड्राफ्ट बिल बना करके सारे प्रदेशों को भेजा गया।

महोदय, अत्यंत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2002 से लेकर, आज 17 साल बीत जाने के बाद भी केवल एक प्रदेश बिहार ने अपना पूरा डैम सेफ्टी एक्ट, जो ड्राफ्ट बिल था, उसके आधार पर बनाया। आदरणीय प्रेमचन्द्रन साहब यहां बैठे हैं, केरल राज्य ने वर्ष 2006 में अपने वाटर एंड इरीगेशन एक्ट में संशोधन करते हुए डैम सेफ्टी का एक चैप्टर 2006 में जोड़ा। माननीय प्रेमचन्द्रन साहब साहब उस समय मंत्री थे।

महोदय, देश भर में यह चिंता का विषय उस समय भी था। देश भर में इसकी चर्चा के बाद में वर्ष 2010 में वैस्ट बंगाल की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपनी असेम्बलीज में एक रिजोल्यूशन पारित करके भारत सरकार से, भारत की संसद से आग्रह किया कि आप एक ऐसा बिल प्रस्तुत करें, एक ऐसा कानून बनाएं, ताकि हमारे यहां हम उसको एडॉप्ट करेंगे और हमसे प्रेरणा लेकर पूरे देश के अन्य प्रांत भी उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे देश में बांधों की सुरक्षा को लेकर एक समुचित व्यवस्था की जा सके। वह बिल जिस दिन प्रस्तुत हुआ, उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद विस्तार से स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विचार किया। उसने विचार करके अपनी तरफ से उसमें संशोधन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में वह बिल पास न हो सका, वह संसद पर टेबल होता, उससे पहले उस संसद सत्र की आयु समाप्त हो गई थी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का रीआर्गनाइजेशन हो गया, इसलिए तकनीकी रूप से वह बिल नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इस विषय की महत्ता को समझते हुए, जो ड्राफ्ट बिल उस समय राज्यों में सर्कुलेट किया गया था और बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही यह नया बिल लाकर, इस महत्वपूर्ण विषय पर नया विधेयक लाकर हमने आज चर्चा के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत किया है।

(1545/RV/SNB)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लेकर स्टैण्डिंग कमेटी का रिएक्शन था और उन्होंने अनुशंसा की थी। उस समय हम उसे संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत लाए थे। स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी अनुशंसा में यह लिखा कि संसद को ऐसा कानून बनाने की पूरी शक्ति प्राप्त है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस में लिखा है कि 'संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 56 के संदर्भ में संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है'...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह 246 है।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: I am not yielding. I stand corrected.

महोदय, वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 2010 में, जब बिल आया और जब यह स्टैण्डिंग कमेटी के पास गया तो स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी दूसरी मुख्य अनुशंसा में लिखा है कि इस कानून को बनाने में इतनी देरी क्यों की गई? स्टैण्डिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों ने, जो उस समय विद्वान सदस्य थे, उन सबने उसके बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उस समय उसके अध्यक्ष गोगोई साहब थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैण्डिंग कमेटी की जो अनुशंसा थी, उसके आधार पर हमने सॉलिसिटर जनरल से राय माँगी। सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी राय में यह कहा कि अनुच्छेद 246, read with Entry 56 and 97 of List 1 of Seventh Schedule, संसद, ऐसे विषय में, जो लोक हित में, जन हित में आवश्यक है, उस पर कानून बनाने में सक्षम है। चूंकि संसद के सामने आज यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक के मुख्य पहलुओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएँ काम करती हैं – नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, वह बड़े बाँधों की सुरक्षा के मानक तय करती है। वह, व्यवस्थाओं में सुधार, ऑपरेशन एण्ड मेनटेनेंस और उसके प्रोटोकॉल्स के साथ-साथ नीतियां बनाने में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जो रिपोर्ट्स या नीतियां कमेटी बनाकर देती हैं, उन्हें लागू कराने के लिए सेन्ट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो आज भी काम करता है। ठीक इसी आधार पर, राज्यों में भी इसी तरह की द्विस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन चूंकि ये चारों संस्थाएँ एडवाइज़री रोल में काम करती हैं, इन्हें किसी भी तरह की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसा संज्ञान में आया है कि राज्यों के स्तर पर जिस गम्भीरता से इस दृष्टिकोण में, इस महत्वपूर्ण विषय पर काम किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक में भी इन्हीं द्विस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इस द्विस्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण बनाने का उपबन्ध हमने किया है। समिति एक टेक्निकल बॉडी है। वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, जिसमें राज्यों के सदस्य भी होंगे, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि भी

होंगे और इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी होंगे, जो मिलकर राष्ट्रव्यापी बाँध सुरक्षा एवं परिचालन की नीतियों का निर्धारण करेंगे।

इसके साथ-साथ हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो उपबन्ध किया है, वह राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण का है। जो नीतियां कमेटी बनाएगी, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी के रूप में राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो वर्तमान में व्यवस्था है, उसी के अनुरूप स्टेट लेवल पर भी इन्हीं तरह की दो संस्थाएं - स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान हमने किया है, जो राज्यों में समय-समय पर ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस से संबंधित और बाँध सुरक्षा से संबंधित सारे विषयों का अध्ययन भी करेंगे और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम भी करेंगे।

(1550/MY/RU)

कुछ ऐसे स्थान हमारे संज्ञान में आए हैं, माननीय निशिकांत दुबे जी बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि देश में ऐसे 13 बांध हैं, जिनका ओनर कोई दूसरा स्टेट है और बांध किसी दूसरे स्टेट में स्थित है। उन सारे बांधों के बारे में कई बार ऐसा संज्ञान में आया है और वहां सुरक्षा को लेकर बहुत सारी खामियां हैं। वर्तमान में हमने इस विधेयक के माध्यम से जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, वह स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी, ताकी उन बांधों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, देश में बांधों की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा और इमरजेंसी सिचुएशन से जुड़े हुए एक्शन प्लान भी होने चाहिए। बांध टूटना ही केवल दुर्घटना नहीं हो सकती है, बल्कि उसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के कारण भी बांधों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था पूरे विश्व भर में है। यदि इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, तो आज देश के अधिकांश बांधों के लिए समुचित इमरजेंसी एक्शन प्लान नहीं बना है। जब बार-बार इंस्पेक्शन होती है, वर्तमान में जो एजेंसी है, वह इंस्पेक्शन करती है और बार-बार नोटिफाई करती है। प्रदेशों के डिवीजन के पास कुछ ऐसे बांध हैं, जिन पर दोनों प्रदेशों का स्वामित्व है। उन बांधों के संबंध में मैं सदन के सदस्यों के पास जाकर निवेदन करूंगा कि यदि आप उस बांध की गैलरी में जाकर देखेंगे, तो दोनों प्रदेशों ने अपने-अपने हिस्से के बांध को अलग-अलग कर लिया है। एक ही बांध के दो टुकड़े हैं, घर का आधा टुकड़ा इधर है और आधा टुकड़ा उधर है। उस बांध का एक प्रदेश में किस तरह से रख-रखाव किया जा रहा है और दूसरा प्रदेश किस तरह से रख-रखाव कर रहा है, इन दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा। यह इतनी बड़ी संरचना है, जिस पर खतरा होने के कारण लाखों लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है, पूरी व्यवस्था खतरे में आ सकती है, पूरी इकोलॉजी खतरे में आ सकती है। आज उन बांधों की सुरक्षा को फौरी तौर पर लिया जा रहा है। हमारे लिए यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में बांध सुरक्षा के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। इसके साथ ही बांध के जो ओनर्स हैं, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सबिलिटी और क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस दोनों होना आवश्यक है।

महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। इस विधेयक की महत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए मैंने विश्व भर के कई बांधों के टूटने के बारे में चर्चा की है। जैसा मैंने कहा कि यह केवल बांध टूटने की बात नहीं है, बल्कि कई बार ऑपरेशनल मैन्टेनेन्स प्रॉपर नहीं होने, मैन्टेनेन्स के प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं करने, मानसून के समय एक साथ ज्यादा पानी छोड़ने तथा समय पर पानी रिलीज नहीं करने के कारण भारी आपदाओं का इतिहास इस देश में रहा है। पिछली बार केरल में जो बाढ़ आई थी, हमारे प्रेमचन्द्रन साहब इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे, क्योंकि उसका भी कारण यही था। हमारे लिए यह आवश्यक है कि देश में इस तरह का एक प्रोटोकॉल बने, इस तरह की एक संवैधानिक व्यवस्था बने कि देश के सारे बांधों की सुरक्षा होनी चाहिए। हम बेशक यह मानते हैं कि यह संपत्ति राज्य की है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के सारे सदस्यों, बांधों के ओनर्स, राज्य सरकारों और सारे पीएसयूज को इस बात के लिए स्पष्ट शब्दों में अवगत कराना चाहता हूँ कि हम बांधों पर अधिकार नहीं करना चाहते हैं। बांध आपकी ही प्रॉपर्टी हैं, बांध आपका ही रहेगा, उसमें जो पानी है, वह भी आपका रहेगा, उससे बनने वाली बिजली भी आपकी रहेगी, पानी में जिसका जितना शेयर है, उसका उतना ही रहेगा। बांध का स्वामित्व लेने और उनके ऑपरेशन व मैन्टेनेन्स में हस्तक्षेप करने का हमारा कतई इरादा नहीं है। मैं एक पवित्र भाव के साथ केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। यह तबाही को रोकने से जुड़ा हुआ विषय है। इस भावना को समझते हुए और इसके साथ न्याय करते हुए, इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि पवित्र भाव से लाए हुए इस बिल को आप सभी पास करें। आपके सहयोग के लिए मैं सभी सदस्यों का आभार तथा अभिनंदन करता हूँ।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

(1555/KKD/CP)

1555 hours

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, before dwelling upon the subject matter of the legislative document, I would like to browse on the odyssey of water conservation, water reservation in our country and across the world.

With the first human settlement about 6,000 years ago, humankind are confronting two-fold challenges. First is to protect themselves from flood; and second is to conserve water so as to ensure the supply of water for domestic use and irrigation.

Storage of water is not new to us. Earlier, the storage of water was used to be in the cistern, in the *tanki*. In Palestine and Greece, those *tankis* are still in use. The earliest dams to retain water in large quantities, as has been stated by the hon. Minister, are: Jawa Dam in Jordan, Wadi al-Garawi, Egypt. One of the oldest operational dams is Quatinah Barrage in Syria.

All the Great Civilisations in the world starting from Civilisation of Nile, Tigris, Euphrates, Harappa, Mohenjo-daro, Huang He flourished on the basis of water management. So, water management is inherent in our civilisation, and in our existence also. Even in Chandogya, one of the principal Upanishads, it has been depicted that the all rivers discharge their waters into the sea; they lead from sea to sea. The clouds raise the vapour and it releases the rain. This is the hydrological cycle. The geography of our Indian empire was sculpted on water and wind.

Therefore, now, our struggle is to escape from water scarcity. The hon. Minister has talked about largest dams across the world starting from first USA, then China and then India.

But I would like to draw the attention of the House that the *per capita* storage capacity in North America is 6,150 cubic meters. In Russia, it is 6,016 cubic meters. In Austria, it is 4,729 cubic metres. In China, it is 2,486 cubic metres. But in India, it is a meagre 262 cubic metres.

We have no dispute with them insofar as dam safety is concerned. If it was so, the Bill would not have come in the year 2010. The hon. Minister has already raised the issue, which was supposed to be raised by us. Virtually, in anticipation to our queries and clarifications, the hon. Minister was competent

enough to deal with all the matters, which might have come during the discussion. So, the hon. Minister has rightly done his job.

But here, I would simply like to draw the attention of the House that experts had suggested that the Bill of 2010 may be brought under Entry 56 of the Union List to be expedient in public interest; only to the point of 'to be expedient in public interest', they have invoked Article 246. The Bill of 2010, gave States the flexibility and option to enact the law. The Bill of 2019 makes it mandatory for all the States to comply, and it takes away such flexibility. The Bill of 2019 would also override any existing Inter-State Agreement related to dam safety. Therein lies the rub.

(1600/RP/NK)

You are trying to convince the House that you are going to have a great endeavour for the safety of our dam. Before coming over here, you should have a threadbare discussion and a deliberation with all the concerned States to resolve the issue so that you did not have any necessity to come over here and to spell out the nuts and bolts of dam safety aspects.

I may refer Clauses 49 and 50, the language of several sections of the Bill suggest that the State Dam Safety Organisation is appeared to be subservient to the National Dam Safety Organisation. इसलिए सभी को डर है कि आप उनके ऊपर इन्क्रोच कर रहे हैं, यह हमारा डर नहीं है। आप डेलिब्रेटिव एप्रोच क्यों नहीं अपना रहे हैं। यह मेरा कहना है। आप मोटे तौर पर हमारे सारे क्लेरिफिकेशन का जवाब पहले ही दे चुके हैं।

The Bill specifies that the Central Government can amend these schedules through a notification if deemed necessary and the functions of such authorities, that are established in the Bill, should be specified in the main part by Parliament and not delegated to the Government. The Central Government has the power to alter the function of the State Governments and State Committees on dam safety through a notification.

डर इस बात का है कि आप नोटिफिकेशन करेंगे और शिड्यूल बदल देंगे, उनके ऊपर आप इन्क्रोचमेंट करेंगे, डर स्टेट का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है। आप हिंदुस्तान का एनिकट कह रहे थे। शायद मंत्री जी आप स्वीकार करेंगे कि हमारे कॉटन साहब ने 1840 ई. में गोदावरी का जो पार्चर्ड लैंड था, उसको ग्रीनरी बना दिया था। उनकी मूर्ति अभी राजमुन्दरी में स्थापित हुई है।

The Chairperson of the Central Water Commission is the *ex-officio* Chairperson of the National Commission on Dam Safety. The representative of CWC is a member of each State Committee on Dam Safety as per Clauses 5 and 11. The CWC is involved in policy making about dams. It is also involved in their approval, guiding, design, financing, monitoring, approval seismic parameters and so on. The dam safety is essentially a regulatory function. The CWC is in clear conflict of interest of being involved in the dam safety mechanism. These are the infirmities that have been observed.

The CWC is entrusted for different jobs. You have been brought CWC in another job. So, there may be a conflict of interest. Also, CWC has had a poor track record in dam safety and hesitant to place blame on dam operators for the wrong and unsafe operation of dams. You have referred to Kerala inundation. Yes, during that Kerala inundation, we have incurred a huge financial loss, physical loss and infrastructural loss. In our country, 44 per cent of dam failures are result of breaching.

I would simply suggest the hon. Minister that you should conduct a pre-monsoon and post-monsoon inspection of all the dams. Only Tamil Nadu and Himachal Pradesh are conducting these kinds of inspections. There is an allegation against you and your Ministry that you are going to centralise everything. The National Regulatory Committee and the National Dam Safety Authority are meant to device safety policy, implement guidelines, recommend regulation, however, the process of maintaining and protecting the dams previously came under the ambit of State Government. You have explained it. (1605/RCP/SK)

The Bill is focussed on structural safety of dams and it does not address the issue of operational safety in sufficient manner. You have tried to explain it but still there is a gap between lip and cup.

Also, insofar as the appointment of specialist members is concerned, the Bill requires appointment of up to three members out of total 21 members 'specialists in the field of dam safety and allied fields' nominated by the Central and State Governments respectively as members of NCDS and SCDS. However, there is no mention of these persons having an independent track record, nor is there any mechanism mentioned regarding the metrics according to which these individuals will be selected.

There are many issues that still need to be addressed. The Bill has a clear focus on structural safety of dams. The CAG report on 2015 Chennai floods revealed that indiscriminate discharge of water from Chembarambakkam reservoir had caused a huge loss. This was a human error. The overarching subject of 'Dam' previously came under the ambit of State Governments but now dam safety will be regulated by your organisation.

Dam inherits displacement of the common people. Do you have any clause or do you have anything at your disposal under the Bill to offer compensation to the affected families? आज तक कितनी फैमिलीज़ अफैक्टिड हुई हैं? कितना कम्पैन्सेशन दिया गया है? कितने बांध बनाने से पहले डैम प्रोजेक्ट्स को साइड में रख दिया है, नहीं बना पाए हैं क्योंकि डिसबर्समेंट, कम्पेन्सेशन की फाइल साइन नहीं हुई है, आप इसका ब्यौरा देंगे तो अच्छा होगा। हम प्रपोज करते हैं कि there is a need for an independent regulator as well as for a precise definition of stakeholder.

ये मामूली चीजें हैं, हम चाहते हैं कि आप इनपर गौर करें, इसे संज्ञान में लें। हम चाहते हैं कि डैम्स की सेफ्टी बरकरार रहे। हम सबको मालूम है कि हमें आज या कल पानी के लिए बड़ा तरसना होगा। मनी और पानी में अभी फर्क यह है कि पानी मनी से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आजादी के समय 5177 क्युबिक मीटर थी और आज घटकर 1545 क्युबिक मीटर हो गई है। यह कहा जाता है कि 1700 क्युबिक मीटर से कम हो तो वाटर स्ट्रेस होता है, हम इससे भी नीचे उतर गए हैं।

मैं अपने राज्य के बारे में एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। हमारे राज्य में डीवीसी में सात बांध बनाने का प्रपोजल था जबकि अभी चार ही बने हैं। इसके साथ फरक्का बैराज और तीस्ता प्रोजेक्ट हैं। बंगाल के तीन हिस्सों में बैराज और बांध के कारण कभी हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। बंगाल लोअर राइपेरियन में स्थापित है। निशिकान्त जी कहते हैं कि कभी-कभी बिहार और झारखंड से पानी नीचे चला जाता है। हम नहीं चाहते कि झारखंड से पानी यहां आए, लेकिन क्या करें, लोअर राइपेरियन स्टेट है इसलिए पानी तो आएगा ही। डीवीसी, फरक्का बैराज और तीस्ता प्रोजेक्ट का अभी जो हाल है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ बताकर हमें खुश करेंगे।

हम चाहते हैं कि डैम सिक्योरिटी बिल को चुस्त-दुरुस्त तरीके से पारित हो। इसके साथ मैं जरूर कहूंगा कि एन्क्रोचमेंट नहीं किया जाना चाहिए। सूबे की सरकार को वंचित नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान फेडरल कंट्री है, सारे सूबे फेडरल कंट्री के कम्पोनेंट हैं, सबको साथ लेकर आप काम कीजिए। नमस्कार।

(इति)

(1610/SMN/MK)

1610 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thanks to the hon. Speaker and the hon. Chairman and also to our Party leaders for providing me a chance to speak out of priority.

I rise to support this Bill. At the time of introduction, I was opposing the introduction of the Bill on technical grounds and also merely on constitutional grounds. Still I support the contents of the Bill.

Sir, why am I supporting the Bill? It is because this Bill is pertaining to the dam safety of the country as a whole. As you have rightly said in the opening remarks, the exclusive intention of this Bill is to have the dam safety. It has nothing with the water distribution or sharing of water. So, I fully support this Bill.

Sir, dams have played a key role in the rapid sustainable agricultural and rural growth of our country. During the last 50 years, India has substantially invested in dams and related infrastructure in India. There are 5,254 dams which are completely constructed and 447 dams are under construction. In the world, India stands third for the number of dams, it has. After China and US, India stands in 3rd position.

Coming to the dam failures, as per the International Commission of Larger Dams, there are 200 notable failures of large dams in the world till 1965. Globally, 2.2 per cent of the dams which were built before 1950 have failed. But the failure rate of dams built since 1951 is less than 0.5 per cent.

Sir, in India, first dam failure was in Madhya Pradesh in 1917 when the Tigra dam failed due to the overtopping. So, the worst dam failure which we have experienced was in the year 1979, that is the Machhu dam failure in Gujarat. More than 2000 people have died. In total, there are 36 dam failures which had happened and experienced in India.

According to me, the reasons are as follows. Number one is inadequate design and poor quality of construction are the causes of dam failure and it is also due to breaching.

Sir, I think that the rate of accidents over dam failures is 44 per cent but for overtopping, it is 25 per cent as a whole.

Coming to the point of dam safety, it is a big concern for India because 75 per cent of the large dams in India are more than 25 years old. About 164 dams are more than 100 years old including Mullaperiyar dam which is more than 133 years old and that too, it is made of surkhi and lime. An unsafe dam badly maintained can be hazard to human life, flora and fauna and the entire environment ecology will be adversely affected. So, what is the need for a Dam Safety Bill? In this scenario, comprehensive legislation of dam safety is highly essential in India since we do not have a legal and institutional architecture for dam safety.

The existing organisation of National Committee on Dam Safety and the existing organisation of the Dam Safety in the States do not have any statutory powers and only advisory in nature. So, the present Dam Safety Bill empowers the dam safety to address all the issues concerning inspection and surveillance of the maintenance and operation of the dams and emergency action plan is also there. So, it provides a National Committee on Dam Safety; it provides a National Dam Safety Authority and the State Committee on Dam Safety. Three main organisations are there.

Sir, I have objections to the Bill or my reservations to the Bill. I will conclude within a short span of time.

This is my first objection. Hon. Minister may kindly note that Section 8 subsection 1 clause 2 of the Bill says the Chairman of the National Dam Safety Authority is a single man authority, that too, a person who is not less than the rank of an Additional Secretary. Such an important authority, National Dam Safety Authority, is being chaired by an Additional Secretary. This means the seriousness has not been put on the Dam Safety Authority. An officer not below the rank of an Additional Secretary is not sufficient to meet the purpose. So, my first suggestion is that the dam safety involves more complex, sensitive and technical matters. It is better to ensure that a competent technical person be the head of the authority with more Members.

(1615/MMN/YSH)

Let us have multiple number of members with a competent technical person as the Chairman. I do not prefer a judge. Let it be a competent technical person as the Chairman with multiple members. That is my first suggestion.

The second objection to the Bill is regarding section 9 (3). There is no appellate authority to appeal against the decision of the single-member authority. The decision of an Additional Secretary shall be final means it is against the basic principles of natural justice. So, that is the second objection which I would like to make.

Third one is about section 24(1). If the specified dam is in a State owned by another State, there will be a chance of non-representation of the State, where the dam is situated, in the National Committee on Dam Safety, as the State representatives, who are seven in number, are coming by rotational basis. I will just elucidate this point to understand it. According to the provision section 24 (1) – I fully agree –some dams are situated in my State but they belong to Tamil Nadu. For example, there is the Parambikulam-Aliyar Project Agreement in which four dams are involved. They are Parambikulam, Peruvarepallam and Thunakkadavu as well as Mullaperiyar Dams. Though all these four dams are situated in the State of Kerala, the owner of the dams is the State of Tamil Nadu. In such a situation, the Surveillance and Dam Safety Organisation of Kerala has no power over these dams. According to section 24 (1) of this Bill, the entire power or authority will be vested with the National Committee on Dam Safety. ...(*Interruptions*) Why? I will tell you. Mr. Raja, I am supporting it.

It is because a dam belongs to a particular State but it is being situated in another State. No State can give justice to another State. We know water is such a sensitive subject. So, it is absolutely a correct provision you have made in the Bill. I support the Bill. But, at the same time, my suggestion is, let the Kerala representative and the Tamil Nadu representative be there in the National Committee on Dam Safety as permanent members. Then only, we can resolve the dispute in an amicable manner. That is the third suggestion which I would like to make.

I will conclude by making the bullet points. Sir, coming to the drawbacks in the Bill, first one is, the whole dam safety mechanism is dominated by the Chairman of the Central Water Commission. A representative of the CWC is being a member of each State Committee on Dam Safety. The track record of dam safety of the Central Water Commission is not good. If we examine the Kerala flood of 2018, the CWC claimed that the dams cannot be blamed for worsening of the flood situation which happened in Kerala, when all evidences

and reports are contrary to the facts. That is the track record of the Central Water Commission. Kindly review that position.

My second point is, there is no inclusion of compensation to be given to the victims of dam failure. When a dam failure takes place, nothing is being mentioned in the Bill regarding the compensation to be given to the victims.

My third point is, the Bill does not define or interpret the term 'stakeholders'. Who are stakeholders? It was there in the Dam Safety Bill of 2018 but unfortunately, it is missing now.

My fourth point is, the Bill does not mention the qualification and the independent track record of the members to be appointed in the National Committee on Dam Safety and the State Committee on Dam Safety and there is no mechanism for their selection.

My fifth point is, the dam safety should be integrated with the land use planning.

My sixth point is, the Disaster Management Authority does not have a significant role as per the Bill. The Dam Safety Authority and the Disaster Management Authority have to act in close association but unfortunately, their significant role is missing in the dam safety activities as per the Bill.

My seventh point is, the critical lacuna in the Bill is that this Bill is too focussed on the structural safety of dams and not so much on the operational safety.

My eighth point, which is last but not the least, is very important. A mandatory provision to have the Dam Break Analysis is compulsory for all the dams. That is also missing in the Bill. I do accept there is an emergency action plan but unfortunately, the Dam Break Analysis is missing in this Bill.

With these suggestions, though there are limitations, I do appreciate that this is a good beginning. Something is better than nothing. So, I congratulate the hon. Minister and the Government for bringing such a Bill. Hence, I do support this Bill.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

(ends)

(1620/VR/RPS)

1620 hours

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to register some views on behalf of my party.

Sir, I rise to oppose the Bill. I oppose the Bill since it is an onslaught on the federal structure of the Constitution. I am really surprised by the vehement argument that has been advanced by Mr. Premachandran. ...(*Interruptions*)

When Mr. Premachandran advanced his arguments vehemently at the time of introduction of the Bill, I think there were legitimate grounds in his argument and, of course, we supported him when he talked about the legislative competency of this House to bring this Bill.

On the other day also, I expressed my views. Even when the Government of India Act, 1935 came into existence, the framers of the Constitution were very clear that both land and water subjects should be within the purview of the State. They are duly and correctly inherited by our present Constitution. Even at the time of framing of our Constitution, they were not compelled but were keen that both land and water should be State subjects.

First of all, when both the subjects, land and water and storage of water, that is, dam, are both within the purview of the State, how can this House bring in a law?

Secondly, the motto of the Bill, as is mentioned in the Bill itself, is surveillance, inspection, operation, and maintenance of specified dams across the country. We will have to see whether this Bill is really going to protect the dams. As far as my State, Tamil Nadu is concerned, when our former Chief Minister, late Dr. Karunanidhi was in the Government in 1990, he created a Dam Safety Directorate. Almost 30 years back, a separate Directorate was created by an Executive Order. It shows that even at that time our State had a vision of how the dams have to be protected and maintained.

We also passed a Resolution in 2018 in this regard. It was a unanimous Resolution and not representing a political entity. I may kindly be permitted to read as to what that Resolution says:

“That as the proposed draft Dam Safety Bill, 2018 contains clauses which violate the rights of Tamil Nadu, especially with respect to the

Dams constructed by the Government of Tamil Nadu in the neighbouring State, and would cause various problems in their maintenance and operation, this House urges the Central Government to take up the legislation on Dam Safety only after consulting the States and after arriving at a consensus and till then, keep in abeyance the process of legislating on Dam Safety.”

In 2018 itself, a unanimous Resolution has been passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly. But no consultation has been done with the Government of Tamil Nadu by the Central Government. Even minimum courtesy was not extended to the State, if at all the Government is going to bring in a Bill. Is it not the duty of the Central Government to have a discussion with the State? So, I am really surprised and I have my own apprehensions. The Resolution being already passed by the State of Tamil Nadu, the Legislature of Tamil Nadu was not even consulted. Why? That has to be explained. Why the Government is bringing it in such a hurry?

Thirdly, India is a participant under the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP), which is being funded by the World Bank. Any project under this scheme will be monitored by the Central Water Commission (CWC).

(1625/SAN/RAJ)

The World Bank has brought Regulatory Frameworks for Dam Safety which details an exhaustive study of dams in the global context. The introduction of the study defines dam safety. I will read:-

“ “Dam safety” can be understood as referring to the factors that influence the safe operation of the structure of the dam and the appurtenant structures, and the dam’s potential to adversely affect human life, human health, property, and the environment surrounding it. This means that dam safety is also concerned with the adequacy of the operations and maintenance of the dam, as well as its plans for dealing with emergencies and with limiting the adverse impact of existing dams on human life, human health, property, and the environment.”

After giving the definition of 'dam safety', the report discusses how dam safety is regulated by the various governments in various countries. This is a very pertinent point. In Brazil, there is no legislation; only an Executive Order is there. In Australia, it is a State Subject. In Canada, mere guidelines are framed by the Dam Association. In China, Reservoir Safety Regulation is there. In France, there is a mere government circular. In Mexico, only Central Water Commission takes care of it. In Russia, there is a federal law. In the USA, there is a federal law.

Now, I come to a State like India which we can call federal or quasi-federal. There is a comparative analysis of dam safety regulations by the World Bank and on page 61, it deals with countries like India having federal, semi-federal or quasi-federal system. It says:

"A number of the countries studied have decentralised governmental structures in which relations between the central government and state or local governments become an important issue. In these countries, the regulatory scheme usually addresses the relationships between the different levels of government. This is important both in order to accommodate the requirements of the governmental structure in the country and to avoid duplication or ambiguity in the regulatory framework applicable to any particular dam."

Sir, this is very important. The World Bank, having applied its mind to various countries, came to the conclusion that there should not be a central legislation. On this score, I oppose the Bill.

Now, I come to the Bill. Let us have a look at what the Bill says. The Government wants to create four bodies – National Dam Safety Committee under clause 5, National Dam Safety Authority, State Committee on Dam Safety and State Dam Safety Organisation. I am not able to understand this nomenclature. I am really confused. How many bodies are being created? Shri Premachandran was right. Merely an Additional Secretary is maintaining the whole national authority. This is completely unheard of.

Then, the National Dam Safety Committee, which is being created under clause 5, is not only having double role, but a dubious role. Let me detail how. A body cannot be advisor as well as regulator. It is admitted world over. As per

the First Schedule of the Bill, the following are the functions of National Committee on Dam Safety. The first one is that 'for the purposes of maintaining standards of dam safety and prevention of dam failure related disasters,'. The fourth one reads 'evolve comprehensive dam safety management approach....'. The fifth one says 'render advice on any specific matter relating to dam safety which may be referred to it by the Central Government ...'. How can a body be both the advisor and the regulator?

Then, what is the purpose of Dam Safety Authority under clause 8? The general understanding must be that when there is a Dam Committee, and you are coming for a national authority, some sort of accountability must be there between the authority and the committee because you are creating the Authority under the Additional Secretary which is under a big committee. Where is it? (1630/RBN/IND)

Please read section 8 (4). It says that the Authority will not report to the Committee. It says: "The Authority will shall comply with such directions as may, from time to time, be given to it by the Central Government". Who is sitting in the Central Government? It is the Chairperson, Central Water Commission. In the Authority, it is the Additional Secretary. So, even the Additional Secretary is not reporting to the Chairman. He is giving all advices to the Government. Who is sitting in the Government? I do not know that. I do not know whether it is Chief Secretary or the Cabinet Secretary. Who is representing the Government of India there?

Let me refer to section 9 (2). It is still more dangerous. It says: "Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), the Authority shall make all endeavours to resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisation and any owner of a specified dam in that State." The word used is "Resolve". This word has been very carefully used. It says that the Authority shall make all endeavours to resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisation and any owner of a specified dam in that State. What does it mean? They are sitting in different States. It means you want to adjudicate the matter.

Then, let us come to the State Committee on Dam Safety. Who is the Chairman of the National Dam Safety Committee? It is the Chairman of the

Central Water Commission. When you are having the Chairman, Central Water Commission in the Committee, then why are you having a Member from the Central Water Commission in the State Committee on Dam Safety? What does it mean? It means, sitting in Delhi, through your Chairman, you want to command all the States. You want to do it by putting your own man in the State Committee. Is it fair? That is why I am saying that it is an onslaught on the federal system of the Constitution.

Finally, I want to say this. There is no proper application of mind. The Bill has been brought in haste.

Please refer to sections 38 and 50. Section 50 says: "The Central Government may give such directions, as it may consider necessary, to the State Government where that Government is the owner of the specified dam and to the owner of a specified dam in any other case for the effective implementation of the provisions of this Act." You created four bodies. But in section 50, you say that the whatever directions that the Central Government gives would be final and that they are binding upon the States. Then, what is the necessity for these four bodies? It is completely a bad law. There is complete chaos.

So, all these issues must be addressed. Unless and until these issues are addressed, there is no use of this Bill. It is better to withdraw this Bill. So, we oppose the Bill.

(ends)

1634 hours

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I rise to support the Dam Safety Bill, 2019. At the time of introduction and even today, an issue was raised with respect to the legislative competence of the Parliament to take up this Bill. Entry 17 in the State List of VII Schedule is very clear about this. This Entry is subject to Entry 56 of List I, that is of the Union List. It says: "Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of Entry 56 of List I".

(1635/SM/PC)

If we read the entry 17 of the State List, we may come to the conclusion that it is within the competence of this Parliament to legislate with respect to this subject, that is, 'dam safety'.

1635 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

So, entry 56 of the Union List reads like this and I quote: "Regulation and development – these expression are very important - of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

Keeping in view of the spirit of entry 56 of the Union List of the Seventh Schedule, it is specifically mentioned in Clause 2 of the Bill and it says: "It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation of uniformed dam safety procedure for specified tame to the extent hereinafter provided." So, it is in consonance with the entry 56 of the Union List of the Seventh Schedule.

So, if the entry 17 of the State List and entry 56 of the Union List are read together, we can reach to a conclusion that regulation and development with respect to the dam safety is within the jurisdiction of the Parliament. Basically, the regulation and development have a wide range and dam safety, usage of water, distribution of water and allocation of water are also included in it.

This issue also came before the Supreme Court in regard to Cauvery water dispute in 1992. The Supreme Court took the view that the regulation and development is wide enough to include the dam safety also.

Apart from this, all ancillary matters with respect to water relating to dam safety come under within the purview of the entry 97. So far as the legislative power of the Parliament is concerned, it is under Article 246. Kindly see the Article 246(3). It specifically provides that, "subject to Clauses (1) and (2), the Legislature of any State has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II of the Seventh Schedule of the Constitution."

So, subject to Clauses 1 and 2, if both the entries – entry of the Union List and entry of the State List of the Seventh Schedule – are read together, it is clear that entry 97 have an overriding effect. So far as the Union List is concerned, it deals with the specific terms and so far as the State List is concerned, it deals with the general terms. The entry in the Union List takes effect notwithstanding the entry in State List. So, in case of applying the principle of interpretation, the reconciliation of List I and List II, List I will have an overriding effect with respect to what is contained in entry 56. So, on the basis of the principle of pith and substance, the dam safety will not fall under the entry of the List II.

Apart from this, the subject of legislature cannot be divided into such a watertight compartment and overlapping is inevitable. Therefore, even there is overlapping, that can be ignored. Even it is assumed for a moment that the legislative competence is not under entry 56, then kindly see the residuary power of the Parliament that is under the entry 97.

Entry 97 specifically provides for any other matter not enumerated in List II and List III including any tax not mentioned in either of those Lists. So, 'dam safety' may also fall under the entry 97 of the List I. Therefore, the Parliament have the full legislative competence to enact this law.

(1640/SPS/AK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): There is something more also written in that line.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Yes, Sir. I am coming to it.

Apart from this, article 248, which deals with residuary powers, read with entry 97 states that it is exclusive power of the Parliament to legislate with respect to a matter like dam safety because the expression 'dam safety' is not provided in entry 17 or any other entries. Therefore, it is also covered by entry 97.

सभापति महोदय, अगर इस बिल पर आया जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लम्बे समय के बाद यह बिल आया है। देश में 5344 लार्ज डैम्स हैं और 441 अण्डर कंसट्रक्शन हैं। कुछ डैम्स ऐसे हैं, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, वे करीब 293 डैम्स हैं। 1041 डैम्स जो हैं, वे 50 से 100 साल के बीच पुराने हैं। इन डैम्स का इंस्पैक्शन हो, ऑपरेशन हो, इनकी मेंटेनेंस हो। ये सब जरूरी है to ensure safety, and prevent dam failure-related disasters. हमने पहले देखा था कि बिल का आइडिया कंसीव हुआ, जैसा मंत्री जी ने बताया। वर्ष 1982 में सी.डब्ल्यू.सी. चेरमैन के तहत एक कमेटी गठित की गई और उसने अपनी रिक्मेण्डेशंस दीं। वर्ष 1986 में रिक्मेण्डेशंस देने के बाद भी लम्बे समय तक इस पर कोई बहुत कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इस तरह का कानून आ जाए। यह स्टैण्डिंग कमेटी में गया और स्टैण्डिंग कमेटी ने भी अपनी रिक्मेण्डेशंस दीं। इस पर कई स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगा गया। फाइनली अब यह बिल इण्ट्रोड्यूस होकर आपके सामने कंसीड्रेशन के लिए आया है। जहां तक डैम्स की बात करें, इनमें बहुत ही ह्यूज इनवेस्टमेंट होता है और बहुत ही क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। मल्टीपरपज जो इरीगेशन के लिए हों, पावर जनरेशन के लिए हों, फ्लड मोडरेशन के लिए हों, ड्रिंकिंग वाटर के हों या इण्डस्ट्रीज परपज के लिए हों। अनसेफ डैम्स ह्यूमैन लाइफ को भी खतरा पहुंचाते हैं। उनमें चाहे इकोलॉजी हो, क्रॉप्स हो, हाउसेज हों, बिल्डिंग्स हों या रोड्स हों, डैम की सेफ्टी बहुत जरूरी है। यदि हम देश में पहले के टोटल डैम्स फैल्योर देखें तो 36 हुए हैं, जिसमें राजस्थान में 11 हुए हैं। मेरे खुद के लोक सभा क्षेत्र में जो जसवंत सागर डैम है, वह भी डैमेज हुआ। उससे पानी और जान-माल का नुकसान हुआ। इस बिल के आने के पहले जो अथॉरिटीज थीं, चाहे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी हो, सेंट्रल एण्ड स्टेट डैम ऑर्गेनाइजेशंस हों, लेकिन ये स्टेच्यूटरी बॉडीज नहीं थीं, सिर्फ एडवाइजरी थीं। अब इनको स्टेच्यूटरी शेप में पावर दी गई है और पूरा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया गया है। हम अगर नेशनल लेवल पर देखें तो यह टू टीयर सिस्टम है, कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एण्ड अथॉरिटी ऑन डैम सेफ्टी। इस बिल में इनका कॉन्स्टीट्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इनके फंक्शन बहुत इलेबोरेट हैं, जो शैड्यूल 1 और 2 में है। इसके इस्टैब्लिशमेंट और फंक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं। जहां तक स्टेट्स की बात है, उसमें स्टेट कमेटी और उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका कॉन्स्टीट्यूशन, उसके फंक्शंस शैड्यूल 3 में दिए हुए हैं। इसके अलावा इण्डपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है, वह डैम सेफ्टी इवोल्यूशन करेगा। अगर इस पूरे बिल को देखा जाए तो यह बिल अपने आप में एक एक्जोहस्टिव है। उसके साथ ही मंत्री जी ने ऑनरशिप की बात की है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट यह समझती हो कि ऑनरशिप स्पैसिफिक डैम की नहीं रहेगी, क्योंकि इसका परपज डैम सेफ्टी के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने का है, न कि ऑनरशिप को डिस्टर्ब करने का है। इस बिल में जहां तक ज्यूरिडिक्शन ऑफ डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की बात है, लेकिन जहां तक कॉस्ट की बात है, चाहे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टीगेशन हो, लेकिन रिस्पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑनर की रहेगी। यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात, मेजर्स करने की बात है, वह इस एक्ट द्वारा की गई है। क्लॉज 48 में साफ लिखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें कई तरह के और भी लॉज हो सकते हैं तो किसी तरह का लॉ होगा,

notwithstanding anything contained in any provision of law. The provision contained in Clause 48 of this Bill have an overriding effect.

(1645/KDS/SPR)

जहां तक पॉवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन देने की बात है, अभी श्री ए. राजा साहब ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि जब ये सारी की सारी सर्विलांस रिपोर्ट आएंगी और सारा का सारा इंस्पेक्शन आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे यह पावर देना बहुत जरूरी है। रूल्स बनाने की पॉवर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं और रेग्युलेशन बनाने का पॉवर अथॉरिटीज के पास है। इसलिए यह जो बिल आया है, इस बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल को सपोर्ट करता हूं। इस बिल यूनैनेमसली पूरा हाउस पास करे, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): As a pleader, you have fought the case.

1646 hours

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson, Sir. Again, I rise to oppose the Bill. Unfortunately though the Minister I hold him in very high esteem, you leave me with no option but to oppose the Bill that you brought in.

As the point ordained very succinctly put it, he said, thousands lived with love but not one without water. So, it is my job today to stand here and plead for both the share of your Government's love and an equitable share of this nation's water.

When he talked about water as a resource, water is a resource which have traditionally been governed by the legal framework of three doctrines the world over. India is no exception. The first is the doctrine of public trust. When we are talking about resources like air, seawater and forest, it says that these are of such vital importance to everybody. Let nobody can be excluded from it. So, as a result of which we can't put them in the private ownership. They are held in trusteeship by the Government. So, that is the first principle that governs anything like water.

The second principle is the doctrine of riparian rights. Again, there are two things. One is the natural flow. Do you own the land on which river flows or the waterbody flows through? Then, you naturally have the right over it. Second right is the right of reasonable use. That is, if you are an adjacent owner, do you also have right over it? Indian law gives right to both the natural flow users and the reasonable use. So, both the people are looked after.

The third is the principle of prior appropriation, which means that as the first user, I have the right to use the water but I must use it for beneficial use and I must use it for the purpose that I have to be using it for. For example, in a water scarcity, if I am allowed water for irrigation, then, I cannot use it for washing mica. Whatever is left over, the second users may use it for appropriation. So, these are the three doctrines that govern something like water. This is the basic principle on which any kind of law which governs water.

In India, when we are talking about water, water fortunately, I would say, falls in the State List – Entry 17 of List II. I say fortunately because water is something every State wants to have control over obviously. So, it is fortunate in that way. So, water supplies, irrigation and canals, drainages and

embankments, water, power are all in the State List. However, it is subject to the provisions of Entry 56 on List I, which is in the Federal List. The Union List deals with the regulation and development of Inter-State Rivers and Waterways to the extent to which regulation and development under the control of the Union declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

In this case, this particular Bill you brought in, is taking away the power of the State Government to manage dam safety, for dams which have even been constructed by its own resources and which don't have inter-State ramifications. In this case, the provision of Entry 56 of List I does not apply.

The basic problem with this Bill we have is that it is infringing upon the federal structure and upon the power of the States. If you want to bring in something for safety, as a Central Government, you have a right to talk about the safety, and something which affects the safety of people. To do that in consultation, it should not be a directive. Everything that this Government does is in the nature of a *mandamus*; it is in the nature of a directive. We are saying, please consult the States. Do something which does not infringe upon the federal structure of the Constitution.

(1650/UB/SJN)

This Bill seeks to do exactly that. This Bill is completely silent on the devolution of funds from the Centre to the States to carry out the various measures for dam safety. In the last five years, for example, in West Bengal, we have spent Rs. 243 crore on dam safety which is still going on. This Bill is silent on it. You tell us that you are saving. If I look at the financial memorandum of this Bill, this tells me that you are spending Rs. 70 crore plus Rs. 33 crore plus Rs. 47 crore to set up these authorities and to set up the structure. You are completely silent on what the flow of funds is going to be to look after dam safety. So, what I understand is that we look after everything, we pay for everything, but you tell us how to do it. That does not seem very fair.

Now, if we go through this Bill chapter by chapter. The first and a few of the speakers before me have touched upon these very same points. We are talking about the National Committee on Dam Safety. You have set up a 21-member committee, you have got the chairperson and then you have ten people which are nominated by the Central Government, seven people from States who are also nominated by the Central Government and three experts who are also

nominated by the Central Government. So, you have the body of twenty-one people who were essentially nominated by the Central Government. How do you have a body where you have ten members from the Centre and only seven from the States where the dams are physically located? Even those seven members would also be rotated every three years. Every single State in which a large dam exists should have representation on this and the States should have full freedom to nominate members to the Committee. Here you are saying that I will give you only minority, I will not give you majority members but I will also let you choose who you sent and I will choose who you sent. So, basically, you can ride rough shod over everything. All the decisions that you pass will be only the Central Government decisions. There is no question of any State having any say in the National Committee. So, that is something very wrong with Chapter II, clause 5.

Then we come to the National Dam Safety Authority that you are setting up. The National Dam Safety Authority is going to be the single body that you say is going to look after the dam safety of all dams of India in which case, you are putting somebody on the rank of Additional Secretary. That is it. Is that what you think is a level of competence required for a body of this nature? That is something which is absolutely stark.

Third, you are setting up the State Committee on Dam Safety. Here, again, in chapter 4, clause 11, you are calling it by name of State Committee but you are laying out in the Bill the choice of the constitution of the State Committee. So, you are telling the State who you can put on it; who its members should be, you are spelling it out; what the timing should be, it is 180 days, you are spelling it out; and how long will it be, three years, you are putting it down. Sir, you are inviting yourself home to my house for dinner, you are telling me who I should invite and you are also telling me that I can only serve Dhokla and Chaas. You are setting the menu also. That is little unfair. If you are setting up a State Committee, please leave it to the States to see what can be put there. Otherwise, you are infringing on the States completely. There is no question of the federal structure left anyway.

Let us look at the other provisions. The Union Government will take under its control the regulation of uniform dam safety. Again, there is no question of

funding. You say you will exercise control, you will give directions but you will not take any financial responsibility. Now, this is not fair.

When we go into the State Dam Safety Organisation which is chapter 4, Section 14, West Bengal already has a State Dam Safety Organisation which was set up in the year 2006 under the Irrigation and Waterways Department. So, it performs very similar functions to what you have laid out in Sections 16 to 20 of the Bill. So, you should have a proviso here which says that if the States already have a State Dam Safety Organisation, there should be an exception for those States. It should only be for those States that do not have a State Dam Safety Organisation as of the date of the commencement of this Bill. If you already have one, are we going to put that body aside? Are you going to set up a new body to override our existing body? The Bill is again silent on that. It seems that the existing body of West Bengal is going to become defunct as of the commencement of this Bill and that you will put something on our heads.

When you read Section 41, you deal with the punishment for obstruction in duty. It is a very draconian Section. It says, "whoever obstructs any employee of the National Committee or the State Committee, which by the way you have nominated, shall be punishable by up to one year in prison". Now, that seems a bit much. Since you have control of everything, you can have some non-implementable directives which are given which may not be in the interest of the State. So, if a State Government official goes and says, "I do not think that this is right for that local authority to do it right now", you can send him to prison.

(1655/KMR/GG)

You have set up the National Dam Safety Authority. Subsection 3 of Section 9 says that every decision of the said authority is final and binding. So, you have given yourself supreme power. This should be supportive; this should not be directive. Please substitute 'giving directive' with 'giving advice'. Give us the right to accept it; give us the right to reject it. Make it consultative. You bring in a Bill without consulting the States. You are setting up Committees where we do not have representation, which are full of your nominees only. We understand that you care about the dam safety in the country but the States do care about the safety of the dams which are located in their territory. You cannot take away what the Constitution gives us.

Coming to the conflict of interest, this has already been touched upon by speakers previously, you have got the Chairman of the Central Water Commission as the *ex-officio* Chairperson of the National Commission on Dam Safety. So, this is a regulatory body and he is the Chairperson. But, the CWC is also involved in policy making. So, you have the same person who is making policy, who is guiding design, who is doing the financing, who is also doing the regulation. This is a basic conflict of interest.

In a world where *jiski laathi, uski bhains* works, since you have got 303 you can do anything. You can put the 303 everywhere. But, that is not the point. The point is, please do not continue to bring in pieces of legislation that ride roughshod over the rights of the States. You are doing this with everything.

I really hold the Minister in high esteem. I really hope that for once he will rise above the directives of whoever this came from, try and see where we are coming from and withdraw this Bill and take it back to the Committee. Let us incorporate the changes that we and other Members of the opposition are bringing. We are all interested in dam safety. These are dams that are on our territory. We have to have a say about them. And we hope you would do that.

Thank you so much.

(ends)

1657 hours

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairman, thank you for giving me this opportunity to talk on the Dam Safety Bill, 2019. On behalf of YSR Congress Party, we support the Bill.

The Bill aims to provide a robust legal and institutional framework of State and Central Governments for safety of dams. The Bill further envisages prevention and mitigation of dam-failure related disasters by way of proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all dams in the country to ensure their safe functioning.

However, some States and Parties are opposing this Bill. I would like to remind this august House that such a Bill was previously withdrawn from Lok Sabha. The objection of some of the States was that since water comes under State List, it is a completely unconstitutional move on the part of the Centre aimed at taking control of dams. Tamil Nadu is one of the strongest critics through the years. Karnataka, Kerala, Odisha and many more States also were critical of this. As far as my limited knowledge goes, they opposed this on the ground that it encroaches upon the sovereignty of States in managing their dams, and that this violates the principles of federalism enshrined in the Constitution. The perception of some States is that this is an attempt by the Centre to consolidate power in the guise of safety concerns. Therefore, I urge upon the Government to show magnanimity and clear this scepticism.

सर, मैं इस सदन को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): माननीय सदस्य ने हिंदी में बोला है, थोड़ा तालियां तो बजा दीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, in the year 2002, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Ji dreamed of interlinking of rivers.

(1700/SNT/KN)

He designed a plan to overcome the shortage and the deficit of water across the country. As a part of the plan, the idea was to transfer surplus water of Himalayan rivers to the peninsular rivers across the country. Under the leadership of Atal Ji, the aim was to combine the network of nearly 60 rivers covering a distance of 15,000 kms., to make the project one of the largest ever in the world and also to integrate the massive hydro power projects that could generate thousands of megawatts of electricity. All these things were just like a dream. I hope under this Government, the project of interlinking of rivers may become a reality.

Also, I would like to mention in this august House that average rainfall in the country is about 4,000 billion cubic metres. If I am not wrong, land of two times the size of our country can be irrigated by it. I will give you a rough estimate by the irrigation experts that 1 TMC of water could irrigate 10,000 acres of land. Kindly correct me if my sources are untrue. Therefore, it is really ignominy for our Government that in spite of having abundant water resources, we are still unplanned. A large amount of water is unutilised and is drained into the sea.

Sir, I would like to tell you that in my State, in the Godavari Basin, in the year 2017, almost 3,000 TMC water got unutilised and drained into the Bay of Bengal.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): I think, you have told me this earlier. Water should also go to the sea.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, the pathetic situation is that there are deadly disputes between the States for a very few TMC of water. In this context, I will give you an example. In China, as we all know there is an engineering marvel, called the Three Gorges Dam. That is the largest dam in terms of power station. It almost produces 22,500 megawatts of electricity. Why can our country not have such a project? We have to learn from our neighbouring nations like, China, Japan and Korea which are developing at a huge pace.

As we are going to celebrate 75 years of Independence, we are still a developing country. In my childhood, I used to hear a slogan, called 'Our India is a developing country'. But now standing in this noble House, I am still

hearing that our country is a developing country. We have to retrospect what exactly the fault is. Every Member in this hon. House has to retrospect and think what had been done all these years and what we have to do in the coming years. As I am standing in this noble House as a Member of Parliament, I could sense in the coming future, we will move forward towards the goal of development. I think, the reforms have already started stepping towards the development. Under the leadership of Narendra Modi Ji, we hope that our country will flourish.

(1705/GM/CS)

Therefore, I humbly submit to the hon. Minister that the Polavaram project was given national status under the Andhra Pradesh Re-organisation Act of 2014. I would like to remind this House that under the dynamic leadership of our former Chief Minister Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy, almost 95 per cent work of the Left canal and Right canal related to Polavaram project got completed. With the financial support given by the Central Government, 70 per cent of the main headworks has also been completed. The expenditure incurred for the Polavaram project till date is Rs. 11,282 crore as a national project. But earlier, for the Right canal and Left canal, we spent more than Rs. 5000 crore. An amount of Rs. 6727 crore has been released by the Central government and still the balance amount of Rs. 4554 is yet to be reimbursed by the Central Government to the State.

As far as the resettlement and rehabilitation part of the project is concerned, there are many villages and tribals who have to be settled by the Government in a speedy process so that the work is completed within the time frame and the cost estimate will not escalate further. The Polavaram project should be considered to be a national project.

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): You mean it should be declared a national project constructed by the State Government.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): That is why we have been requesting for the timely release of funds. As per the official data from the Jal Shakti Ministry, our country has 5264 large dams, 437 dams under construction and 293 dams aged more than 100 years. In my constituency Rajahmundry, there is the Dowleswaram barrage which was constructed by Sir

Arthur Cotton in the British era and it is aged over 160 years. I would like to remind this House that nearly 1300 dams were constructed in the British era. Therefore, unsafe dams can cause hazard to human life, flora and fauna, public and private assets and environment. India has had 36 dam failures in the past. Hence, we request this Bill to be passed. We hope that under the leadership of Shri Narendra Modi, our country will have bright future and I pray the Almighty to empower Jal Shakti Minister with more shakti to complete Atalji's dream.

(ends)

1708 बजे

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर अपनी बात रख रहा हूँ और मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, देश भर के कुल 5,745 बांधों को इस बिल के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। इन 5,745 में से 100 बांध ऐसे हैं, जो 100 साल पुराने हैं। इनमें से 1,140 बांध ऐसे हैं, जो 50 से 100 साल पुराने हैं। बांधों का उचित रख-रखाव न होने से पिछले समय में बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं। देश के कुल बांधों में से 670 बांध ऐसे इलाकों में हैं, जहाँ भूकम्प आने की सबसे ज्यादा संभावना है।

महोदय, एक महीना पहले रत्नागिरी में तिवारे डैम के टूटने से 24 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसके कारण 60 गाँवों को भारी नुकसान हुआ था। यहाँ स्थानीय लोगों और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था।

(1710/RV/RK)

महोदय, महाराष्ट्र में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ छोटे बाँध बने हैं। कोंकण ऐसा क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। कई सारे बाँध मिट्टी से बने हैं। जब रत्नागिरी में तिवारे बाँध टूटा था तो मीडिया में ऐसी खबर आती थी कि क्रैक्स ने बाँध की मिट्टी में छेद कर दिया, उसके कारण बाँध के टूटने की संभावना है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है? अगर क्रैक्स की वजह से बाँध टूटते हैं तो मिट्टी से बाँध बनाते समय क्या सरकार द्वारा विशिष्ट जाली लगाने का प्रयास किया जाएगा?

महोदय, देश में छोटे-बड़े बहुत-से बाँध हैं, लेकिन आज के समय में बाँधों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। आज देश में बाँधों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है, लेकिन जो बाँध पुराने हैं, उनका नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। ब्रिटिश काल से अपने देश में कई छोटे-बड़े बाँध बने, जिनमें बारिश की वजह से मिट्टी जमा होती रही है। मिट्टी जमा होने के कारण कई बाँधों में पानी की क्षमता कम होती जा रही है। इस मिट्टी को निकालने के लिए क्या सरकार इस बाँध सुरक्षा विधेयक द्वारा कुछ काम करेगी? उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पवना डैम 10 टी.एम.सी. का है और वर्ष 1972 में वह डैम बना। इसे करीब 40 साल हुए हैं। वर्ष 2015 से लेकर तीन सालों तक मैंने उस डैम में जमा हुई मिट्टी को निकाला है। कोई सरकारी मदद नहीं ली। स्थानीय किसानों और संस्था के सहयोग से मैंने करीब 125 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाल कर उस डैम से पानी की क्षमता को एक से डेढ़ महीने तक बढ़ाया। उस डैम से पानी पिम्परी चिंचवाड़ शहर में जाता है।

डैम में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण, खासकर महाराष्ट्र में आगे आए, जब काँग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। उस सरकार में कई सारी ऐसी घटनाएं घटीं कि वहाँ भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन काँग्रेस और एनसीपी के कार्यकाल में जो मंत्री थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र कर्जत में कोंडाण बाँध की टेन्डर में कीमत 55 करोड़ रुपये थी। उसे बढ़ाकर 560 करोड़ रुपये कर दी गयी। उस मामले में तीन अधिकारी जेल में गए। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार पर ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदय, वर्ष 1979 में गुजरात में मोरबी बाँध भारी बारिश की वजह से टूटा, जिसका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया। उसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, 6 साल पहले भारत-नेपाल की सीमा पर कोसी नदी पर बना बाँध टूटा था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा।

महोदय, देश भर में नए डैम्स का कार्य शुरू है और कई सारे डैम्स बन चुके हैं। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है तो डैम के करीब बस्ती भी बड़ी होती जाती है और ज्यादा होती जाती है। आज अगर नदी की हालत देखा जाए तो उसकी हालत इसलिए खराब होती है कि ड्रेनेज का पानी नदी में जाता है और उसके आस-पास जितनी बस्तियां हैं, उनका पानी भी उसमें जाता है। आज देश भर के डैम्स का पानी आबादी बढ़ने के कारण खराब हो गया है।

कई सारे डैम्स 40-50 साल पहले बने। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। मेरे ही क्षेत्र में पवना डैम बना है। जब उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया था तो उसे केन्द्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकार करती है तो राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करते समय जमीन के बदले जमीन देने का वादा वहां के किसानों को किया था। पर, आज तक मावल के किसानों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई। डैम को बने हुए करीब 45 वर्ष हो गए, लेकिन किसान आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

महोदय, वर्ष 2010 में भी ऐसे ही विधेयक के अलग-अलग संस्करण संसद में पेश किए गए थे जबकि राज्यों के द्वारा इसका विरोध होने से कोई भी संस्करण पास नहीं हो पाया है।

(1715/MY/PS)

केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी सिफारिश दी थी, उसके अनुसार बांधों की सुरक्षा के लिए इस बिल को लाया जाना जरूरी है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बिल के पास होने के बाद राज्यों के अधिकारों का हनन न हो सके।

सभापति महोदय, आज देश भर में बहुत सारे बांधों का निर्माण हो रहा है। इन बांधों का निर्माण करते समय उनके रख-रखाव की जो क्षमता होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे बांध लीकेज हो जाते हैं। उनका ठीक ढंग से रख-रखाव नहीं होने के कारण हर साल बांधों से ज्यादा पानी लीकेज हो जाता है और उससे बांध असुरक्षित हो जाते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और अपनी बात सदन में रखता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1716 बजे

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने तथा सदन की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसका प्रभाव सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी, उद्योगों एवं भूजल संचयन आदि बहुद्वेशीय उपयोगों में होता है। अतः जनसाधारण के लिए बांध सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय है। इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

महोदय, यह तीसरा मौका है कि यह बिल लोक सभा में पेश हुआ है। इससे पहले 30 अगस्त, 2010 और दूसरी बार वर्ष 2018 में पेश किया गया था, किन्तु लोक सभा के अवसान के कारण यह बिल पास नहीं हुआ। इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी में गहन विचार-विमर्श हो चुका है। अब पुनः इस बिल को पेश किया गया है और चर्चा भी चल रही है।

महोदय, कई राज्य पहले से ही बांधों की सुरक्षा अधिनियम लागू कर चुके हैं। बिहार पहला राज्य है, जो वर्ष 2006 में ही अधिनियम लागू कर चुका है। आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल भी अपने-अपने राज्यों में बांध सुरक्षा अधिनियम पर एक समान केन्द्रीय कानून के पक्ष में अपने मत दे चुके हैं।

महोदय, इस कानून के द्वारा 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई और 10-15 मीटर की ऊँचाई वाले सभी बांधों को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी का गठन, राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन करने का प्रावधान है। सभी के द्वारा अपने-अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्धारण किया जा रहा है। पूर्णरूपेण एकाउंटबिलिटी सुनिश्चित की जा रही है। समय-समय पर सुरक्षा और निरीक्षण के आँकड़े तैयार करने की व्यवस्था होगी। आपात स्थिति में कार्य योजना का प्रारूप पहले से तैयार करने की व्यवस्था होगी। सभी बांधों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। केन्द्र के पास सभी मुख्य शक्तियां प्रदत्त होगी, किन्तु राज्यों को भी अपने नियम बनाने की शक्ति उपलब्ध होगी।

1718 बजे

(श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

महोदय, देश में करीब 5,344 बड़े बांध हैं, जिनमें से करीब 293 बांधों की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक है। 1,041 बांधों की आयु 50-100 वर्षों की है। करीब 40 बांध जर्जर स्थिति में आ चुके हैं। किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। वैसे भी पहले करीब 36 बांधों पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों ने पिछले 50 वर्षों में बांधों के रख-रखाव और सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि वह खर्च के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में, विशेषकर उत्तर बिहार में नदियों का जाल है। वहां बांधों का समुचित रख-रखाव नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। बाढ़ से लाखों-करोड़ों रुपये के जान-माल की क्षति हो रही है। बिहार में करीब 24 बांध हैं, जो करीब 15

मीटर से अधिक ऊँचाई के हैं। अभी दो बांध निर्माणधीन हैं। इन सभी बांधों से मुख्यतः सिंचाई का काम होता है। किसानों की जीविका इन्हीं बांधों पर निर्भर है। इसके अलावा, बिहार में दो बहुत बड़े बैराज हैं। एक इन्द्रापुरी है, जो वर्ष 1873-74 में तैयार हुआ था। यह रोहतास जिले में सोन नदी पर बना है, जो करीब 1,407 मीटर लंबा है। इससे मुख्यतः सिंचाई का काम होता है। आसपास के कई जिलों एवं झारखंड के दो जिलों में इसी परियोजना से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। अभी इस बांध की स्थिति भी जर्जर हो रही है। दूसरा बैराज, बिहार-नेपाल की सीमा पर कोसी नदी पर बना है, जो सहरसा जिले में है। यह बिहार के लोगों के लिए एक विनाशकारी बांध कहलाता है। इसका निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 में इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि बरसात के समय नेपाल से आने वाले अधिक पानी को रोका जाए एवं बिहार को बाढ़ के संकट से बचाया जाए। अभी तक का अनुभव है कि यह हमेशा बिहार के लोगों की त्रासदी का मुख्य कारण बना है।

(1720/CP/RC)

महोदया, पूरा विश्व 2008 की कोसी बांध की त्रासदी को याद कर सिहर उठता है। यह घटना आधी रात को हुई थी। कोसी का बैराज कुशहा में टूटा था और बिहार के करीब 5 जिलों को पूर्णरूपेण बर्बाद कर दिया था। इसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों-करोड़ों की जानमाल की क्षति हुई। आज भी लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं। बिहार सरकार ने इस त्रासदी में अपने अथक प्रयास से लोगों की पूरी मदद पहुंचाने का काम किया तथा भारत सरकार ने भी मदद की।

उत्तर बिहार पूरी तरह नेपाल सीमा से लगता है। यहां प्रायः सभी नदियां नेपाल की ओर से प्रवाहित हो रही हैं। अतः बरसात के समय नेपाल में अधिक वर्षा होने से पानी का दबाव इन नदियों द्वारा बिहार के करीब 12-14 जिलों पर पड़ता है। बांध के रख-रखाव में देरी और समुचित संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वह सुरक्षित नहीं रहता है। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में भी देरी होती है। कार्य योजना समय पर तैयार नहीं हो पाती है। ये सभी मुख्य कारण हैं। नए कानून बनने से इनमें सुधार होने की पूरी आशा है।

महोदया, बिहार में वर्षा अधिक हो या न हो, किन्तु बाढ़ आती ही है। इसका मुख्य कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी झारखण्ड से अधिक पानी आ जाता है। साथ ही नेपाल की नदियों द्वारा पानी का बहाव बिहार को उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आना हर वर्ष रोजमर्रा की बात हो चुकी है। क्या केन्द्र सरकार बिहार को अपने हालात पर छोड़ देगी या बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए कोई स्थाई निदान करेगी?

महोदय, माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि नेपाल के साथ केन्द्र सरकार पानी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नीति के अनुसार समझौता करे। बिहार-नेपाल सीमा पर हाई-डैम बनाया जाए। इससे पानी को रोका जा सकता है। इससे बिहार के साथ-साथ नेपाल के तराई वाले इलाके को भी फायदा होगा, बिजली का उत्पादन भी होगा। इससे बिजली के साथ-साथ राजस्व भी प्राप्त होगा।

महोदय, मैं अपनी पीड़ा आपको बताना चाहता हूँ। इस वर्ष हम लोग बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित हैं। उत्तरी बिहार के करीब 14 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक करीब 150 लोगों

की जाने जा चुकी हैं। एनडीआरएफ की 19 टीमों सहायता कार्य में लगी हुई हैं। 152 रिलीफ कैम्पस स्थापित किए गए हैं, जिनमें करीब 67 हजार लोगों को सुरक्षित रखा गया है। गृह राज्य मंत्री जी को सारी असुविधा से हमने अवगत करा दिया है। वहां 350 कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं। हमारे नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिन-रात बाढ़ पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्हें हरसंभव राहत पहुँचाई जा रही है।

दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, नवादा एवं शेखपुरा जिलों में औसत से 36 प्रतिशत बारिश कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति है। माननीय मंत्री जी यहाँ सदन में बैठे हैं। जब वे जवाब देंगे तो बिहार की पीड़ा एवं उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ और सुखाड़ का सर्वे कराकर इससे निजात कैसे मिलेगी, उसके बारे में बताने की कृपा करेंगे। साथ ही नेपाल सरकार से भारत सरकार बातचीत कर हाई-डैम बनाने की दिशा में जो प्रयास कर रही है, इसकी भी जानकारी देश की जनता को देंगे।

मैं अपनी पार्टी जेडीयू की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1724 बजे

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Thank you Hon. Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on this important bill. I would like to thank Jal Shakti Ministry for bringing two revolutionary bills which can change the water resources scenario in India. I feel proud that I was a Minister in this Ministry in Maharashtra Cabinet with the blessings of Hon. Sharad Pawar ji. I have a good knowledge of this issue and hence I feel very comfortable to speak on this issue. Maharashtra has always guided this country. Panchayati Raj System was introduced by late Yashwant Rao Chavanji in Maharashtra for the first time. After that Panchayat committees, Zilla Parishad, District committees and Planning committees were also introduced by Yashwant Rao Chavanji. Hon. Chairperson, around 5250 projects are there throughout the country and around 250 important projects are in Maharashtra. While inaugurating Ujni Dam project in Pandharpur, Hon. Chavanji had apologized 'Vithal' for stopping the water of Chandrabhaga River and today this project is providing water for drinking and irrigation purposes to the entire area. He had set up the first Central Design Organization (CDO) in this country 60 years ago at Nashik, Maharashtra. Likewise, when Hon. Sharad Pawar ji was Chief Minister of Maharashtra, during 1985-90, Dam Safety Organization (DSO) was constituted 30 years ago. Today we are only taking his work and vision forward. This is a welcome step and I must congratulate you. But, I find some shortcomings in this Bill. One Telangana MP yesterday talked about lift irrigation facility being provided to 45,000 lac hectares of land. That water is being provided by Maharashtra through Godavari River Ravine and this decision was taken during our regime. Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) was the first of its kind of authority in India. You are a newly elected Government and if you replicate this throughout the country, it would be a great help to solve the water crisis. I would like to mention one more thing here. You have covered all the major dams under this legislation and you have missed out minor and medium dams.

*Original in Marathi.

I would like to request you to include medium and minor projects too. I have one more request to make. Many major dams in our country were constructed 50 to 100 years ago. All the dams have accumulated silt and hence their storage capacity has been reduced to 60% only. So, desilting work should be carried out in all the major and old dams so that their storage capacity could be enhanced to the maximum level. It would help to realize your dream of providing 'Har Ghar Jal'. But no provision of funding has been made in this Bill. So arrangement of a Corpus Fund should be there. Maharashtra has set an example in this regard. After establishing DSO, Maharashtra Government earmarked 10% of its annual budget for this department only for this purpose. If you replicate this at the Central level, it would bring about more success. The data regarding safety and security of the dams should be made public annually and there is no mention in the Bill in this regard. Hon. Atal Behari Vajpayeeji was the Prime Minister when severe earthquake hit the State of Gujarat. Vajpayeeji appointed Shri Sharad Pawar ji to be in the Committee on Disaster Management. The reason behind this was the expertise and experience of Pawar ji. He had rehabilitated the victims of Latur earthquake in Maharashtra very quickly and efficiently. At last, we should also be ready for any mishap or calamities. I would like to reiterate that sufficient amount of fund should be allocated for desilting work to increase the storage capacity of these dams. You have brought a revolutionary Bill and I would like to congratulate you. I hope that the water crisis would be resolved in the near future and water disputes would be settled. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra.

(ends).

(1730/RU/SK)

1731 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Human civilisation has flourished by utilising natural resources like water. Throughout the world, human habitations have tried to utilise and modulate water for their own use. As the Member from the YSRCP was speaking, very recently he had told me – I was just prompting to say this - that we need fresh water to flow into the sea. Unless fresh water flows into the sea, we will not have clouds and if we do not have clouds, we will not have fresh water in the land. But what is happening during these modern days? We have to tame the rivers. We are not allowing water to flow into the sea. If that happens at some point of time, it will create further disaster. That is the reason why in the Bay of Bengal, we have so much of low pressure, and low pressure brings rain into the sea. We do not have this type of rain in the Arabian Peninsula because no river flows into the sea. There is very little fresh water that goes into the Arabian Sea. We can see this on both sides of our peninsular India.

I will come to the Bill first but before coming to that, I would just mention that I had mentioned last time in 2018 when this Bill was first introduced that there are a lot of incongruities in this Bill. I would not compare this Bill with the Bill that was introduced in 2010. This has been a rather progressive Bill and a lot of steps have been taken to make it good for the country. But dam failure has been a major concern. It has affected a large population in our country. It all started perhaps much earlier, I would say, in 2001 when the first effort was made that there has to be a cohesive attempt to see how our dams are functioning. During that time, an issue was also raised about the owner of the dams and who is responsible for their maintenance. Does the Union Government have any power to oversee the functioning and maintenance of these dams? And what would be the role of the State Governments? In their wisdom, at that time, it was first contemplated to take all the States into confidence and let them act as per the constitutional provisions of article 246.

(1735/KKD/MK)

That was mentioned by our learned *Adhivakta* Shri P.P. Chaudhary, who said 'let first two States request the Union Government or let the two State Assemblies pass Resolutions in their Assemblies requesting the Union Government; or respective States can also prepare their own dam safety provisions.'

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is Article 252.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Okay, it is Article 252. कंस्टिट्यूशन की धारा बहुत कंप्यूजिंग है।

Article 252 is on 'Power of Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.' इस हिसाब से बिहार राज्य ने अपने लिए डैम सेफ्टी एक्ट बना लिए। The State of West Bengal and another State had passed a Resolution that the Union Government can do it. But all these were relating to the Bill of 2010; and that Bill is not before us today. Before us today is the Bill of 2019, which is a corollary of the Bill of 2018. Here, I would say one thing that still matters is Article 256, which has been repeatedly stated by the hon. Minister. It has to be in public interest. And, to be in public interest, it has to have a Resolution passed in this House.

I would say, the Dam Safety Bill, 2019, which is before us today, is a much improved version of the Bill of 2010 that was referred to the Parliamentary Standing Committee. However, a number of States have expressed their apprehension about the Bill. An apprehension is there that the Union may take control over all the dams. This Dam Safety Bill, 2019 has been brought under Entry 56, and not under Article 249 or Article 250 of the Constitution as was contemplated earlier.

What does Entry 56 say? Entry 56 says:

"Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest."

So, to describe it in public interest, should we believe now that if a disaster happens somewhere, the Union Government will appropriate the power unto itself?

The idea of the federal character of our Constitution was: 'You empower the States and they will take all the responsibilities; and it is not that you empower the Union and the Union will take all the responsibilities.' Even today, in the Constitution it is stated: "Union of States". It is a Union of States. Therefore, I felt very happy. On the other Bill, which was being piloted by the present Jal Shakti Minister, I asked as to why he repeatedly mentioned 'Centre, Centre'. The Centre is something which is acquiring all the powers. If it is a Union, you have a camaraderie of all the States.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मंत्री जी ने इसे मान लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उन्होंने मान लिया, इसलिए मैं इन्हें शाबासी दे रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है?

Through this Bill, you are acquiring the power. You want to give certain things, even advice from the top. It is not a top down mechanism, which can function in respect of dam safety. The States should be empowered so that they will take care of themselves because these dams have been erected by the States themselves from their funds. There are very rare instances where the Union Government has invested in construction of the dams.

Madam, however, for use of this Entry for passage of DSB, 2019, Parliament will also need to declare that dam safety is expedient in public interest. Even if Parliament were to declare that, about eight per cent territory of the country, which is not part of the Inter-State river basins, would remain outside the purview of the Dam Safety Bill, 2019. Yet the Dam Safety Bill, 2019 says that it covers all the specified dams, meaning all large dams of the country.

(1740/RP/YSH)

That specification has already been mentioned by our hon. Member from JD(U). This Bill is certainly an improvement from DSB, 2010 by inclusion of, and I quote, "Failure related disasters". This was not there in 2010. There are many things not just a structural failure in the definition of dam's failure and dam incident. Yet, I would say, there is still no inclusion of compensation to the victims of dam failures or dam incidents which was a key recommendation of the Parliamentary Standing Committee of 15th Lok Sabha in 2011.

The Dam Safety Bill, 2019, continues to suffer from a number of lacunae. Here, I would like to mention that it is not that 'bad' is the greatest

enemy of 'good'. It is always 'better' which is the greater enemy of 'good'. But do not think that, when the Opposition is recommending something or suggesting certain things, they do not want this to be done. They want a better Bill or a better Act. For example, the whole dam safety mechanism is dominated by the Central Water Commission with Chairperson of CWC being the Chairman of National Committee on Dam Safety, a representative of CWC being member of each State Committee on Dam Safety. The CWC is also involved in policymaking about dams, in their approval, guiding designs, financing, monitoring, approving seismic parameters, flood forecasting and so on and so forth. Dam Safety is essentially a regulatory function and thus CWC has clear conflict of interest in being involved in the dam safety mechanism. The CWC also has had very poor track record in dam safety and the Kerala episode is the latest instance.

The second point is that the dam safety mechanism has to essentially work in public interest and the people at risk are the biggest stakeholders, not only the State Governments. Unfortunately, the Bill does not even define who are the stakeholders of dam safety, though the term stakeholder is used in the Dam Safety Bill, 2019, in ensuring safe design, planning, construction, operation and maintenance of dams. This implies that all the information about dam safety should be promptly placed in the public domain and the Bill itself should mandate this. This is lacking.

The Bill requires appointment of up to three, out of a total of 21 members, specialists in the field of dam safety and allied fields, nominated by the Union and State Governments respectively as members of NCDS and SCDS. But there is no mention of these persons having an independent track record, nor is there any mechanism mentioned as to how they will be selected.

The language of several sections, for example, in Chapter VI of the Dam Safety Bill, 2019, suggests that State Dam Safety Organisation is subservient to the National Dam Safety Authority. It is no wonder that the States regard the DSB, 2019 with suspicion. India has, according to the latest version of the National Register of large dams, 5,701 large dams including 447 under construction and 5,254 completed projects. For 194 of these projects Central Water Commission does not even know the year of construction! Out of the rest 5,060 completed large dams, over 87 per cent are more than 20 years old

and about 370 are over 70 years old. Moreover, even newer dams are known to suffer both structural and operational failures. Does this Bill create a credible statutory dam safety mechanism? Here, I would like to just mention that one of our Members mentioned about the Seventh Schedule.

(1745/RCP/RPS)

I do not know whether the Minister will subscribe to what his colleagues mentioned from Rajasthan. The Seventh Schedule, List I—Union List says: “97. Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those Lists.”

I am not a lawyer by profession. Neither have I studied in any law college. But, as far as I understand, this is something which does not give total power to the Union Government to make law. It deals specifically and only with taxation.

I am not going through whatever provisions are there, but, before I conclude, I should also mention that dam safety is a primary concern of this country. To protect life and property of the people of our country, there is a need, but it has to be a regulatory mechanism. That regulatory mechanism cannot be a top-down approach. Empower the States; they should do it. If you feel that they do not have requisite expertise, then that type of support can be provided. But once you have such a top-down mechanism, it will not help in the long run.

Thank you, Madam.

(ends)

1746 hours

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak. As the House is aware, there are about 5300 large dams in India, out of which around 293 are more than 100 years old and 1041 are 50 to 100 years old. Nearly 92 per cent of these dams are on inter-State rivers.

Dams play a key role in fostering rapid and sustained agricultural growth and development and they are vital for ensuring water security of the country. As we all are aware, a badly maintained, unsafe dam can be a hazard to human life, flora and fauna, public and private assets and the environment.

I am happy to say that over the last fifty years, India has invested substantially in dams and related infrastructure. India ranks third after USA and China in the number of large dams but there needs be to done much more in future. International bidders may be invited to generate more power, including solar and hydel, and also to maintain the latest technology like that of China to meet future demands.

More than 4000 large dams will reach the minimum age of 50 by 2050 preparing the ground for a future water crisis. Large dams are acknowledged for their contribution in providing water security directly, and food and energy security indirectly.

Meanwhile, rapid growth in demand for water due to population growth, increasing urbanisation, changing lifestyle and consumption patterns, inefficient use of water and climate change pose serious challenges to water security. The visible challenges such as rising population, change in consumption patterns, urbanisation, increase in demand for water for agriculture, industries and energy, and the phenomenon of climate change have to be tackled immediately.

Some dams have lost 25 per cent of their live storage capacity. Due to siltation, the irrigation activities in the command area have severely been disrupted and this impact has a cascading effect on food security and the socio-economic status of the farmers.

Now, I come to the issue regarding my State, Telangana. 'Water' comes under the State List; hence the interests of the Telangana State must be protected at any cost and they should not be disturbed.

In Telangana, dams like Nagarjunasagar are conflict-ridden in sharing of water between Andhra Pradesh and Telangana since decades. As many as 14 dams in Telangana State require urgent repairs.

In September 2017, our Telangana State had sent proposals to the Central Water Commission seeking Rs. 645 crore for rejuvenation of 29 old dams. The said proposals were forwarded to the World Bank for funding. But the funds are still awaited.

(1750/SMN/RAJ)

In this regard, I also request the Government to accord national status to water projects in Telangana like Kaleswaram and Palamuru Ranga Reddy which is the dream of our hon. Chief Minister of Telangana State, Shri K. Chandrasekhara Rao.

Sir, additional grants may be sanctioned for irrigation purpose for reservoirs upto 20 tmc of water.

States may be empowered with full powers to undertake their maintenance, protection and everything concerning this subject linking with the Central Government.

Krishna and Godavari rivers have hundreds of small dams and reservoirs which are the lifeline of our Telangana State people in their day-to-day life, and they need to be protected on top priority.

With these few words, I would like to conclude my speech.

Thank you Madam.

(ends)

1752 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I am supporting this Bill. I have come from that place where more than nine dams are there including Idukki arch dam and Mullaperiyar dam. While introducing this Bill, our hon. Minister has stated that the serious discussion on dam safety has started with the Mullaperiyar dam's controversy. I am not going into the merits and demerits of the Mullaperiyar case and on its judgements also. But I have to express the serious feelings of our own people with regard to the fear and threat from the Mullaperiyar dam.

Sir, every man-made structure has its own lifespan. Let it be the Parliament building or the India Gate. Similar is the case of dams. There are serious and important study reports that came out with regard to the Mullaperiyar dam. The dam is situated at an earthquake zone. The IIT report has stated this. The Central Water Commission's Report, 1979 pointed out that the dam is in a dangerous condition and recommended that it should have been decommissioned decades before.

Our hon. Supreme Court directed as to reduce the water level at the time of recent floods because of the apprehensions over its capacity and safety of the dam. We are living under the scare because if anything happens to this dam, then we can say Kerala will be divided into two parts. It is not only affecting my own district but also my surrounding districts. Lakhs and lakhs of people will be victims. Kerala will be divided into two parts.

I am supporting this Bill to any extent for the safety of dams. The study reports states that all the old and aged dams should be decommissioned.

I am coming to this Bill. There are so many concerns expressed from different parts of the country with regard to the legislative competency of the Parliament to enact this Bill and its impacts on rights and authorities of States on their dam management. The concerns are already expressed by the hon. Members.

Moreover, the Central Government may misuse the super powers after the enactment of this Bill. The political pressure may come from the Central Government to each and every State relating to the dam safety issues.

(1755/MMN/IND)

As per Clause 5(1)(c), the Central Government can nominate its representatives to the different Committees of the State Government. It is a clear-cut encroachment on the principle of federalism. We all know, there are three Schedules, namely Schedule I, Schedule II and Schedule III. The powers and functions of each Committee have been given there. Those powers and functions may be amended by a Notification by the Central Government. That means, vesting the power with the Executive, Government, to amend the Act is very strange and it is against the settled principles of law.

At the same time, the Preamble of this Bill states that it is for preventing the dam failure disasters. It is not for the system management after the dam failure. It is for preventing the dam failure disasters. If this is the real intention of the Government, then there must be a comprehensive study and assessment of those dams which are vulnerable to such disasters.
...(Interruptions)

I am concluding. I will take only two minutes.

Clause (6) of this Bill talks about the function of the National Committee on Dam Safety. Its function is given under the Schedule I. I am suggesting that the First Schedule must include an entry regarding the study of the present conditions, structural details and expected lifespan of those dams which have already crossed 100 years of age. The dams, which have crossed 100 years, must be categorised separately and there must be a separate provision for such dams. It has to be de-commissioned by a recommendation in real time.

The National Dam Safety Committee must be conferred with the power to determine the maximum water level in each dam, according to its capacity. The capacity of the dam must be assessed on the basis of its age and other relevant factors. All the stakeholders should be heard in the process of determining the water level.

I am coming to the conclusion. I do appreciate the Central legislation. But at the same time, I would say that more deliberation with the stakeholders and States is required before the enactment of this Bill. I am supporting this Bill in the context of dam safety. Thank you very much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Now, it is six o' clock. If everyone agrees, the time of the House may be extended till both the Bills listed against Item No.4 & 5, are passed.

SEVERAL MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the time of the House is extended.

1758 hours

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Chairperson, I stand here to support the Dam Safety Bill, 2019. मैं इस तरफ से भी सुनता आ रहा हूँ और उस तरफ से भी सुनता आ रहा हूँ। I have gone through this Bill. फिर भी हमारे राइट साइड के साथी कहते हैं कि it is a kind of challenge to the federal structure. और इसका मिसयूज करेंगे। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि this NDA Government is headed by hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji, the man who can do no wrong. इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं जल शक्ति मंत्रालय को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस मंत्रालय में शक्ति जरूर है। Wisdom of *shakti* and wisdom of safety has been limited to the structural safety. इसमें हमने केवल स्ट्रक्चलर सेफ्टी पर ही ज्यादा ध्यान दिया है। According to me, it is right that we should further widen the scope. I come from Arunachal Pradesh. Sometimes, we used to call it a powerhouse of future India.

(1800/PC/VR)

सीडब्ल्यूसी ने एस्टिमेट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 55 हजार मेगावॉट हाइड्रो पावर इस्टैब्लिश की जा सकती है। इस कंट्री की रिक्वायरमेंट 1.43 हजार मेगावॉट की है, जिसमें से हम इंडिया में केवल 58 हजार मेगावॉट ही हार्नेस कर पाए हैं।

अतः ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम, मैं यह चाहता हूँ कि हम इस स्कोप को और आगे बढ़ाएं। I will not go through all the clauses of the Bill because they have been thoroughly defined. There is no question of federal disturbance with the States. The authority has been established at the Centre as well as in the States. Clear and detailed guidelines have been set up. So, there is no scope of mismanagement and misuse of this Bill in future.

मैं जलशक्ति मंत्रालय से आज यही कहना चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट, पूर्वोत्तर के राज्य एक एप्रिहेंशन की स्टेट में हैं। We have got a stretch ranging from Sikkim to Arunachal Pradesh to Nagaland. हम एप्रिहेंशन में इसलिए हैं, क्योंकि अगर डैम बनेगा तो वह एक दिन टूटेगा और अगर एक दिन जब वह टूटेगा तो उससे माल और ह्यूमन्स डिवास्टेट हो जाएंगे। हम इस एप्रिहेंशन में हैं। मैं आज शेखावत साहब को धन्यवाद दूंगा कि वे आज यह डैम सेफ्टी बिल, 2019 लेकर आए हैं। इससे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में और बाकी प्रदेशों में भी यह शक्ति जरूर आएगी कि

इस डैम में फ्यूचर है। इससे एक क्लीन पावर जनरेट हो सकेगी, जिससे एनवायरनमेंट क्लीनलिनेस आएगी। इसकी कॉस्ट सस्ती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम आज डैम के बारे में एप्रिहेंशन में क्यों हैं।

My colleague, Mr. Bordoloi from Assam is sitting here. He is from Congress. He was the Power Minister in Assam and he knows everything about Northeastern region. Arunachal Pradesh has five major tributary basins at mighty Brahmaputra river. We have got international river basins with China and Tibet. We have river basins with Bangladesh also. There are inter-State river basins with Assam and Bhutan also. The Central Water Commission has given clearance for construction of a multi-purpose project in Dibang Valley with a capacity of 2880 megawatt. In my native area Siang, a project with 1700-megawatt capacity has been approved. In Subansiri, a 2000-megawatt capacity project in Luhit has also been sanctioned.

There is an apprehension in the minds of the people of Assam and Arunachal Pradesh. The apprehension is about construction of dam and its safety. I want to know from the hon. Minister how do we convince the people of Assam and Arunachal Pradesh about the safety measures. Though the Minister assures that they will ensure the safety of dam, dam safety is not in its structure only. We have to take care of the upstream and downstream drains as well as of landmass and humans around it. That is the main issue there. Whenever the Government of India starts construction of a dam, the people of Assam have this apprehension and think that it should not be constructed.

चेयरपर्सन मैडम, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई एनजीओज़ हैं, जिनमें लाल एनजीओ भी हैं, ग्रीन एनजीओ भी हैं, जिनको यह हाउस समझ जाएगा। They are confusing the society. So, we need to remove this apprehension from the minds of the people and enlighten them about the usefulness of dams at the river basins of Arunachal Pradesh.

(1805/SPS/SAN)

आज सारी नदियां अरुणाचल प्रदेश से फ्री फ्लो से ब्रह्मपुत्र में जाती हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र में ह्यूमैन लॉस, ऐनीमल लॉस, लैण्ड लॉस, सब कुछ लॉस होता है। हम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से कितना कम्पेनसेशन मांगेंगे। यह हर साल होता है, इसलिए मैं जल शक्ति मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि यह विषय केवल जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है, यह पावर मिनिस्ट्री का भी है, यह फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का भी है। ये तीन डिपार्टमेंट एकजुट होकर आएंगे, then, I can proudly say in this House that 55,000 MW power generation is estimated by the CWC, but Arunachal Pradesh can generate more than 55,000 MW power, which is the

need of the hour for our country, mother India. इसलिए मैं यह जल शक्ति मंत्रालय से कहना चाहूंगा, क्योंकि हाइड्रो-पावर की परमिशन मिलती है, एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लीयरेंस नहीं है, फारेस्ट मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शंस हैं। So, I would like to see a unified government machinery to establish good kind of strong mega dams in Arunachal Pradesh so that we can regulate water flow to Assam and Bangladesh.

Madam, I belong to the Adi tribe, one of the major tribes of Arunachal Pradesh. The Brahmaputra passes through my home-town where it is called the Siang. The Council of Adis has agreed to construct the stage III of Siang Dam on River Brahmaputra inside Arunachal Pradesh, लेकिन आज यह नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज भी हैं और मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि our PSUs are doing all these things. They are filing cases against the State Government for construction of mega dams in Dibang Valley of Arunachal Pradesh. दिबांग वैली नाम से एक बहुत बड़ा डैम 2880 मेगावाट का है। एन.एच.पी.सी. इस इश्यू को लेकर कोर्ट में चली गयी। नेगोशिएट होकर पब्लिक का विश्वास लेकर यह एक पावर जनरेशन हुआ था। It is a multi-purpose dam through which we can have irrigation facility, drinking water and water reservoirs in future in Arunachal Pradesh.

Whatever floods occur in Assam – I hope, Shri Bordoloi will join me - we can control them by controlling the flow of water in reservoir and regulating the release of water as per the need and necessities of the river flow. हम इससे फ्यूचर में बना सकते हैं। मैं जल शक्ति मंत्रालय से यही कहूंगा कि केवल आप सेफ्टी में मत जाइए, डाउन स्ट्रीम में भी जाइए। आप पूर्वोत्तर राज्यों को डेवलप कीजिए so that power can be developed, as per the necessity of the future, in the North-Eastern States of this country.

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। Thank you.

(ends)

1808 hours

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Thol Thirumaavalavan in Tamil,
please see the Supplement. (PP141A to 141B)}

(1810/RBN/KDS)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR :

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Shri P. Raveendranath Kumar in Tamil,
please see the Supplement. (PP 142A to 142B)}

(1815/SM/SJN)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सभापति महोदया, बात यह है कि सदन तो चल रहा है, लेकिन बाहर से खबर आ रही है कि कश्मीर में सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी की गई है। सभी सैलानियों को वापस लाने के लिए कहा गया है। सभी सैलानियों को वापस लाया जाए, ऐसी बात हो रही है। सिक्योरिटी एडवाइज़री चालू की गई है... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : नहीं। I am sorry

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बिजनेस से रिलेटेड पाइंट ऑफ आर्डर पर बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The Government should come out with a statement. Why has the security advisory been issued?

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please sit down. Let the business continue. I am sure, whatever information is required to be given, it will be given.

... (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सभापति महोदया, सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी की गई है।... (व्यवधान) हाउस के बाहर स्टेटमेंट दिया जा रहा है।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Please do not create panic in the House... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please be seated.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : मैं अभी देखती हूँ। Just now, Shri P. Raveendranath was talking about the punishment for people who create panic situation in dam safety. Let Shri Hanuman Beniwal speak and we will consider this later.

1818 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से हमारे मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मारवाड़ से आते हैं। इन्होंने निश्चित रूप से इस पर बहुत बड़ी चिंता की है, वह दो बिल सदन में लेकर आए हैं। पहला अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर था और दूसरा आज बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 का है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी सोच है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से बांधों की सुरक्षा की जाए। बांधों से जो बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, पहले बांधों से जो घटनाएं घटित हुई हैं, अभी मंत्री जी एक घटना का जिक्र कर रहे थे कि वर्ष 1979 के अंदर सबसे बड़ी घटना घटित हुई है, जिसमें हजारों लोग मौत के शिकार हो गए थे। निश्चित रूप से बांधों पर केन्द्र का उतना ही अधिकार है, जितना राज्यों का अधिकार है। मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके अंदर हम राज्यों का हक-अधिकार नहीं छीन रहे हैं। बांधों की ओर आम जन की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार चिंतित है। इसलिए बिल लेकर सदन के अंदर आए हैं। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

(1820/GG/AK)

सभापति महोदय, इस विधेयक से बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी और देश में स्थित बड़े बांधों से अधिक निर्माणाधीन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि देश में 293 बांध ऐसे हैं, जिनका इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि बांध महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसका सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजनों एवं इसके बहुदृश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है। कोई असुरक्षित बांध मानव जीवन, पारिस्थितिकी और सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों के लिए संकट का कारण बन सकता है। इसलिए बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बन जाता है।

महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो सौ दिन की कार्य योजना है, उसके अंदर आप ऐसे-ऐसे बिल ले कर आए हैं – मजदूरों का बिल आया, आम उपभोक्ता का बिल आया, न्यूनतम मजदूरी का बिल आया, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बिल आए और जम्मू-कश्मीर का मामला भी आया। आज बांधों का बिल भी आया है।

महोदय, नदी-नालों को जोड़ने की योजना - अटल बिहारी जी ने एक सपना सोचा था कि देश की तमाम नदियों को जोड़ कर, जहां बाढ़ आती है, वहां बांध बने और जो सूखे इलाके हैं – जैसे हमारा राजस्थान सूखा इलाका है, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर, जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, वहां सिंचित क्षेत्र बढ़े और उसी की परिणति बदलने के लिए आज यह बिल बहुत कारगर साबित होगा।

इसके अंदर हमारे विपक्ष के कई साथी कह रहे थे कि इससे राज्यों के अधिकार चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे राज्यों के अधिकारों में कोई दखलंदाजी होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में जो जल समस्या है, वह किसी पार्टी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मैंने तो जल वाले विधेयक पर बोलते हुए यह भी कहा था कि जिस तरह से तेल को, आप मानते हो कि किसी इलाके के अंदर तेल निकलता है तो वह तेल, गैस आदि सब राष्ट्र की संपत्ति होती हैं, उसी तरह से जल भी पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। बहुत बड़ी सोच के साथ यह उठाया गया कदम है। विपक्ष में बैठे लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

महोदय, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी की स्थापना की बात कही गई है। यह समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी और ऐसे विनियमों की सिफारिश करेगी, जो उस प्रयोजना के लिए उपेक्षित हो।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बिल जो आज लाया जा रहा है, बांधों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से हमारे राजस्थान की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान की मौसमी नदियां जहां भी हैं, उनसे बरसात के समय उफान से कई बार विकट हालात भी हुए हैं। इसलिए उनके बहाव क्षेत्र के पास बांधों के निर्माण हेतु योजना बनाई जाए ताकि जल संकट का समाधान हो सके।

महोदय, जिस तरह हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने सड़क निर्माण में घटिया काम करने वालों के खिलाफ मुकदमे का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से कोई बांध अगर टूट जाता है, तो क्रिमिनल केस भी दायर होता है, बांध बनाने वालों के खिलाफ और इंजीनियरों के खिलाफ होता है। लेकिन उसके अंदर यह प्रावधान भी मंत्री जी आप जरूर करें कि उसकी मॉनिटरिंग करने वाले अफसर पर आपराधिक मुकदमा हो। अगर बांध निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो तो कोई केन्द्रीय समिति इसकी जांच करे। मैं तो इसके अंदर यह भी कहूंगा कि जो भी ऐसे मसले हैं, उनमें संसदियां समितियां बननी चाहिए। अलग-अलग सांसदों के दल जाने चाहिए और वह भी रिपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि राजस्थान के संपूर्ण बांधों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की जाए। क्योंकि आज जो हमारे रामगढ़ का रामगढ़ बांध है, सन् 1982 के अंदर जब हमारे देश में एशियाड हुआ था तब जयपुर के रामगढ़ बांध में नौकायन की प्रतियोगिता हुई थी। लेकिन आज वह खाली है। वहां इतना अतिक्रमण हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उसके बावजूद रामगढ़ के बांध का अतिक्रमण नहीं हट रहा है क्योंकि जितने भी अतिक्रमी हैं, वे कहीं न कहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीकी हैं। मैं तो यह कहूंगा कि जो राजस्थान के अंदर सत्ता है, वे अतिक्रमी उनके नज़दीकी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रामगढ़ से अतिक्रमण नहीं हट रहा है। जोधपुर का उम्मेदसागर बांध हो, चाहे बांसवाड़ा का माही जवाहर सागर हो, ये जितने भी बड़े बांध हैं, इनके रख-रखाव के साथ, सिंचित क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंदर मैं निवेदन करूंगा कि इसको देखा जाए।

(1825/KN/SPR)

सभापति महोदया, कई बार उच्च न्यायालयों के निर्णय आए, मगर राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरा एक निवेदन यह था कि मंत्री जी भी राजस्थान से आते हैं, हम लोग राजस्थान से आते हैं और बहुत बड़ी उम्मीद, पूरा देश आज मोदी जी की तरफ देख रहा है कि राजस्थान के अंदर भी वे दिन आएँगे। हम मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं, जहाँ पाँच-पाँच, सात-सात किलोमीटर तक पैदल चलकर घड़े भर कर महिलाएँ पीने का पानी लेकर आती थीं, वहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सिंचाई का पानी आएगा।

मैं धन्यवाद दूँगा कि कई योजनाएँ ऐसी बनीं, वहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाईं, जोधपुर, नागौर जो मंत्री जी का और मेरा नजदीकी क्षेत्र है, वहाँ पीने का पानी जरूर आ रहा है, लेकिन सिंचाई का पानी वहाँ पर आए। मंत्री जी अंतर्राज्यीय बिल नदियों का लेकर आए थे। राजस्थान को उससे कैसे जोड़ें, राजस्थान के बांध कैसे भरे और जितने भी बांध हमारे राजस्थान के अंदर हैं, उनकी भराव क्षमता अच्छी हो, अतिक्रमण हटे। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल का समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जल्दी से जल्दी अटल जी का और मोदी जी का सपना पूरा हो और देश के अंदर हर घर खेत को सिंचाई का पानी मिले।...(व्यवधान)

(इति)

1826 बजे

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदया, बांध सुरक्षा विधेयक पर जारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। देश में बांधों की सुरक्षा, समुचित निगरानी, निरीक्षण और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है, जो कि सराहनीय है एवं आम लोगों के लिए काफी संतोषप्रद है। विधेयक के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि बांध एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है, जिसका निर्माण सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजन के लिहाज से जल के बहुदृश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है। बांध सुरक्षा पर पिछले 9 सालों से लगातार प्रयास चल रहे हैं। इस विधेयक पर स्थायी समिति में चर्चा हो चुकी है। इस विधेयक में महत्वपूर्ण बात यह है कि डैम की सुरक्षा, निगरानी, निरीक्षण जैसे कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, राज्य स्तर पर राज्य बांध सुरक्षा समिति एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठन है, जो देश के डैम्स से लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित लाभ प्रदान करेंगे। देश के कई डैम्स बहुत ही पुराने हैं, जिन पर मरम्मत कार्य होना अति आवश्यक है। विधेयक में जिन समितियों का प्रस्ताव दिया है, उन सभी का कर्तव्य और कार्य का निर्धारण किया है। इस तरह से यह बिल पूरी तरह से जिम्मेदारी निश्चित करने वाला विधेयक है। हमारे देश में प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ एवं बाढ़ जैसी समस्याएँ देश में हर साल आती हैं। कहीं पानी ज्यादा होने से बाढ़ आ रही है और कहीं पानी की आवश्यकता से कम होने पर सुखाड़ जैसी समस्या का समाधान करना पड़ता है। इस विधेयक से हम अधिक पानी वाले क्षेत्रों से पानी लेकर कम पानी के क्षेत्रों में पानी पहुँचा कर किसानों की समस्या का निदान करने में सक्षम हो सकते हैं। इस कार्य में हमारे डैम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आज के दिन जिस परिस्थिति से हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी, मोतीहारी बिहार के जिस-जिस जगह पर जिस तरह से हम लोगों को देखने को मिला है, वहाँ जान-माल की जो क्षति हुई है, उसने बहुत असहनीय पीड़ा दी है।

सरकार बाढ़ की बार-बार आने वाली समस्या का सामना करने के लिए प्रस्तावित समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। इस कार्यदल को शीघ्रता के साथ काम करना चाहिए, पानी के भंडारण के लिए डैम, बांध बनाने होंगे। नेपाल सरकार के साथ बातचीत ही नहीं, अपितु सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए, जिससे शीघ्र हल निकल सके। जैसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कार्य शुरू किए थे, जो फाइल बन चुकी थी, जो नदी से नदी जोड़ कर सब के हित के लिए काम सोचे थे, आज भी वह फाइल पड़ी हुई है और उसके बाद जिसकी सरकार आई, उसने कभी सोचा नहीं कि किसानों से लेकर लोगों को कितनी दिक्कत पहुँची है। आज हमको लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री द्वारा ही यह काम सम्भव हो सकेगा।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत केवल राहत में राशि करने का प्रावधान है, बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई भी इस निधि से की जाए। किसानों को, गरीब लोगों को बाढ़ से होने

वाले नुकसान की भरपाई की जाए। साथ ही साथ सदन से अनुरोध है कि बांध का निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी का मेटिरियल प्रयोग किया जाए और डैम्स भी क्वालिटी वाले होने चाहिए।

(1830/CS/UB)

अगर इन बांधों, डैम्स में कोई खराबी या कोई कटाव आए तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खुशी की बात है कि इस जिम्मेदारी की इस विधेयक में विस्तार से व्याख्या की गई है।

महोदया, बांधों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नम्बर पर है, जबकि पहले व दूसरे नम्बर पर क्रमशः अमेरिका और चीन है। बड़े बांधों से चिंता का मुख्य कारण यह है कि बांधों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है। इसके कारण वर्षा के दिनों में बांधों के टूटने से बड़े पैमाने पर जन हानि होने के साथ-साथ सम्पत्ति का भी नुकसान होता रहा है।

मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित देश में छोटे-बड़े बांधों के आसपास लाखों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परन्तु यह चिंता का विषय है कि देश को लगभग 75 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 150 से अधिक बांध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। कोई भी असुरक्षित बांध मानव जीवन, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों के लिए खतरनाक है।

महोदया, नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलकर मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली बिहार की नदियों में आने वाले पानी के तेज प्रवाह से हम लोग अवगत हैं। इस कारण वर्ष 2017 एवं 2019 में बूढ़ी गण्डक, लालबकेया, मनुष्यमारा एवं बागमती इत्यादि नदियों में अचानक आए पानी के कारण इसके दबाव को रोकने में इनके पुराने एवं जर्जर तटबंध नाकाफी साबित हुए हैं। जिससे लालबकेया नदी के बलुआ गोआवारी बांध, सपही बांध, जमुआ बांध तथा बागमती नदी के भकुरहर बलुआ टोला बांध एवं मसहां नरोत्तम बांध के टूटने से जान-माल की भारी क्षति हुई है। वहीं बागमती नदी के रामपुर कंठ बांध एवं बेलवा घाट बांध बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसका खामियाजा सैंकड़ों लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है और इसमें जान-माल की भी भारी क्षति हुई है।

महोदया, मैं बांधों के टूटने से होने वाली क्षति, उनकी विभिषिका से भली-भांति परिचित हूँ। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस जन-कल्याणकारी बांध सुरक्षा विधेयक का हृदय से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1832 hours

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Madam Chairperson, as far as dam safety is concerned, I fully agree that there has to be a federal agency to look after it and ensure the safety of the dams.

Madam, I actually think that the present Bill which is being discussed today is half-sighted and lacks a broader perspective. I will tell you why. Take the case of the Brahmaputra River system. The Brahmaputra River originates in the Chemayungdung Glacier in the Western Tibet and it flows 1,150 km eastward and then it flows as Tsangpo River in Tibet, China, then it enters Arunachal Pradesh by the name of Siang River, and finally it enters Assam as Budha Lui which means Brahmaputra; we call it Budha Lui.

The Brahmaputra is the only main river in the whole world. Brahmaputra is the 'Son of Brahma', the Creator of the Universe. When it enters Bangladesh, it proliferates into three rivers – Meghna, Padma and Jamuna.

In the same river course, the Chinese have built several big dams, and hydro-power projects, and there are unconfirmed reports that they are planning to divert the water to their dry areas. If that happens, what will happen to the downstream areas? I would just try to draw the attention of the hon. Minister, if China diverts the water of the Brahmaputra River in the Tibet region, then the mighty river Brahmaputra is likely to dry out in the downstream areas.

(1835/KMR/RV)

And then, the famous biodiversity of the eastern part of India that we all know of will also wither. The floodplains ecosystem that we have there would also be eclipsed. The world famous one-horned rhino that we have in Kaziranga will probably die of starvation and gradually go extinct because enough food will not be available for them. Not only that, if China diverts water, what will happen to the lower riparian States? Livelihood of millions of people up to Bangladesh will be in jeopardy. That being the case, what is the role of the Jal Shakti Mantralaya in this? That is what I want to draw your attention to.

Take the case of river Colombia. River Colombia originates in the head waters of British Columbia in Canada. It flows down to USA covering several States in Canada. Flowing through Washington State and Oregon in USA, it finally merges into the sea on the west coast of Northern California. On the whole 2,000 kilometres course of river Colombia, they have built 62 dams. Colombia

river basin sustains 58 million hectares of land. They have an international protocol. They have a dam governance protocol. That is why they are able to maintain the water flow at each dam and they are able to maintain the spillways. They are maintaining everything under that protocol. That is what we need.

I would urge upon the Government of India, through you, Madam, that the Jal Shakti Mantralaya should look beyond. It should arrange to have a multilateral agreement with different countries. Brahmaputra is not a one-state river. It flows through several countries like China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and of course India. So, why cannot we have a multilateral agreement?

Jal Shakti Ministry has got a broader role. Hon. Minister Shekhawat Ji is here. I do not think his colleague ... (*Not recorded*) will take up cudgels on his behalf on these issues. Shekhawat Ji has to take the initiative. Jal Shakti Ministry should reach out to the PMO and the External Affairs Ministry and have a broader perspective.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): The name should not go on record.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): I understand, Madam, I am sorry.

What I am saying is that we must have an international protocol. There has to be a reservoir regulation policy with an international protocol. That is the need of the hour. This protocol can cover issues like dam safety, issues like water recharge, spillway management, and in the downstream areas, river draining, de-sedimentation, dredging etc.

Madam, the Power Ministry is only concerned over power projects. There is the Lower Subansiri hydroelectric project in Assam. That project was given to NHPC. They ignored all aspects. They ignored the environmental issues. They ignored all other issues. When you take up a power project, environmental impact analysis is carried out. But, this environmental impact analysis covers an area of only five to ten kilometres.

Madam, there is a proposal for putting up as many as 165 hydroelectric projects in Arunachal Pradesh. Imagine what will be the cumulative impact in the downstream area! That is why I say that the Jal Shakti Ministry should have a broader view and they should take everybody into account and carry forward. Thank you.

(ends)

1839 बजे

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदया, आज हम जिस मुद्दे पर सुबह से बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहां फॉरेस्ट एरिया में ब्रह्मसती डैम बहुत सालों से लम्बित है। उस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी समाज, गवली समाज के लोग रहते हैं। आज वहां पर ब्रह्मसती डैम के लिए कई सालों से फॉलो-अप हो रहा है।

1839 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

महाराष्ट्र के सिडको ने उसके सर्वे के लिए आठ लाख रुपये दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आठ लाख रुपये में कोई सर्वे क्लियर होगा। आज हम वहां पर लोगों को टैंकरों से पीने का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं।

(1840/MY/SNT)

मुझे आप बताइए कि आज हम लोगों को पीने के लिए पानी टैंकरों से दे रहे हैं। विदर्भ में चिखलदरा एक फ़ैमस टूरिस्ट एरिया है, सिर्फ पानी की समस्या की वजह से वह आज तक महाराष्ट्र में नोन नहीं हो पाया। आज हम टैंकर से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वहां डैम बन जाएगा, तो काफी सुविधा मिलेगी। हम किसानों के खेतों में पानी प्रोवाइड करने के लिए सिंचाई की योजना ला रहे हैं। हमने उस क्षेत्र में ब्रह्मसती डैम का प्रोजेक्ट किया है। अगर चिखलदरा में ब्रह्मसती डैम बन जाएगा, तो वहां के आदिवासियों तथा गवली समाज के साथ-साथ परतवाड़ा, आंचलपुर, दरियापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की सुविधा मिल सकती है। अगर हम किसान की खेती की बात करते हैं, वहां पानी पहुंचाने की बात करते हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर ब्रह्मसती डैम लाया गया, तो वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां के जो लोकल लोग दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार करते हैं, शायद वहां के बच्चों को वहीं पर रोजगार मिलेगा। ये चीजें होनी बहुत ही जरूरी हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और विनती करूंगी, हम अपने क्षेत्र के लोगों की सिक्योरिटी के लिए चिंतित रहते हैं। पिछले दिनों 3 जुलाई को रत्नागिरी में एक डैम पर दुर्घटना हुई थी। अगर हम रत्नागिरी में 14 साल पहले बने हुए डैम की सिक्योरिटी लूज करते हैं, तो वहां पर लोगों की हानि होने का डर होता है। हम जिस ठेकेदार तथा कंपनी को डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, उसे ही यह जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वह उस डैम की मेन्टेनेन्स करेगा, ताकि वह डैम बनाने के वक्त उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो वह इतना अच्छा घर बनाता है कि उसे 50 साल तक उस घर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी जवाबदारी हम खुद लेते हैं। हमें कांस्ट्रक्टर तथा कंपनी को जवाबदार बनाना चाहिए, क्योंकि उसी कंपनी या कांस्ट्रक्टर को 20 सालों तक उस डैम का मेन्टेनेन्स करना है। इससे मुझे लगता है कि डैम की जो हानि हो रही है, वहां दुर्घटना के कारण लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम कहीं न कहीं बच सकते हैं।

महोदय, आज जिस हिसाब से डैम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए सरकार 2-3 साल का टाइम लिमिट देती है। उसी टाइम लिमिट में हमारे डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर हम उस डैम के प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें 10 साल का समय लगता है, तो मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आगे चलकर 900-1000 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएगी। यह एग्जाम्पल है। हम जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने का जो टाइम लिमिट है, अगर वे उसी टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार के जो पैसे हैं, बेसिकली वह सरकार के पैसे नहीं हैं, बल्कि पब्लिक के पैसे हैं, वे वेस्ट होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1000 करोड़ रुपये का हो गया, तो मुझे लगता है, यह ठीक नहीं है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, हमारे क्षेत्र में सिंचाई के अभाव के कारण बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। ... (व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। यह बहुत जरूरी विषय है और किसानों की सिंचाई से संबंधित है। 20-25 साल पहले डैम निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन गई थी, उनको उस समय जो पैसे दिए गए थे, मुझे लगता है कि आज उनके परिवार के पास न खेती की जमीन है, न कोई दूसरा काम है और न ही उनके बच्चों के लिए कोई नौकरी है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए।

महोदय, जैसे हमारे यहां पीड़ी, टाकड़ी, चंद्रभागा, बागड़ी, सामदा, वगाड़ी, वास्ती, करजगांव प्रकल्प हैं... (व्यवधान) महोदय, मुझे दो मिनट का समय तो देना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन प्रकल्पों में जिनकी भी जमीनें गई हैं, आज हमें उनके लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए। जितने किसानों की जमीनें इन प्रकल्पों में गई हैं, 10 साल पहले जमीन का जो रेट था, उससे कम से कम 50 परसेंट बढ़ाकर या आज के हिसाब से पैसे देने चाहिए। आज उनके पास न तो जमीन है, न नौकरी है, न ही रोजगार के कोई दूसरे साधन हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी कि उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आज के हिसाब से पैसे देने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगी कि देश में 5,264 डैम के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, उनमें जिस डैम की फेल्योर रिपोर्ट है, उनमें करीब 36 डैम्स की फेल्योर रिपोर्ट्स हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें चार महाराष्ट्र के डैम हैं। इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी मंत्री महोदय से मांगना चाहूंगी। महाराष्ट्र में जो चार डैम्स फेल्योर हुए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं और उनके लिए आगे क्या प्रोविजन है? धन्यवाद।

(इति)

(1845/GM/CP)

1845 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I would like to speak from here.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Your name is not to be displayed on the screen. ...(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Dam Safety Bill 2019. The proposal of setting up the Dam Safety Authority was collecting dust in the corridors of power for nearly four decades since this idea was first conceptualized in 1982. The State of Andhra Pradesh adopted a Resolution and sent the same to the Union Government for enacting legislation on dam safety some time in 2009-10. I am happy to see that this is finally being taken up by this Parliament and seeing the light of the day.

Clause 5 of the Bill talks about the composition of the National Committee on Dam Safety. I am satisfied with the way the Government wants to constitute the Committee. But I am not happy the Government is appointing only seven Members from 29 States and that too on a rotation basis. Let me give an example of my own State of Andhra Pradesh. The Bill says that the Committee has to be constituted within two months from the date of notifying this Act. Suppose this Bill is passed and notified this month itself and in the first slot Andhra Pradesh is given representation, its term will expire in 2022 because the period of the Committee is for three years. If you calculate, Andhra Pradesh will not get next representation until 2037. So, I strongly feel that this is a way long period for any State to stay outside the Committee. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to give representation to all States in the Committee. When we have representation of all the States in other forum like GST Council, what is the harm in providing a similar provision in the National Committee on Dam Safety?

The Polavaram project in the State of Andhra Pradesh was given the status of the national project by the Union Government in pursuance of the Andhra Pradesh Re-origination Act in 2014. The Jal Shakti Ministry has given its approval for which I am very grateful to the Minister. Even the Technical

Committee has approved the revised DPR of Rs. 55,000 crore and only the approval of the Finance Ministry is required. But now I am given to understand that the Government has constituted one more committee on this subject.

I would take just a minute to go back to the background of this project. The Polavaram project was first conceptualized in 1941 at a cost of Rs. 6.5 crore. As mentioned by my fellow Member of Parliament from Andhra Pradesh, all clearances were obtained between 2004 and 2009 and the Right and Left canals were completed during Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy's regime. In 2014, the Andhra Pradesh Re-origination Act declared it a national project and the Polavaram Project Authority was set up. By June 2018, during the Telugu Desam Party's Government under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, most of the land acquisition was completed and the diaphragm was also completed. In January 2019, we entered the Guinness Book of World Records by pouring 32,100 cubic metres in 24 hours to complete the major portion of the project.

It has been a long and painful journey and even after all of this, I take a strong objection to this process of constituting committee after committee when we have been waiting for so long to complete this project. Much of the money has already been spent and we are waiting to be reimbursed by the Central Government. Even though it is a national project, Shri Chandrababu Naidu spent the State's money to bring it to this stage and we are waiting for that reimbursement.

I urge the hon. Minister to be pragmatic, magnanimous and generous towards Andhra Pradesh and see that the approved funds of Rs. 55,000 crore is released and the Polavaram project is completed in a time-bound manner.

(1850/PS/SK)

Sir, my next point is this. Many States, particularly Tamil Nadu, Kerala, etc., have expressed their strong reservations on the Bill since it is encroaching upon the rights of States under Clause 24 of the Bill. It may be true. I am not going into the merits and demerits of this issue. All I wish to say is that you are making the Central Water Commission as the Chairman of the National Committee on Dam Safety. It would mean that the CWC would function as the

advisor and regulator. This point has been brought up. So, I am looking forward for the hon. Minister to answer this.

Finally, the hon. Minister, on record, has said that there are nearly 5400 large dams in the country. Of this, 293 are more than 100 years old and 1000 dams are 50 to 100 years old.

In A.P., we have the Dowleswaram Barrage, which was constructed in the year 1850 and is nearly 170 years old. The Prakasam Barrage was constructed in 1855 and there are nearly 50 other dams and reservoirs in A.P. that are very old.

So, I would like the hon. Minister to explain the House as to what he is going to do under the proposed Bill for the structural and operational safety of these dams.

With these words, I conclude my speech.

(ends)

1851 बजे

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरा लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर शिवालिक और मोहंड की पहाड़ियों से सटा हुआ है, लेकिन यहां कोई छोटा या बड़ा डैम नहीं है। इसके बावजूद यहां बरसाती नदियों की भरमार है। बरसात के पानी के कारण तहसील बेहट, सहारनपुर और देवबन्द में हर साल तबाही मचती है। खेतों की फसल, सड़कें, बिजली के खंभे तबाह हो जाते हैं और जमीन का कटाव भी भारी मात्रा में होता है। लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित होते हैं।

मैं अपने क्षेत्र की परेशानी बताना चाहता हूँ, और मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बरसात के पानी से जमीन के कटाव को रोकने का प्रबंध किया जाए। इन तहसीलों में गांव में टूटे तटबंधों और बांधों की मरम्मत कराई जाए और नया निर्माण कार्य भी किया जाए। यहां भारी बरसात के कारण सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, जिससे सभी गांवों का संपर्क तहसील व जनपद मुख्यालय से कट जाता है। इसके कारण मजदूरों, स्कूल के बच्चों का जनपद और तहसील मुख्यालय में आना-जाना बंद हो जाता है।

माननीय सभापति जी, बेहट तहसील के बादशाही बाग के गांव मगनपुरा का पुल वर्ष 2012 में आई बाढ़ में बह गया था। इस पुल को बनाने का ऐलान पिछली सरकार ने किया था। यह पुल बेहट तहसील को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरखंड से जोड़ता है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से बेहट तहसील के हुसैन मलकपुर, शाहपुर और दबकोरा गांव में बाढ़ की वजह से टापू बन जाते हैं। यहां नदी पर पुल बनाया जाए और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए जाएं। इस मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बड़े आंदोलन भी किए गए और लोक सभा, विधान सभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त है कि एक बार फिर से हुसैनपुर, शाहपुर का पुल बनवाने का काम किया जाए।

माननीय सभापति, उत्तराखंड से आई बाढ़ से सहारनपुर के ढमोला नदी के किनारे बसे देवपुरम, पुष्पांजली, विहार, खान आलमपुरा, वाल्मिकी बस्ती, संतनगर, शांति नगर, जेल चुंगी, नुमाईश कैंप सहित अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ आई थी। इससे कई दर्जन मकान तबाह हुए थे और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। यहां भी तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त है कि सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र की तहसील बेहट, सहारनपुर और देवबन्द के अंदर बाढ़ से प्रभावित सभी गांवों में कार्य योजना बनाकर कार्य कराया जाए। धन्यवाद।

(इति)

(1855/RC/MK)

SHRI P.R. NATARAJAN :

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri P.R. Natarajan in Tamil,
please see the Supplement. (PP 157A to 157B)}

1858 hours

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Considering the fact that a lot of dams in our country are over 100 years old, I welcome this very important Bill. Most of our structures are definitely man-made and highly susceptible to various factors like natural calamities amongst others.

I am given to understand that the time given to speak for independent MPs is very short. So, I will try to come as quickly as possible to the points I want to make.

My State of Karnataka has 236 large dams, out of which, 44 dams are around hundred years old or more. I want to bring to the notice of the hon. Minister a disturbing fact. There have been cracks noted in the structure of Krishnaraja Sagar Dam which falls in my constituency of Mandya. Experts feel that this is due to the illegal mining activity and high intensity quarry blasts that happen in the vicinity of the dam. Mining has been banned in the 20 kilometre radius around the dam yet it continues unabated thanks to the local political-criminal-official nexus sadly.

I need not spell out the potential disasters that could arise out of such a situation. I certainly hope that the hon. Minister would look into this aspect. I would urge the Minister to include it in this most important Bill to prevent any potential disasters arising out of this in my region of Mandya.

With these words, I conclude and support the Bill.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Thank you for being brief.

(1900/SNB/YSH)

1900 hours

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in support of the Dam Safety Bill, 2019. At the very outset, I would like to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for taking special interest in trying to bring forward this Bill which is already at a belated stage. I must also congratulate the hon. Minister of Jal Shakti for effectively piloting this Bill whose conception, for the first time, is almost older than me. The first time the idea of bringing about a Bill of this nature to protect the dams of this country originated in the year 1982. Since then there have been multiple efforts made to bring about a legislation which will ensure constant surveillance, inspection and monitoring with regard to the safety of the numerous dams that are there in this country. Unfortunately, that legislation did not see the light of the day due to a host of reasons. This particular attempt, I am sure, will bear fruit because this particular Bill is brought about under article 246 of the Constitution of India read with Entry 56 and 91 of List 1.

Sir, one of the principal challenges that have been thrown up by the Opposition to the Government is about the legislative competency of the Bill. It is being argued that the Union Government does not have the legislative competence to legislate on matters regarding distribution of water and since water is a State subject under List 2, the Union Government has no legislative competence to legislate so far as this subject is concerned. Briefly, I would like to allay the fears of the Opposition by taking them through the primary provision by which we derive the legislative competence. The Union Government derives the legislative competence to legislate on all matters under article 246 of the Constitution of India. The two Entries of 56 and 91 very specifically lay out the powers of the Union Government. Let me read out Entry 56 of List 1. It states that regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament, by law, to be expedient in the public interest.

Hon. Chairman, Sir, one of the principal changes that has been brought about in this legislation, in its latest *avatar*, is the declaration of the 'expedient in public interest' which clearly empowers the Parliament to legislate under Entry 56. Also, the doctrine of pith and substance is not something that is foreign to the Indian constitutional jurisprudence. I would just want to read one important observation that the hon. Supreme Court made in its Constitution Bench judgement in the Ujagar

Prints *versus* Union of India wherein it elucidated on how Entries in the Union List or the Lists under the Constitution must be read.

(1905/RU/RPS)

In para 48, hon. Supreme Court espouses that Entries to the legislative lists are not sources of legislative power but merely topics or fields of legislation and must receive a liberal construction inspired by a broad and generous spirit and not in a narrow pedantic sense. The expression “with respect to” in article 46 brings in the doctrine of Pith and Substance in the understanding of the exertion of the legislative power and wherever the question of legislative competence is raised, the test is whether the legislation, looked at as a whole, is substantially ‘with respect to’ the particular topic of legislation.

Therefore, if a cursory reading of the legislation and its provisions are made, one can certainly ascertain that the Pith and Substance of the legislation is primarily to look after maintenance, surveillance and safety of the dams and has nothing absolutely whatsoever in controlling the ownership, controlling of water or any other such ancillary subjects which the Opposition may have any fears over.

There is not a single provision in the Bill which can be construed as something that makes an assault on the federal structure of the Constitution and it is something which has been repeatedly bandied about by the Opposition.

I would like to point out two specific issues as briefly as possible as to why a Bill of this nature is imperative in today’s times. In 2017, the CAG conducted an inspection as to how many States had conducted regular inspection of dams in their jurisdictions before and after the monsoon. To the surprise and dismay of this House, we may learn that in 2017 the CAG Report brought to light that only two States, Tamil Nadu and West Bengal, out of the 17 States which were audited, conducted a pre-monsoon and post-monsoon audit on the safety of their dams.

Therefore, the issue of dam safety ensuring that there is perpetual surveillance and continuous monitoring of the quality of dams is something that needs to be given a statutory status.

The other most important thing that this Bill envisions is that as a country, we are moving towards forming a national protocol on standardising the measures that are required to address issues of dam safety. In 2002, the World Bank came out with a Report wherein it made a comparative and contrasting study of various dam safety legislations across 22 different countries in the world. I think, hon. Member, Shri A. Raja made a passing reference to this Report. But one critical input in this Report or a suggestion in the Report is that, in all important countries, whether it is the United

States or Russia or Canada, most of the dam safety regulations are made at the federal level.

It must be kept in mind that India is a Union of States unlike the United States which is a Federation of States and therefore, the Union Government in India has far more legislative power to legislate for the whole country than in other countries like the US and Australia. However, by its own admission, in the United States today, there is a federal law which governs this field and dam safety regulation is governed by laws which apply for the whole of the United States and therefore, India must also make efforts to legislate at the national level for all the States.

I want to bring in two very important novel points which the Bill bring about. The Committee on Dam Safety issues a lot of advisories and guidelines to many State Governments but as there are no penal provisions, these guidelines cannot be enforced in a strong manner.

(1910/KKD/RAJ)

There are penal provisions in this Bill, which will enforce the guidelines of the National Dam Safety Authority as well as the State Dam Safety Organisations.

Lastly, Sir, the different Committees, which have been envisioned, like the Committee on Dam Safety, the Dam Safety Authority, the State Committee and the State Dam Safety Organisation, will work in partnership to ensure that only particular objective is taken care of. That objective is regarding the safety of our dams.

There is only one particular request that I would make to the hon. Minister. Though this is a well thought out legislation, in my humble opinion, the legislation does not fix accountability in case there is a failure of a particular dam. It envisions provisions, which will deal with failures of dams. It has penal provisions to deal with. But in case, if any guideline or direction is not implemented, then what would be the penal consequences that follow?

However, this Bill will be a more comprehensive legislation if consequent penal provisions are also incorporated in this Bill to fix the accountability of errant officials or errant owners of the dams.

I congratulate the Government and the hon. Minister for having brought this Bill and I support it wholeheartedly. With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1912 hours

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Dam Safety Bill, 2019, which is aimed at developing uniform safety procedure for all the dams across the country, particularly the major dams, numbering 5,344. Out of it, 293 dams are more than 100 years old, and 1,041 dams are 50 to 100 years old.

In the locality of the place where I come from, there is Hirakud Dam, which is the longest major earthen dam of the world. This dam was constructed in the year 1948. I want to apprise the entire House that at that time there was no Judiciary, there was no Media, there was no Human Rights Commission. The people were just asked to go away. मुझे लगता है कि लोग भारत और पाकिस्तान पार्टिशन होने के बाद जान बचाने के लिए जैसे भागे, हीराकुड डैम बनाने के समय ऐसा ही हुआ, लाखों लोग, 25,000 families were ousted. The number of families ousted is also a world record. Never ever in the history of world, a huge number of persons were displaced for a particular project.

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक उनका रिहैब्लिटेशन भी नहीं हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि उन लोगों के रिलेटिक्स, जो आज भी जिंदा हैं, उनकी पहली पीढ़ी मर चुकी है, दूसरी पीढ़ी भी आधी मर चुकी है, तीसरी पीढ़ी, the persons who have born, are suffering the same wounds inflicted on their forefathers. उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हीराकुड डैम का स्वास्थ्य भी खराब है। उसमें बहुत बड़े-बड़े होल्स हो चुके हैं, and I think, the Hirakud Dam is dying a natural death. So, it needs immediate repairing. Unless it is repaired, this dam may collapse at any time. मेरे क्षेत्र के लोग बरसात आने पर नहीं सोते हैं। उनको यह लगता है कि कभी न कभी डैम टूट जाएगा। वर्ष 1982 में ऐसा हुआ था। एक अफवाह के कारण हजारों लोग भागने लगे। ऐसा दो बार हो चुका है। अभी भी वहाँ लोगों को विश्वास नहीं है।

So, I demand that let the relatives of the persons, who have been displaced, be paid adequate compensation.

अभी तक उनको पट्टा नहीं मिला है। एक लखनपुर ब्लॉक है, जहाँ लोग डिसप्लेसमेंट के बाद रहते थे। जब एमसीएल आ गया तो वे दोबारा डिसप्लेस हुए और जब ओपीजीसी आ गया तो वे तीसरी बार डिसप्लेस हुए। वे तीन बार डिसप्लेस हो चुके हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। हीराकुड डैम की रिपेयरिंग होनी चाहिए। हीराकुड से इंडस्ट्रीज को पानी दिया जाता है और उनसे जो वेस्ट निकलता है, उसे वे नदी में भेज देते हैं।

(1915/IND/RP)

डाक्टर्स का कहना है कि इस कारण बारगढ़ जिले में कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हीराकुड डैम को लेकर जो समस्याएँ हैं, उनका हल जल्द से जल्द निकाल कर समाधान करें।

(इति)

1915 बजे

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): सभापति जी, मैं आज इस बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने झारखंड के कुछ डैम्स के इश्यूज आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड बहुत सारी परियोजनाओं के मामले में सफरिंग स्टेट है। मसानजोर डैम का काम वर्ष 1951 में शुरू हुआ था और वर्ष 1955 में कमीशन हुआ था। 94 स्क्वेयर किलोमीटर झारखंड की जमीन इसमें ली गई, लेकिन 2,26,000 हैक्टेयर बंगाल की जमीन की सिंचाई हो रही है और हमारे झारखंड की सिर्फ 8,100 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है। उस समय बिहार और बंगाल के बीच क्योंकि, झारखंड उस समय नहीं बना था, वर्ष 1978 में इस स्थिति को देखते हुए एक करार हुआ था कि सिद्धुस्वरी डैम बनाकर झारखंड को दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं दिया गया।

1916 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सिर्फ 12 प्रतिशत इरीगेशन लैंड है और हमारे यहां लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे यहां के लोगों ने ही आपको जमीन दी है और सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। एक और प्रोजेक्ट मैथन है, जहां दामोदर वैली कारपोरेशन प्रोजेक्ट है और उल्टे बंगाल की सरकार झारखंड सरकार से पैसा मांग रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजली उत्पादन हो कर बंगाल जा रही है, जमीन हमारी गई है, पानी में हमारी जमीन जलमग्न हुई है, लेकिन बंगाल सरकार सारा फायदा ले रही है।

ऐसे ही बिहार में चानन एक प्रोजेक्ट है, जिससे कि झारखंड के गोड्डा जिला को पानी मिलना था, लेकिन वर्ष 1970 में पानी मिलना था, लेकिन 50 वर्ष में पानी नहीं मिला है। वहां 55 प्रतिशत सिल्टेशन हो गया है, उसे कौन निकालेगा, इसकी भी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। झारखंड सबसे ज्यादा डैम्स के प्रोजेक्ट में सफर कर रहा है, क्योंकि सैंकेंड इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड को 10 डैम्स मिलने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। मैं यहां एक और डैम का जिक्र करना चाहूंगा जो कि वर्ष 1989 में बनना शुरू हुआ था - राडू नदी जलाशया यह आंगडा और सिली, दो ब्लाक्स में वर्ष 2015 में बनना था, 850 करोड़ रुपये की यह योजना थी, लेकिन आज वर्ष 2019 में इसकी लागत 1600 करोड़ रुपये हो गई है और अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसी तरह से यदि समय और बढ़ जाएगा, तो योजना की रकम बढ़ती जाएगी और नुकसान सहना पड़ेगा। मैथन, मसानजोर, पंचायत गुमानी प्रोजेक्ट हमारे यहां दो दशक से लम्बित है, वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। इतनी सारी योजनाएं हैं, जिनसे झारखंड के लिए सिंचाई में फायदा देने का काम करना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा झारखंड के साथ न्याय किया जाए।

(इति)

**ANNOUNCEMENT RE : ARRANGEMENT FOR DINNER
FOR MEMBERS, MEDIA, STAFF AND
SECURITY PERSONNEL**

1919 बजे

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, अभी इस बिल पर चर्चा जारी है और एक बिल पर चर्चा शुरू होनी है। आज डिनर की व्यवस्था तय हुई है। एमपीज के लिए रूम संख्या-70 में 8.15 बजे के बाद, मीडिया के लिए रूम संख्या-54 में 8.30 बजे के बाद, स्टाफ के लिए रूम-73 में 8.30 बजे के बाद और सिक्योरिटी एंड पर्सनल्स के लिए रूम संख्या-74 में 8.30 बजे के बाद खाने की व्यवस्था तैयार रहेगी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

DAM SAFETY BILL – Contd.

1919 बजे

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मैं दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(1920/PC/RCP)

मैं इस बिल को लाने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारे कुछ साथी अभी इस बिल का विरोध कर रहे थे। उनके पास भी भरपूर अवसर था कि वे 15वीं लोक सभा में इस बिल को पास कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे यह बोल रहे थे कि यह फेड्रल सिस्टम पर अटक है, लेकिन यदि आप इस बिल को ध्यान से, ढंग से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा बिल है। इस बिल के संबंध में सभी दलों के मेरे मित्रों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें इसका बिना विरोध किए इसको पास कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल से अच्छा बिल किसी को नहीं मानता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब डैम की फेल्योर होती है तो उस डैम का पानी यह नहीं देखता कि वह किस दल के आदमी को बहाकर ले जाएगा या किस धर्म के आदमी को बहाकर ले जाएगा। इसलिए, इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इस बिल का हमें बिना विरोध किए इसे पास कर देना चाहिए।

महोदय, हम एग्री इकोनॉमी हैं। हम कृषि आय को दोगुना करना चाहते हैं, हर खेत को पानी देना चाहते हैं। हम 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' की बात करते हैं, लेकिन बिना डैम्स के हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, आज उस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी कमी है। वहां डैम बनाया जाना बहुत आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की भी समस्या है। ग्राउंड में फ्लोराइड मिलता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में डैम बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बात करूंगा। वहां नर्मदा पर एक डैम बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह डैम पिछले आठ-दस सालों से बनकर तैयार है, उसका सिर्फ गेट बंद होना है। हम उस गेट को बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ लीगल इश्यूज हैं। आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जब उस डैम का गेट बंद होगा, तब हम हमारे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर को पानी दे पाएंगे। ये कुछ इश्यूज हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस डैम की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि इस डैम में सेंटर की कुछ ड्यूटीज हैं और स्टेट की भी कुछ ड्यूटीज हैं। जैसे अभी कई लोग बात कर रहे थे कि उनके यहां छोटे, बड़े डैम्स हैं। The provisions of this Bill are applicable to certain types of dams. जो लार्ज डैम्स हैं, जिनकी हाइट 15 मीटर से अधिक है, ऐसे डैम्स पर इसके प्रोविजन्स लागू होंगे। ऐसे डैम्स, जिनकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर है, उनमें कुछ एडिशनल डिजाइन्स और स्ट्रक्चरल कंडीशन्स की गई है, उन पर भी प्रोविजन्स लागू होंगे, इसलिए यह कहना बहुत गलत है कि राज्यों के अधिकारों पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं।

इस बिल में नैशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी का प्रोविजन है, जिसमें राज्यों के सदस्य, डैम्स के एक्सपर्ट्स और सेंटर के लोग भी रहेंगे। इसका मुख्य कार्य यह होगा - formulating policies and regulations regarding dam safety standards and prevention of dam failures, and analysing causes of major dam failures and suggesting changes in dam safety practices. नैशनल लेवल पर जो हमारी नैशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रहेगी, इस अथॉरिटी का यह मुख्य कार्य यह देखने का रहेगा कि हमारी नैशनल कमेटी की जो रिक्मनडेशंस हैं, वे प्रॉपर्टी लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन रिक्मनडेशंस को एग्जिक्यूट करने के लिए स्टेल लेवल पर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन बने हुए हैं। स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी बनी है, ताकि पूरे तरीके से यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी प्रकार किसी भी डैम का फेल्योर न हो।

हमारे यहां अर्दन डैम्स होते हैं, कांक्रिट डैम्स होते हैं, कम्पोजिट डैम्स होते हैं, डैम्स विद स्लूस-गेट्स होते हैं, विदआउट गेट्स होते हैं। इन सभी प्रकार के डैम्स के फेल्योर के अलग-अलग कारण होते हैं। इन सभी कारणों को मिटिगेट करने के लिए इस बिल का आना बहुत आवश्यक था। इसमें यदि कोई राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है या इसमें बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी इसमें प्रावधान है। यह पहली बार एक ऐसा अच्छा बिल आया है, जिससे हम अपने डैम्स को सुरक्षित रख सकेंगे।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज पानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए हमको लार्ज डैम्स बनाने पड़ेंगे। आज कई राज्यों में पानी की कमी है। अगर हमें इस पीने के पानी की कमी को दूर करना है तो हम उसे डैम्स के माध्यम से ही कम कर सकते हैं। हम ग्राउंड वॉटर पर नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक पर बहुत अच्छी बहस की। हालांकि, उन्होंने बहस तो नहीं की, बल्कि अपने अच्छे सार्थक सुझाव रखे। माननीय सदस्य रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, तब ही उन्होंने यहां इतने सार्थक सुझाव रखे हैं।

माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य का टैक्निकल रूप से उपयोग लीजिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी आपको नहीं बोलना है।

श्री बालक नाथ, आप एक मिनट पंद्रह सैंकेंड में अपनी बात रखिए।

(1925/SPS/SMN)

1925 बजे

श्री बालक नाथ (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रधान मंत्री जी का जो दूरगामी सपना है, वह आने वाले भारत की जरूरत है। आज भी हमारे भारत में गर्मियों के सीजन में अनेक स्थानों पर टी.वी. और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें देखने का मिलता है कि लोग एकत्रित होकर दूर से पानी लाते हैं। उसके लिए प्रधान मंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि आने वाले भारत की सबसे बड़ी जरूरत है तो वह पीने का पानी है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दिन-रात मेहनत करके, इस विधेयक को लोक सभा के पटल पर रखा है, जिससे आने वाले समय भारत के लोगों को समान दृष्टि से पीने का पानी मिले। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसके अंदर दस मीटर से ज्यादा हाइट के डैम्स भी लिए हैं। हर डैम इसके अंतर्गत हो। केन्द्र सरकार यह भी देखे कि हर डैम जिसके अंदर पानी आता है, उसकी व्यवस्था सही है या नहीं। उसके अंदर सिल्ट जमा होती है। अलवर के आस-पास सिलीसेड डैम है, जयसमंद डैम है, प्रताप बांध है, बालेटा डैम है, विजय मंदिर डैम है। जब से मैं उस क्षेत्र में आता-जाता रहता हूं तब से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उनके अंदर काफी मात्रा में सिल्ट जमी हुई है। सिल्ट जमा होने के कारण भूजल स्तर के बढ़ोतरी में रुकावट पैदा होती है। समय-समय पर उनकी सिल्ट को भी बाहर निकालने का भी प्रावधान हो, ताकि राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक उचित बजट सिल्ट निकालने के लिए भी उपयोग में आए। इसके साथ-साथ डैम्स के आस-पास की जगह होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि डैम्स के आस-पास की जगह किसानों की है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस डैम में जितना भी जल-भराव का क्षेत्र हो, वहां से उन किसानों को अलग से किसी स्थान पर जमीन देकर, उस डैम की पूरी जमीन पानी भराव के काम आए। इसके साथ-साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी डैम्स हमारे देश में हैं, ये हमारे पूर्व के बने हुए डैम्स हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत में जिस प्रकार से पानी की जरूरत होगी, उसको देखते हुए भविष्य में हम कहां-कहां डैम्स बना सकते हैं, उसके लिए भी एक आयोग बने, एक कमेटी बने, जो ऐसा सर्वे पूरे भारत में करे कि कहां नया डैम बन सकता है और कहां पानी एकत्रित हो सकता है।

(इति)

1928 बजे

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया है, मैं उसी समय में अपनी बात को समाप्त करूँगा।

माननीय अध्यक्ष: केवल दो मिनट का समय है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी तरफ से है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ राजस्थान में उदयपुर झीलों की नगरी से जाना जाता है। यह लेक ऑफ सिटी उदयपुर है। राजा-महाराजाओं ने झीलों का निर्माण कराया। एक झील का पानी, जैसे ही वह झील भर जाती है तो दूसरी झील में और दूसरी झील भर जाती है तो तीसरी झील में जाता है। पिछोला झील का पानी फतेह सागर झील में और फतेह सागर झील का पानी उदय सागर में जाता है तथा उदय सागर झील का पानी वागल्या में जाता है। इस तरह से पुराने समय में राजा-महाराजाओं ने झीलों का निर्माण कराया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ और उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में जयसमंद बांध 1730 में राजाओं ने बनाया था। उसे लगभग 289 साल हो गए हैं। यह इतना पुराना बांध है। इस बांध की क्षमता 14650 Mcft पानी का बांध है और उससे लगभग 16,000 हैक्टेयर की सिंचाई की जाती है और 14,400 हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र है। इसका 630 Mcft पानी पीने के लिए उदयपुर शहर को दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर डिवीजन में माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, यह बड़ा बांध है, उस बांध में हर साल पानी ओवर फ्लो हो जाता है। उस बांध का पानी जाखम डैम में, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और प्रतापगढ़ से दरियाबाग तथा ग्रेविटी से जयसमंद में जाए। हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस वसुंधरा राजे सरकार ने उसके लिए सर्वे कराया था और बजट का प्रावधान किया था।

(1930/KDS/MMN)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माही का पानी जयसमंद में डाला जाए और जयसमंद का पानी उदयपुर लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे देवास के लिए मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो सपना देखा था, लेकिन स्वर्गीय भैरों सिंह जी ने और वसुंधरा राजे जी ने उस सपने को पूरा किया। फेज फर्स्ट और सेकेण्ड का बजट देकर अब थर्ड और फोर्थ का बजट देवास बांध को उदयपुर शहर के लिए 1000 एमसीएफटी पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे उदयपुर शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

(इति)

1931 बजे

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और मैं यह अवसर नहीं दूंगा कि आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए बोलें। दो-तीन मिनट में चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मेरा खुद का पार्लियामेंटी एरिया, जो होशंगाबाद, नरसिंहपुर है, बगल में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में दो बड़े बांध हैं।

अध्यक्ष महोदय, देश में कितने बांध हैं, कितने निर्माणाधीन हैं, यह माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया और यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। यूएस में सबसे ज्यादा बांध हैं, चाइना दूसरे नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर आते हैं, इतनी डिबेट के बाद यह भी सभी जान गए। मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपोजीशन की तरफ से जैसे यह कहा गया कि यह राज्यों का विषय है, भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमको जब तक हम इस फेडरल स्ट्रक्चर को बड़े भाई, छोटे भाई की तरह को-ऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि इस देश में जो हमारे संविधानविद हैं, जिनकी मंशा थी इस देश को बेहतर गति से चलाने की, शायद वह मंशा पूरी नहीं होगी।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा डैम सेफ्टी बिल है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से केवल एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी बनाई गई, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें आपने भारत सरकार के 10 प्रतिनिधि रखे हैं, राज्य सरकारों के 7 प्रतिनिधियों का इसमें समायोजन किया है, 3 डैम सेफ्टी विशेषज्ञ इसमें समाहित किए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि बांधों के साथ मछली पालकों का जीवन जुड़ा रहता है। हर बांध के साथ मछली पालक जुड़े रहते हैं। इसमें मछली पालकों का एक प्रतिनिधि और चूंकि किसान भी नहरों के माध्यम से बांध के उपयोग में जुड़ता है, अतः किसानों का एक प्रतिनिधि भी इसमें जोड़ा जाए, तो मैं सोचता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कमेटी बांधों का रेगुलेशन, बांधों को टूटने से रोकना, बड़े बांधों के टूट के कारणों का निरीक्षण करना, इन सभी की मॉनीटरिंग करेगी। माननीय मंत्री जी, इसमें आपने अपराध और सजा का प्रावधान किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपराध संज्ञेय तभी होंगे, जब शिकायत सरकार द्वारा या बिल के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि अगर गवर्नमेंट फेल्योर या फेडरेशन फेल्योर होता है तो इसमें अपराध का मापदण्ड तय करने के लिए तीसरी संस्था क्या होगी? इसमें व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए। इस बिल के अंदर अगर आप यह प्रावधान भी करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अन्य महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहता हूँ। हमारे यहां तवा प्रोजेक्ट है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तीन-चार जिलों में उसके पानी से सिंचाई होती है और हिंदुस्तान में होशंगाबाद गेहूं उत्पादन में एक नंबर का जिला बना, उसकी वजह केवल तवा डैम है। उसके अंदर लगातार सिल्ट जम रही है। इसमें जो मॉनीटरिंग कमेटी बनेगी, वह इसके प्रबंधन और सुरक्षा के अलावा इन चीजों को भी देखेगी कि बांध की पानी भंडारण की क्षमता

अगर घट रही है तो दोबारा से पानी को कैसे रिस्टोर करें, पानी को रोकने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी इस कमेटी को काम करने के लिए अलग से फोकस करके प्रोग्राम देने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 में बरगी बांध बना। 20-25 सालों से लगातार वह बनता रहा और वर्ष 2000 के बाद, वर्ष 2006-07 में नरसिंहपुर जिले को उसका पानी मिला। जहां कुछ हजार करोड़ रुपये से बांध बनना था, वहीं उसके बनने के दौरान लागत 50 से 55 गुना बढ़ी। मुझे लगता है कि इन चीजों पर कहीं न कहीं चेक एण्ड बैलेंस होना चाहिए कि बांध बनाने की जो निर्धारित सीमा है, उसे निर्धारित समय में ही पूरा किया जाए ताकि उसकी कॉस्ट न बढ़े।

माननीय अध्यक्ष जी, सतना के हमारे माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-11 वर्षों से सतना के सांसद जी लगातार बरगी डैम का पानी सतना में उठाते रहे हैं। मुझे यह कहने का मौका मिला है कि बरगी का पानी सतना जाना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो टनल बन रही है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह टनल प्लेन जमीन पर क्यों बनाई जा रही है? वह टनल लगभग वर्ष 2008 से बनना शुरू हुई है और अभी तक केवल साढ़े चार किलोमीटर ही बनी है। 12 किलोमीटर अभी भी बननी शेष है। वह नहर जमीन के ऊपर जा सकती है। उसको चेक कराएं और उसका काम कैसे तेजी से होगा, कैसे हर क्षेत्र में बरगी बांध का पानी तेजी से पहुंचेगा, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बिल का समर्थन भी करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1935/SJN/VR)

1935 बजे

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने 40 वर्षों के लंबे सफर के बाद जो बिल पहले आ जाना चाहिए था, वह आज उसको लेकर आए हैं, इसलिए वह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे यहां उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक अगर हर जगह पानी देने की व्यवस्था नदियों से है, तो वह केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों की वजह से है। चाहे वह गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास और जो पाकिस्तान में जाने वाली नदियां हैं। सतलुज नदी पर 80 साल पहले भाखड़ा बांध बना था और जिस बांध का नाम गोविंद सागर है, उसमें बहुत सिल्ट है। पहला, उस सिल्ट को इस बांध में से कैसे निकाला जाए। दूसरा, बारिश के दिनों में रावी, व्यास और सतलुज में बने बांधों में से बहुत ज्यादा पानी नीचे तक आ जाता है, जो बहकर पाकिस्तान में जाता है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि हरिके पत्तन या उससे ऊपर कहीं पर एक बांध बनाया जाए, ताकि राजस्थान को भी राजस्थान कैनाल के माध्यम से पूरा पानी दिया जा सके। उसके साथ ही साथ, क्योंकि एक भाखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड है, वह पानी हिमाचल से आता है और पंजाब से होकर निकलता है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ में पंजाब के ज्यादा अधिकारी हैं। वह जरूरत के हिसाब से अपने लिए पानी का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा को पानी ना जा सके, इसलिए उन नहरों की रिपेयर भी नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सफर करते हैं। उसके हिस्से का अधिकारी हरियाणा या राजस्थान का होना चाहिए। उसी प्रकार से एक किशाऊ बांध है, जिसके बारे में हम बार-बार जिक्र करते हैं। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि मंत्री जी समय रहते यह जरूर आश्वासन दें कि किशाऊ डैम जिसका पानी छः राज्यों में है और जिसका ज्यादा पानी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा को मिलना है। यह बहुत जरूरी है, इसका समाधान जल्दी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछली योजनाओं में एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि शारदा-यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका ज्यादातर पानी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के माध्यम से इस देश को सिंचित करेगा। आप उसके बारे में भी जरूर विचार करें।

(इति)

1937 बजे

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह महत्वपूर्ण बिल बांधों के साथ ही साथ उनके परिचालन के क्षेत्र में आने वाले लोगों की जान और माल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह देश लगभग पिछले 40 सालों से इस महत्वपूर्ण बिल का इंतजार कर रहा था। उस बिल पर इस सदन में 31 साथियों ने गंभीरता के साथ चिंतन किया है, चर्चा की है और अपने विचारों को प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, इसलिए मेरे सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। अधीर जी से लेकर धर्मवीर जी तक कुल 31 साथियों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विवेक, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर, कुछ ने तकनीकी विषयों को लेते हुए और कुछ ने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े होकर इस बात को स्वीकार करते हुए अपने विचारों की विवेचनाएं यहां पर की हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नए भारत बनाने को लेकर संकल्पबद्ध और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली इस सरकार ने देश में सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न विषयों, आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों के लिए नई परिभाषाएं गढ़ने का काम किया है, चाहे वह सड़क सुरक्षा का विषय हो। अभी इसी सप्ताह में हम सभी साथियों ने यहां पर बैठकर सड़क सुरक्षा के विषय पर आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा प्रस्तुत बिल को पारित किया था। चाहे वह रेल और रेल के पैसजर्स की सुरक्षा का विषय हो, चाहे स्पेस सिक्योरिटी का विषय हो, चाहे डेटा सिक्योरिटी का विषय हो। इस देश में सुरक्षा का एक नया वातावरण बनाने के लिए, ताकि सुरक्षित वातावरण में एक समृद्ध भारत बन सके, हमने इस दिशा में एक नई यात्रा प्रारंभ की है। पिछले पांच सालों की सरकार ने यह विश्वास निश्चित रूप से देश और विश्व में जगाने में सफलता प्राप्त की है।

(1940/GG/SAN)

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमितता है। अभी एक और बिल भी सदन में पारित होना है। जिस तरह से सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, यदि मैं एक-एक व्यक्ति के विचार के बारे में, जो क्वेरीज़ उन्होंने रोज की हैं, अगर उनके बारे में बात करूंगा तो शायद बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन कुछ मूल विषयों के बारे में, जिनके बारे में लगभग सभी लोगों ने जिन विषयों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उन विषयों के बारे में मैं अपना प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु से आने वाले मेरे साथी - आदरणीय ए.राजा जी ने जिस विषय को लिया था, बहन महुआ जी ने जिस विषय को लिया था और एक-दो और साथियों ने भी जिस विषय की चर्चा की थी कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस केन्द्र सरकार की और संसद की है या नहीं है। मुझे लगता है कि उसके बारे में, अधीर दा ने, जब हमने बिल इंटीडक्शन किया था तो उस समय विरोध किया था, लेकिन बाद में, उन्होंने अभी सहमति व्यक्त की है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी, इसके उपरांत भी माननीय विद्वान वकील, माननीय पीपी चौधरी साहब ने और छोटे भाई तेजस्वी सूर्या साहब ने जिस तरह से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात की है, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि सदन इस बात से

संतुष्ट है कि संसद को इस बात का अधिकार, संविधान प्रदत्त उपबंधों के अधीन है कि संसद देश के नागरिकों की सुरक्षा के व्यापक हितों को देखते हुए, इस तरह के कानूनों का प्रबंध कर सकती है, चाहे वह रेसिड्युअल पॉवर के रूप में करे, चाहे प्राप्त शक्तियों के आधार पर हो या अन्य उपबंधों के आधार पर हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा विषय है, जिस पर सबसे ज्यादा मेरे विपक्ष के साथियों ने चिंता व्यक्त की थी – अधीर दा से ले कर बाकी सब ने, जैसे बहन महुआ जी ने उसके बारे में बहुत आक्षेप लगाए कि राज्यों के साथ में कन्सलटेशन नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह गई है। यह बिल सन् 2016 में राज्यों को कन्सलटेशन के लिए सक्युलेंट किया गया था। राज्यों ने अपने-अपने विषय में इसके बारे में अपने विचार लिख कर भेजे थे। तमिलनाडु से आने वाले साथी रविन्द्र जी ने अभी इसके बारे में उल्लेख भी किया था। जो 37वीं नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो अभी वर्तमान में व्यवस्था है, उसकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में लगभग सारे प्रदेशों के उपलब्ध प्रतिनिधियों ने इस बिल के ऊपर व्यापक विचार-विमर्श किया था और लगभग सबने इस बिल के ऊपर, इस बिल की आवश्यकता पर और इस बिल में बनाए गए उपबंधों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। तमिलनाडु से आने वाले सांसद साथियों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की और यह उल्लेख किया कि तमिलनाडु की सरकार इससे सहमत नहीं है। लेकिन मैं यह आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के सदस्यों ने भी, जो उस बैठक में उपस्थित थे, उन्होंने भी इस उपबंध के लिए, जो बांध और ऐसे राज्यों के बांध, जो अन्य राज्यों में स्थित हैं, उनके बारे में जो प्रावधान आपने किए हैं, उनसे हम सैटिसफाइड हैं और सन् 2010 के बिल की अपेक्षा में जो आपने सुधार किए हैं, उनसे हम सहमत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता की है कि हम, हालांकि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में भी इस बात की चर्चा की थी कि हम बांधों का न कंट्रोल लेना चाहते हैं, न ऑपरेशन और मन्टेनेंस लेना चाहते हैं, न उसके जल पर कोई अधिकार जताना चाहते हैं, न बिजली पर कोई अधिकार जताना चाहते हैं, न उसकी सिंचाई की व्यवस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहते हैं और न उसके वॉटर शेयर में किसी तरह का कोई इंटरवीन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी।

अध्यक्ष महोदय, अधीर दा ने जिन कुछ विषयों के बारे में बात की थी, उन्होंने फरक्खा बैराज के मन्टेनेंस के बारे में बात की, तीस्ता बैराज के मन्टेनेंस के बारे में बात की और इसके अतिरिक्त कनफिलक्ट ऑफ इंटरैस्ट के बारे में बात की थी कि सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन को जो अध्यक्ष बनाया गया है, माननीय महताब साहब एवं कुछ अन्य सदस्यों ने भी उसके बारे में चर्चा की है कि सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन को आपने अध्यक्ष बनाया और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वे स्टेट कमेटीज़ में भी रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे बड़े प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश भी भारत में हैं, जिनकी यह तकनीकी क्षमता नहीं है कि वे अपने यहां पर इस तरह के उपबंधों के आधार पर, इस तरह के प्रोटोकॉल्स के डिज़ाइन कर सकें, डिजाइड कर सकें।

साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधित्व रखने के पीछे जो मंशा है, वह केवलमात्र इतनी है कि उस पार्टिक्युलर बेसिन में काम करने वाले वाला सीडब्ल्यूसी का वरिष्ठ अधिकारी, जो डायरेक्टर लैवल का अधिकारी है, वह अधिकारी, क्योंकि उस बेसिन में काम करने का उसे अनुभव है, उस बेसिन की समझ उसे है, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी सपोर्ट की आवश्यकता स्टेट कमेटी को पड़े तो एक तकनीकी विशेषज्ञ उसमें रहे।

(1945/RBN/KN)

इसके अतिरिक्त उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की, न तो केन्द्र सरकार की और न ही इस बिल के माध्यम से कोई भी मंशा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जिन विषयों के बारे में बात की गई, मैं विस्तार से उन विषयों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब ने एक सिंगल मैन अथॉरिटी के बारे में कहा और एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी उस अथॉरिटी को गवर्न करेगा, उस अथॉरिटी को हैड करेगा। जो नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी बनेगी, वह बेसिकली टेक्नीकल बॉडी है और जैसा मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी। किस तरह की आवश्यकताएँ हैं, विश्व भर में किस तरह से डैम सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे उस पार्टिक्युलर डैम की हाइड्रोलॉजी, उस जगह की सिस्मोलॉजी, उस जगह की आवश्यकता को देखना होता है। अभी बहुत सारे बांधों की सेहत के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की। उन सारे विषयों को देखते हुए, उस पार्टिक्युलर डैम के लिए या पूरे देश भर में राष्ट्र व्यापी प्रोटोकॉल किस तरह से बनाया जाना है, इसके बारे में वह अपने सुझाव देगी और वह जो पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी को गवर्न करने के लिए, उस पॉलिसी का इम्प्लिमेंटेशन हो सके, हम किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं जताना चाहते।

माननीय भर्तृहरि महताब साहब कह रहे थे कि अगर टॉप डाउन अप्रोच से आप काम कर रहे हैं, यह टॉप डाउन अप्रोच से काम करने की मंशा माननीय मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में काम करने वाली सरकार की नहीं है। पिछली सरकार जब मोदी-1 बनी थी तो माननीय मोदी जी ने बाहें पसार कर सब का स्वागत करते हुए कहा था कि एक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम करने वाली सरकार है। हम सब को साथ लेकर, सब का विश्वास लेकर, सारे देश की एक साथ प्रगति और उन्नति करने के लिए काम करेंगे। इस तरह की आशंका कि हम इस बिल के माध्यम से राज्यों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आशंका निर्मूल है, यह आशंका व्यर्थ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेमचन्द्रन साहब ने इमरजेंसी एक्शन प्लान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि डैम ब्रेक एनालिसिस... (व्यवधान) वह अधिकांशतः हमेशा हर चीज में इंटरवीन करते हैं और उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। कुछ लोगों ने और भी उस विषय की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर बांध टूटता है तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे, उसके बारे में आपने इसमें कोई प्रोविजन नहीं किए हैं। जो तकनीकी समिति है, वह तकनीकी समिति इन सब विषयों की चिन्ता करेगी। इसके साथ-साथ बाढ़ से होने वाले इफेक्ट्स, डैम ब्रीच के कारण से, बाढ़ आने के कारण से

या अन्य किसी कारण से उस डैम में ओवर स्पिल होने के कारण से जो बाढ़ आती है या एक साथ मानसून के समय में एक्सेसिव वाटर छोड़ने के कारण से जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसमें इफेक्ट होने वाले क्षेत्र, बाढ़ की तीव्रता, बाढ़ से होने वाले नुकसान, बाढ़ का अध्ययन करने के बाद में ही इमरजेंसी एक्शन प्लान बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज इमरजेंसी एक्शन प्लान अनेक बांधों के नहीं हैं। जब हमने ड्रिप की योजना को लिया था और ड्रिप की योजना पर जब हमने काम करना प्रारम्भ किया था, डैम रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लिया, अब तक हमने 180 से ज्यादा बांधों के, जो बड़े बांध हैं, ऐसे 180 से ज्यादा बांधों के लिए इस तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने का काम किया है। जब उन बांधों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, ऐसे अनेक बांधों की चर्चा अभी हमारे विद्वान साथियों ने की और उन्होंने कहा कि हमारे बांध लीक हो रहे हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है। ओडिशा से आने वाले प्रतिनिधि ने हीराकुंड डैम की चर्चा की। अनेक ऐसे बांध थे, जिन बांधों की सेहत वास्तव में चिंताजनक थी और वह चिन्ता ही निश्चित रूप से इस कानून को बनाने, इस कानून को लाने के पीछे अनुप्रेरक के रूप में काम कर रही थी। उन बांधों की भी चिन्ता करते हुए हीराकुंड डैम के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना बना कर, उसकी सेहत को ठीक करने का काम किया है। उसके गेट्स को रिपेयर करने का काम किया है। फरक्का बैराज की चर्चा अभी की गई, फरक्का बैराज के सारे गेट्स को बदलने का काम चल रहा है। लगभग 80 प्रतिशत उसके गेट्स बदल दिए गए हैं और बहुत जल्दी उसके बाकी गेट्स बदल दिए जाएँगे। पश्चिम बंगाल के कुछ बांधों की चर्चा पश्चिम बंगाल से आने वाले कुछ मित्रों ने की। मैं दुःख के साथ, अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो ड्रिप योजना हमने लागू की थी, उसमें इंटेस्ट शो नहीं किया, उसमें भागीदार नहीं बने और अभी भी ड्रिप योजना के तीसरे फेज के लिए हमने उनको पत्र लिखा है कि वह इसमें साथ में आए, साथ जुड़े ताकि हम उनके बांधों की भी सुरक्षा का काम इस योजना के माध्यम से कर सकें।

(1950/CS/SM)

बहन महुआ जी ने यह कहा कि अब्स्ट्रक्शन अगर कोई कहेगा तो उस पर आपने पेनॉल्टी का क्लॉज रखा है। सब विद्वान साथियों ने इसकी चर्चा की है कि अनेक बांध ऐसे हैं, जो बांध दूसरे राज्यों में स्थित हैं। ओनर कोई और है और बांध किसी दूसरे राज्य में स्थित है। कल अगर ऐसी समस्या हो कि वह राज्य उसमें जाने से इंकार कर दे, तो उसमें किसी तरह से कानून का उपबंध होने की आवश्यकता थी। वैस्ट बंगाल के बांध तो पूरे झारखण्ड में हैं, आदरणीय निशिकांत जी बार-बार उसकी चर्चा करते हैं। उनको सुविधा देने के लिए इस तरह के कानून का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त जो-जो कहा गया है, लगभग-लगभग जो मोटे विषय थे, उनके बारे में मैंने जवाब दिया है। बांधों की सुरक्षा हम सबका उद्देश्य है, बांधों की सुरक्षा ठीक तरह से हो और देश खुशहाल बने, इन सारे विषयों को लेकर इस कानून में उपबंध किया गया है। आप सभी मित्रों ने अपने विचारों के द्वारा, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन किया है, सहयोग किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : आप एक-एक स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन पूछने का अवसर दिया है।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कराई। आज जो आवश्यकता है, खासकर हम जिस झारखण्ड प्रदेश से आते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगी, मैं झारखण्ड के बारे में बताती हूँ कि झारखण्ड प्रदेश को बंगाल के साथ हमेशा परेशानी हो रही है। कई डैम्स, जिनकी चर्चा माननीय निशिकांत जी ने की, आज डैम झारखण्ड में है, लेकिन हमें उससे बहुत फायदा नहीं मिल पाता है, चाहे वह सिंचाई की बात हो या पेयजल की बात हो। मसानजोर डैम दुमका में है, उसके बारे में दुमका के लोग लगातार आन्दोलन करते हैं, उस पर चर्चा होती है कि हमें वहाँ से कम से कम सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पहले एक करार हुआ था, आज हमें उससे कोई फायदा नहीं मिल पाता है। उसी तरह से मैथन डैम है, उसी तरह तिलैया डैम है, हरेक डैम को हम देखें तो इनका कैचमेंट एरिया झारखण्ड है, लेकिन इनका ज्यादा फायदा बंगाल को मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगी, चूँकि झारखण्ड सूखा की चपेट में है, आप देख रहे होंगे कि इस बार भी झारखण्ड में ज्यादा बारिश नहीं हुई है और पूरा झारखण्ड सूखे की चपेट में है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि चाहे डैम के प्रबंधन की बात हो, डैम सुरक्षित हो, उसके साथ-साथ उस डैम का सिंचाई के क्षेत्र में झारखण्ड के लोगों को फायदा होना चाहिए। झारखण्ड के लोग पूरी तरह से सिंचाई पर ही निर्भर हैं। ऐसे बड़े-बड़े डैम्स के माध्यम से हमें सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को फायदा हो सके। वहाँ के लोगों को डैम से पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि झारखण्ड एक पठारीय प्रदेश है। वहाँ जो भी बारिश होती है, बारिश का सारा पानी बह जाता है। मैं आग्रह करूँगी कि माननीय मंत्री जी उस पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, हम सारे जवाब आपसे अभी नहीं चाहते हैं। मैंने आपसे तीस्ता और डीवीसी के बारे में भी पूछा था। तीस्ता आज तक सम्पूर्ण नहीं हो सकी है, पता नहीं इसमें फंडिंग की कमी है या नहीं है। डीवीसी के बारे में भी आप बाद में बता दीजिएगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है।

मैं फरक्का बैराज के बारे में बोलना चाहता हूँ। वहाँ इंडो-बांग्लादेश वाटर शेयरिंग करार है और इसके चलते भागीरथी नदी में, मतलब जैसे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट बांध से जुड़ा हुआ है, नेशनल वाटरवेज बांध से जुड़ा हुआ है। बांध के साथ-साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। गंगा नदी में लीन सीजन में पानी की सप्लाई कम हो जाती है, तो जो जहाँ जाता है, वह सब स्टैंडिंग हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? यह नम्बर एक प्रश्न है।

दूसरा, मैं आपसे पर्यावरण की बात कह रहा हूँ कि लार्ज डैम भी बनने चाहिए। मैंने आपसे यह भी पूछा था कि अभी कितने सारे लार्ज डैम आपको बनाने चाहिए और इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या हिसाब है, वह आप कैसे कर पाओगे? हम यह जानकारी भी आपसे लेना चाहते हैं। अभी देने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आपके पास जाएंगे, आप इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं, यह मुझे अच्छा

लगतता है। पर्यावरण के बारे में केरल की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट में माधव गाडगिल ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वह लार्ज डैम के खिलाफ है, क्योंकि उससे वहाँ के पर्यावरण को काफी हानि होने की संभावना है।

(1955/RV/AK)

इसके साथ-साथ कस्तूरीरंगन कमेटी भी बनाई गई थी। क्या इनके साथ आपका कोई सम्पर्क नहीं रहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका क्या को-ऑर्डिनेशन है? हम चाहते हैं कि बाँध की कैटेगरी हो, उसका क्लासिफिकेशन हो कि किस तरह का बाँध है, मतलब वह मेजर है, मीडियम है या लार्ज है? इसका जरा ब्यौरा दीजिए।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. India has four per cent of water for an 18 per cent population of the world. So, we are all aware that it is a big challenge.

A lot of projects not just in my State, but country-wide have forest issues, and sometimes they get delayed due to repairs or canal issues get pending or maintenance becomes a challenge because we do not have clarifications or permissions from the Forest Department. Can you commit to us that you would help and intervene in our States in a timebound manner? Otherwise, it takes years to do it, and the pricing of the whole thing collapses. In my own State, Godavari and Krishna basins in Marathawada and Vidarbha, are actually suffering because of this issue.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मिनिस्टर साहब अभी तीन इश्यूज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए?

डैम सेफ्टी चेक करने के लिए जिस समय डैम बना, उस समय का डिजाइन एण्ड ड्राइंग्स, और डाटाबेस चाहिए। डाटाबेस कितना है क्योंकि उस समय और अभी के कंस्ट्रक्शन में काफी कोड्स चेंज हो गए हैं। डैम्स के इश्यूज काफी चेंज हो गए हैं। उनका डाटाबेस कितना है? अगर डाटाबेस नहीं है तो आप उसे कैसे चेक कर पाएंगे?

सर, मेरा दूसरा क्लैरिफिकेशन है कि हमारे बॉर्डर कंट्रीज में डैम्स बने हुए हैं। अगर वहाँ कोई उसे अफेक्ट करे तो उसका इफेक्ट हमारे देश पर आएगा। उसे कैसे सॉल्व करेंगे?

सर, मेरा एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है। हाउस में एनवायरनमेंटल क्लियरेंस की बहुत बात की गयी है। एक्चुअली, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरनमेंटल क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। हम क्यों यह बात बता रहे हैं क्योंकि इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स का मतलब ही यह होता है कि अगर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ ग्रीनरी बढ़ती है। ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, फार्मर्स को डेवलप करने के लिए इस एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के बारे में भी हाउस में बहुत से माननीय सदस्यों ने बात की है। इसे भी थोड़ा क्लैरिफाई करें, नहीं तो इस इश्यू को बाद में भी थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है।

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. Thank you, Mr. Minister, for your detailed reply. Actually, I have got two specific clarifications.

Firstly, you have mentioned that since 2016 you have actually been consulting with the States on this particular Bill. Hence, this has been possible as a result of your detailed consultation. My specific clarification on this issue is this. Did all the States, in writing, agree to the composition of the National Committee in which there will be 10 Members of the Centre chosen by the Centre; 7 Members from the State, but chosen by the Centre; and 3 Experts also chosen by the Centre? Was this composition agreed to by any of the States in writing? Similarly, I would like to know with regard to the State Committees also. Did the States agree to the fact that the Centre would be telling them on how many Members or of what tenure and who they should be?

Secondly, under this new National Dam Safety Authority, you have, for example, WAPCOS, which is a safety organisation, Government of India Undertaking. The West Bengal Government has right now hired it to do the safety audit, which we have done pre-monsoon and post-monsoon. What is going to happen -- under the new regime -- to organisations such as this, which are under the Government of India and are currently doing safety audits? Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों ने लीगल और टेक्निकल बातें कीं। माननीय मंत्री जी ने उनके रिप्लाय में भी कहा कि नेशनल डैम सिक्योरिटी कमेटी के माध्यम से लीगल और टेक्निकल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 2009 की एक न्यूज आई है। सेन्ट्रल सिक्योरिटी एजेंसी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब एण्ड हिमाचल प्रदेश को एक मैसेज दिया था कि भाखड़ा नांगल डैम पर टेरिस्ट अटैक हो सकता है। इस एक्शन प्लान में हम लीगल और टेक्निकल चीजों पर विचार करेंगे, लेकिन भविष्य में हमारे देश को टेरिस्ट अटैक से जो खतरा है, क्या इस एक्शन प्लान में उस पर विचार किया जाएगा क्योंकि मुम्बई पर जब अटैक हुआ था तो मुम्बई के मोडक सागर और मिडिल वैतरणा डैम पर भी टेरिस्ट अटैक का श्रेट था। क्या इसके बारे में मंत्रालय विचार करेगा?

(2000/MY/SPR)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह बिल हमारे लिए ही आया है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एम.पी. हूँ, जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए पी.आई.एल. में हाईकोर्ट में हूँ। आप समझिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर, एक-दो किलोमीटर की बात नहीं है,

बल्कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहां मसानजोर डैम है, जो मयूराक्षी नदी पर है और यह मेरे लोक सभा क्षेत्र से निकली है। इससे बंगाल के ढाई लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। मेरे क्षेत्र में केवल आठ हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। उसमें भी अभी तक बंगाल सरकार ने कैनाल नहीं बनाई है। उससे जो बिजली का उत्पादन होता है, वह पूरा का पूरा बिजली बंगाल लेता है। बंगाल वहां से 30 किलोमीटर दूर से शुरू होता है।

सर, मैंने इसलिए पी.आई.एल. किया है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। उसका एक वाल टूट रहा था, इसलिए हम उसको रिपेयर करने के लिए गए, लेकिन बंगाल की पुलिस वहां आकर हमारे सारे अधिकारियों को उठा कर ले गई। हमारे दुमका की जो मंत्री थी, अन्नपूर्णा जी वहां की बेटा हैं। हम सभी को एक वाल का रिपेयर करने के लिए एजिटेशन करना पड़ा। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, चाहे सिलटेशन का सवाल हो, यदि कहीं पर सबसे ज्यादा सिलटेशन हुआ है, तो हमारे चानन नदी में हुआ है। चानन नदी भी हमारे यहां से निकलती है। इसमें 55 परसेंट सिलटेशन है। यदि किसी बांध में सबसे ज्यादा सिलटेशन हुआ, तो हमारे यहां हुआ है। हम मसानजोर की चर्चा बार-बार कर रहे हैं। आज मैं दोनों ही केसेस में पी.आई.एल. में रांची हाई कोर्ट में हूं। क्या भारत सरकार मेरे साथ या झारखंड के लोगों के साथ चानन तथा मसानजोर में न्याय करेगी, यदि न्याय करेगी तो कब तक करेगी?

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): My clarification is with regard to rehabilitation and resettlement concerning Polavaram project. When can we expect release of funds for resettlement and rehabilitation of tribals and villagers? It has nothing to do with the construction of Polavaram project.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Clause 49 of this Bill provides that the Central Government is competent to amend any provision of the Schedules I, II and III. Now, my clarification from the hon. Minister is this. This provision is part of this Bill. Parliament is competent to legislate with respect to this Schedule. Is it constitutionally permissible to delegate Parliament's legislative power to the Central Government that these Schedules can be amended by way of notification issued in the Official Gazette only? It is because the legislative power of Parliament cannot be delegated to the Central Government.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग, डूअर्स और तराई के जो इलाके हैं, वे सेस्मिक जोन के हिसाब से चौथे नंबर पर आते हैं। कांग्रेस के जमाने में यह पारित हुआ था कि तीस्ता नदी पर 27 डैम्स बनाए जाएंगे। इनमें से चार डैम्स बन भी चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि प्लैन की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में जो डैम बनता है, वह अलग टाइम का होता है। अगर वहां पहला वाला डैम टूट जाता है, तो सारे के सारे डैम्स टूट जाते हैं और यह आदमियों के लिए काफी रिस्की हो जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तीस्ता नदी को लेकर क्या विचार है? अभी तक वहां जितने भी

डैम्स बने हैं, वहां के लोगों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है। क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से उनके चैम्बर में मिल लीजिए, वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सम्मानीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे लिबर्टी दी है कि मैं बाद में सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके क्लैरिफिकेशन के बारे में लिखित रूप से बता सकूँ।

(2005/CP/UB)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विचार व्यक्त करते हुए भी कुछ सदस्यों ने कहा था और वापस क्लैरिफिकेशन में भी वही चीज पूछी है। तेलंगाना से आने वाले मित्र ने पोलावरम डैम के बारे में चर्चा की, आंध्र से आने वाले मित्र ने पोलावरम डैम के बारे में चर्चा की। पोलावरम डैम नेशनल प्रोजेक्ट डिकलेयर हुआ है। पोलावरम डैम में भारत सरकार ने, जो खर्च किया है उसके रीअम्बर्समेंट की बात जयदेव गल्ला साहब ने भी की। रीअम्बर्समेंट के लिए फाइनेंस ने कुछ आपत्तियां लगाईं और उनको कहा था कि जो खर्च, जिस राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल की वह बात करते हैं, उसके लिए जो पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, उस पांच हजार करोड़ रुपये का एक बार ऑडिटेड एकाउंट प्रस्तुत करें। तीन हजार करोड़ रुपये के लगभग का एक ऑडिटेड एकाउंट अभी प्रस्तुत हुआ है, बाकी अभी शेष है। वे प्रस्तुत करेंगे, तब इसके ऊपर आगे रीअम्बर्समेंट पर विचार होगा।

दूसरा विषय, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि यह कब तक पूरा होगा? मैं माननीय सदन के संज्ञान के लिए और माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पोलावरम प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुख होता है कि राज्य सरकार ने कल एक बार फिर टेंडर को, जो कनसैशनर था, उसका टेंडर कैंसल कर दिया। मुझे लगता है कि यह एक नया अवरोध होगा और आने वाले समय में इसमें कितना समय लगेगा, इस समय के बारे में मुझे ... (व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): I was talking about rehabilitation and resettlement.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: इसके कारण कॉस्ट एस्किलेशन भी निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। मेरी बहन महुआ जी ने स्टेट कंसल्टेशन के बारे में बात की। हमने सभी स्टेट्स को कंसल्टेशन के लिए भेजा था। जिन स्टेट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन्स दीं, अपनी तरफ से प्रतिक्रियायें व्यक्त कीं, हमने उनको एड्रेस करने का प्रयास किया है। मैं दुःख के साथ कहता हूं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश ने उसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के बारे में बात की। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी टेक्निकल बॉडी है, जैसा मैंने कहा कि वह रेग्युलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जयदेव गल्ला जी ने भी अपनी बात करते हुए इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि सात सदस्य आप राज्यों से लेंगे, उसका नंबर इतनी देरी से आएगा। पहली बात मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता

हूँ कि जैसा कहा गया कि राज्यों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होगा, राज्यों के प्रतिनिधि राज्य ही तय करेंगे, लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों की जो चिंता की है, निश्चित रूप से नियम बनाते समय हम इस बात का उपबंध करेंगे कि बड़े राज्य, जिनमें ज्यादा संख्या में बांध हैं, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बन जाए, ताकि उनको इतने वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। बाकी माननीय सदस्यों ने जो क्लेरिफिकेशन्स मांगे हैं, वह सबके पास मैं लिखित में भेजने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। चूंकि जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर संशोधनों की सूचना दी है, वे सदन में अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं सभी खण्डों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा।

खण्ड 2 से 56

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 2 से 56 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 56 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**